राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ३२वां दिवस [संख्या १८

सोमवार, दिनांक २४ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न, श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, सदन को यह जानकारी नहीं दी गई कि माननीय अध्यक्ष कहां हैं ?

श्री उपाध्याक्ष : He is just to come.

श्री मोगजीभाई : श्री दयाकृष्ण विजय

श्री भैरोंसिंह : यह आज के प्रश्नों की सूची नहीं है।

(कुछ क्षण विराम)

प्रश्न संख्या ७२०

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

सांचौर तहसील के जागीरदारों से बकाया लगान की वसूली

७२१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर की सांचौर तहसील में ५,०००) रु० से कम आय वाले जागीरदारों से ११।१६ हिस्सा जो बकाया निकाला है वह असेसमेंट के बेसिस पर निकाला है ?

(२) यदि हां, तो जब उक्त तहसील में सैटलमेंट हो गया है तो सैटलमेंट के आधार पर फिगर्स १९५२–५३ से तैयार क्यों नहीं किये गये हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि सन् ५२–५३ से कई जागीरदारों ने उन पर सालाना लगान जो लगता था वह जमा करा दिया है मगर उसे बाद नहीं दिया जाकर ११।१६ वसूली की कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No.2

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) सैटलमेंट तहसील सांचौर में सम्वत् २०१२ (सन् ५५–५६) में हुआ अत : सन् ५२–५३ से सैटलमेंट के आधार पर आंकड़े तैयार करना असम्भव था।

(३) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब क्या इसी सैटलमेंट के आधार पर ११।१६ लगाया जायगा ?

श्री सम्पतराम : जहां सैटलमेंट नहीं हुआ, असेसमेंट पहले हो गया था, वहां असेसमेंट के आधार पर लगाया था दूसरी जगह, इस आधार पर लगाने की आवश्यकता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : ५२ में १।१६ हिस्सा लगाया था तो अब सैटलमेंट हो गया तो भी क्या उसी आधार पर लागू रहेगा ? अब वसूली असेसमेंट के आधार पर क्यों की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): इसलिये हो रही है कि यदि आप जागीर रिजम्पशन एक्ट की दफा ७ और ८ को देखेंगे तो उसमें यही है। उसी के माफिक वसूली हो रही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या दूसरी जगह भी जहां सैटलमेंट नहीं हुआ था वहां असेसमेंट के आधार पर वसूली की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सांचौर की जागीरों के लिये प्रश्न पूछा है उसका जवाब अर्ज कर दिया।

प्रश्न संख्या ७२२

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

राजस्थान सचिवालय के सब्सटेन्टिव अधीक्षकों की ज्येष्ठता

७२३.श्री पी० के० चौधरी : Will the Chief Minister be pleased to state :

(i) Is it correct that the seniority list of substantive Superintendents of the Rajasthan Secretariat was published under Government order No. F. 2 (37) Apptts. (B) 1/57, dated 28-6-57 ?

(ii) Is it correct that in the said list, ten substantive Superintendents from ex-Ajmer State were occupying tenth to ninteenth place ?

(iii) Is it correct that under the Government order No.F.2(79) Apptts B/55 dated 31-10-57, the dates of confirmation of the 8 surplus occupying 20th to 27th place on the seniority list was altered so as to enable these persons to be placed just above all the Ajmer Superintendents in the seniority list ?

(iv) In veiw of section 10 of the State Re-organisation Act, is the Government entitled to take unilateral action ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (1) Yes,

(2) Yes.

(3) No, these eight Superintendents held the post of Superinten-

Page No.3

(श्री नाथूराम मिर्धा)

dents on an equivalent post in the Covenanting States when Rajasthan was formed in 1949. Thereafter they continued to work as Superintendents in a provisional or officiating capacity till their final selection as substentive Superintendeets with effect from 1-1-56. These persons represented that they should be confirmed from 15-5-54 i. e. the date from which the posts of Superintendent were substantively vacant, as they had been continously working as Superintendents. This request was reasonable and was accepted. In this connection it is pertinent to point out that Superintendents in Ajmer had also been conferred retrospectively as under :

(i) 7 in 1955 with effect from 1954.

(ii) 3 in 1956 with effect from 1955.

(4) Section 10 of the States Re-organisation Act, does not prohibit the State Government to take action in respect of employees inherited by the State.

श्री श्रीभानसिंह : यह रिप्रेजेन्टेशन दिया था कि उनकी सर्विसेज को ५४ से काउन्ट किया जाय तो । यह राजस्थान सर्विसेज ने किया था या अजमेर सर्विसेज ने रिप्रे-जेन्टेशन किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सा रिप्रेजेन्टेशन ?

श्री श्रीभानसिंह: यहां कि उनकी सर्विसेज को ५४ से काउन्ट किया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : अजमेर वालों ने किया।

श्री श्रीभानसिंह : अजमेर वालों ने ५४ से दिया तो राजस्थान की सर्विसेज से उनकी सर्विसेज को १९५४ से दुबारा क्यों लगाया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान वालों की वाजिब बात मान ली और अजमेर वालों की भी वाजिब बात मान ली।

श्री श्रीभानसिंह : उनकी वाजिब बात को मान लिया तो अजमेर की सर्विसेज को राजस्थान की सर्विसेज से जूनियर और राज-स्थान की सर्विसेज को अजमेर की सर्विसेज से सीनियर क्यों माना गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर उनको जूनियर कर दिया गया है तो अब भी उनको अपील करने के अधिकार हैं । दफा ११५ स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के नीचे कमेटी बैठी हुई है, उनके पास अपील कर सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : ये तीन ग्रेडेशन्स कैसे किये, एक को ५४ से दो को ५५ से, तीन को ५६ से और ४ को ५७ से ; यह किस क्राइटेरिया से।

श्री नाथूराम मिर्धा: जिस डेट से ओफि-शियेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट का काम करते थे उन डेट्सको देखते हुए कि किस किस जगह फिक्स किये जा सकते हैं, फिक्स कर दिया।

प्रश्न संख्या ७२४

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

ग्लास फैक्ट्री, बीकानेर

७२५. श्री गिरधारीलाल (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सत्य है कि बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के चलाने में सरकारी तौर से होनेवाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति सरकार से मिला था ? यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या थीं और उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया ?

उप-उद्योग मंत्री (श्री खिवचन्द-धारीवाल) : हां जे.बी. मंघाराम के प्रतिनिधि श्री भोजराज एम. अजवानी सन् ५६ में कलेक्टर बीकानेर से बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के चलाने के सम्बन्ध में मिले थे । उन्होंने निम्न शर्तों पर इस फैक्ट्री को पुन: चालू करने का आश्वासन दिया :

(क) कस्टम्स की बकाया ३०,७६७रु० माफ किये जांय ।

(ख) रेलवे की बकाया २६,१३६ रु० का सेटलमेंट किया जाये ।

(ग) पॉवर हाउस की बकाया २१,६५६ रु० माफ कर दिये जायें ।

(घ) श्री अजवानी ने यह भी कहा कि फैक्ट्री को पुन: चालू करने के लिये दो या तीन लाख रूपये की और आवश्यकता होगी ।

सरकार ने कमिश्नर इन्डस्ट्रीज को आदेश दिया कि वह श्री अजवानी से जो बकाया कस्टम और पॉवर हाउस का है उसके विवरण मांगें और यह भी निश्चित तौर पर बतायें कि क्या सुविधाएं वे चाहते हैं ताकि इस पर विचार किया जावे । कमिश्नर इन्डस्ट्रीज ने श्री अजवानी को उक्त सूचना देने के लिये लिखा मगर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

कमिश्नर इन्डस्ट्रीज ने दुबारा १६-११-५६ को श्री अजवानी को जयपुर आकर इस विषय पर बातचीत करने के लिये आमंत्रित किया । श्री अजवानी ने अपने उत्तर में जयपुर आने और जो सहायता वे चाहते थे उनको सामने रखने का वायदा किया, लेकिन न वे जयपुर आये और न इसके बाद उन्होंने इस विषय में कोई पत्र व्यवहार किया ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

ग्राम पालड़ी राणावतों (बिलाड़ा) में मकान जल जाने पर सरकार द्वारा सहायता

७२६. श्री सूरजमल (फलोदी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील बिलाड़ा के ग्राम पालडी रणावतों में अनुसूचित जातियों के लोगों के सारे मकान-झूंपे जल गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मकानों व झूंपों के जलते समय उसमें जन, धन, पशु आदि की अधिक हानि हुई ?

(३) क्या उपरोक्त मकानों व झूंपों के जलने के पश्चात् सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से इसकी जाँच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) उपरोक्त मकान व झूंपे किसके थे और सरकार ने उन लोगों को किस तरह की सहायता दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.5

(श्री सूरजमल)

(५) क्या सरकार फिर से जाँच करवा कर उपरोक्त मकानों व भूंपों के मालिकों को उचित सहायता दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी नहीं, केवल २६ कुटुम्ब इस आग से प्रभावित हुए हैं ?

(२) जी हां, सामान के अतिरिक्त २ गायें इस आग में जलीं किन्तु मनुष्य कोई नही जला ।

(३) जी हां, इस मामले की जांच सब-डिविजनल अधिकारी महोदय से दिनांक १०-५-५८ को कराई गई थी ।

(४) यह मकान अनुसूचित जाति के थे और उन्हें आर्थिक सहायता दी गई ।

(५) जब जाँच की जाकर उनको आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, तो दुबारा जांच का प्रश्न ही नहीं उटता ।

श्री सूरजमल : यह आग लगने का क्या कारण था ?

श्री सम्पतराम : गांव के लोगों की असावधानी हो सकती है, एक्च्युअल कारण तो मुझे मालूम नहीं है ।

श्री सूरजमल : सहायता किस आधार से किस नियम के अनुसार दी गई है ?

श्री सम्पतराम : आधार तो यह है कि जितना नुकसान हुआ है, उसका १।६ तक फण्ड्स को देखते हुए दिया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : आग कब लगी और जांच कब हुई ?

श्री सूरजमल : क्या यह........

श्री उपाध्यक्ष ; Order, order please A question has already been put.

श्री सम्पतराम : आग की तारीख तो मेरे पास नहीं है, जांच १०-५-५८ को हुई थी ?

श्री मूलचन्द डागा : अन्दाज बतायें कि इतने महीने पहले आग लगी ।

श्री सम्पतराम : अन्दाज से तो इसमें क्या कहा जा सकता है ?

प्रश्न संख्या ७२७

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२८

श्री नारायणलाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामकरणसिंह ।

जागीर सम्बन्धी केसेज़

७२९. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिले का जागीर संबंधी कार्य कलेक्टर के अण्डर में हो सकता है ?

(ख) यदि हां, तो फिर डिप्टी कलेक्टर जागीर की क्या आवश्यकता है ?

(ग) एक वर्ष में जिला जयपुर में जागीरदारों का कितना कार्य निबटाया गया ?

(श्री रामकरणसिंह)

(घ) आरम्भ में कितने भोमियों को ५००)रु० की आय वाला जागीरदार बता कर नोटिस दिये तथा उनमें से कितनों ने तहसील के रेकार्ड दिखा कर अपने आपको जागीरदार न होना साबित किया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उपराजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जो बडे जिले हैं और जहां जागीर का काम ज्यादा है वहाँ डिप्टी कलेक्टरों की नियुक्ति की गई । जो जिला छोटे हैं और जहां जिले का काम कम है वहां कलेक्टर ही जागीर का काम करते हैं ।

(ख) इसका उत्तर प्रश्न के 'क' भाग में दिया जा चुका है ।

(ग) अप्रेल सन् ५७ से मार्च सन् ५८ तक ।

(१) ३६२ जागीरें पुनर्ग्रहण की गई जिनकी आय ६१३,३७३।।।≈)।। है ।

(२) ३५ जागीरदारों को उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र दिये गये ।

(३) ४६३ दावों में प्रोविजनल अवार्ड जारी किये गये ।

(४) २१५ में फाइनल अवार्ड जारी किये गये ।

(५) ३८ केसेज़ में बोन्ड्स जारी किये गये जिनकी रकम ३,०४, १५०) रू० हैं ।

(६) ३३ दावे जागीर कमिश्नर और ५७ दावे कमिश्नर, अजमेर से क्षेत्र अधिकारी की जांच की गई ।

(७) ७४ मुआवजे के फार्म भरे गये ।

(८) ३४ पांतीदारों के प्रार्थना पत्रों पर निर्णय दिया गया ।

(९) २२३ जागीर कर्मचारी राज्य सेवा में लिये गये तथा ५०८ को डिस्चार्ज नोटिस दिया गया ।

(१०) ८८ पेन्शन के केसेज में पी. पी. ओ. जारी कराया गया ।

(११) १,०३३ खुदकाश्त के केसेज तय किये गये । जिनमें से ६६ जागीरदारों को खुदकाश्त भूमि का कब्जा दिया गया ।

(१२) ५८ आवेदनपत्रों पर तकावी की स्वीकृति दी गई ।

(घ) ५० जागीरों को १५-६-५७ से पुनर्ग्रहण किया गया । उनमें से किसी जागीर को पुनर्ग्रहण के पश्चात् मुक्त नहीं किया गया । अत: सूची पेश करने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ७३०

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरवलाल काला-बादल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्नसंख्या ७३१

श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

किसानों से रॉयल्टी नहीं लिया जाना

७३२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या किसानों से किसी प्रकार की रॉयल्टी लेना बन्द कर रखा है ?

(२) यदि हां, तो किस किस कार्य के लिये किन किन चीजों पर ?

(३) क्या तहसील कोटपुतली में किसानों से रॉयल्टी कलेक्शन के पंचायत, थानों और तहसील में कोई केस दायर हुए हैं ?

(४) यदि हाँ, तो कितने और उनके क्या फैसले हुए ? उनमें किसान कितने हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(५) क्या सरकार इस नियम भंग करने वाले ठेकेदारों को दण्ड देना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां ।

(२) सिंचाई के लिये तालाबों, कुओं, खेतों की चहारदिवारें, रिहायसी मकानों का निर्माण व उनके चहार दिवारी ।

झाझरा कंकर, चिणाई के पत्थर मामूली मिट्टी और ईंटे बनाने की मिट्टी पर ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

(५) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकरणसिंह : क्या इससे यह माना जावे कि तहसील कोटपुतली के पंचायतों, व थानों और तहसील में कोई इस सम्बन्ध के केस लोगों के चालान होकर आये नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप इसके बारे में अलग प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर दिया जाता लेकिन आपने जनरल प्रश्न पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है ।

श्री रामकरणसिंह : मेरे प्रश्न ३ में साफ है : क्या तहसील कोटपुतली में किसानों से रॉयल्टी कलेक्शन के पंचायत, थानों और तहसील में कोई केस दायर हुए हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने इसका जवाब दे दिया है, जी नहीं ।

श्री रामकरणसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या कोई तहसील कोटपुतली में इस प्रकार के केस दायर नहीं हुए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब मैं कह रह रहा हूं 'जी नहीं' तो इसका मतलब यही है ।

प्रश्न संख्या ७३३

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लालूराम टाटावत ।

इन्डस्ट्रीज लोन, जिला टोंक

७३४. **श्री लालूराम टाटावत** (टोंक): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टोंक जिले में सन् ५५ से आज तक इन्डस्ट्रीज लोन किस किसको कितना कितना किस किस कार्य के लिये दिया गया ?

(२) कितनी प्रार्थनायें लोन के बारे में आईं तथा उनमें से कितनों को लोन दिया गया ?

(श्री लालूराम टाटावत)

(३) जिनको लोन नहीं मिला उसका क्या कारण है और उनको कब तक लोन मिल जावेगा ?

(४) क्या यह सत्य है कि टोंक जिले में ऊन, चमड़ा उद्योग के बारे में भी कारखाना खोल देने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो कब तक वह कारखाना खुल जावेगा।

(५) टोंक जिले में छोटे उद्योगों को आगे बढाने की सरकार की क्या स्कीम है ?

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द–धारीवाल) : (१) इस सूचना की तालिका सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(२) १६ प्रार्थना पत्र टोंक जिले के प्राप्त हुए, जिनमें से १२ को लोन दिया गया है।

(३) उपरोक्त में से १ प्रार्थना–पत्र ऑइल और जीनिंग मिल के लिये था। चूंकि ऑइल मिल को देने की नीति नहीं है । इसलिये कमेटी में इस प्रार्थना–पत्र को अस्वीकृत कर दिया। अन्य दो प्रार्थनापत्र भी ऐसे उद्योगों के लिये थे, जिनको ऋण देने के लिये बहुत नीची श्रेणी (लो प्रायोरिटी) में रखा गया है। इसी कारण इनको ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। एक प्रार्थनापत्र विचाराधीन है और विशेष जानकारी की गई है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर इस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जावेगा।

(४) नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(५) टोंक जिले में छोटे उद्योगों को आगे बढाने के लिये सरकार की ओर से २ उत्पादन केन्द्र नमदा व दरी-निवार केन्द्र टोंक में चल रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा विकास खंड के क्षेत्र में दो प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, १ हाथ करघा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, २ चर्मशोधन लेदर (ट्रेनिंग) प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त १ नमदा निर्देशक की नियुक्त की गई है जिसके द्वारा उस क्षेत्र के नमदा बनानेवालों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। टोंक एवं टोडा-रायसिंह विकास खंडों में भी एक बुनाई और दूसरा चर्मशोधन (लेदर ट्रेनिंग) के प्रशि–क्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह।

अनसेटल्ड जागीरों की रिजम्प्शन से मुक्ति

७३५. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है ग्राम गोरेडी चांचा, तहसील डेगाना के भोमियान मुकनसिंह, विजयसिंह तेजसिंह वगैरह की खसरा नम्बर १०३, १०३, १०१ जागीर रिज्यूम किये जाने के बाद अनसेटल्ड होने के कारण रिजम्प्शन से मुक्त की गई ? यदि हाँ, तो कब रिजम्प्शन हुआ और कब मुक्त किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि रिजम्प्शन के उपरोक्त समय में स्थानीय तहसीलदार ने भोमियों की जागीर में से कुछ जमीन कई लोगों को आबादी के लिये तथा अन्य कार्य के लिये अलॉट कर दी ? यदि हां, तो कितनी कितनी और किस नियम से ?

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) क्या सरकार उक्त भोमियों को जिनको इस अलॉटमेंट से हानि हुई, उनको वापिस जमीन पर अधिकार प्राप्त करवाने की आज्ञा जारी करेगी ?

उप राजस्व मन्त्री श्री (श्री सम्पतराम):

(क) जी हां। भूमि खसरा नं० १०२, १०३, व १०१ दिनांक १-७-५८ को रिज्यूम की गई। मगर इन खसरों का सैटलमैंट न होने से वापिस रिजम्प्शन से मुक्त दिनांक १०-६-५८ को कर दी गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यही समझा जावे कि जिस हालत में जमीन रिज्यूम की गई थी, उसी हालत में उनको संभाल दी गई ?

श्री सम्पतराम : यही समझा जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि उस समय कुछ लोगों ने कुछ जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया था ?

श्री सम्पतराम : हो सकता है कि किसी को कानून के खिलाफ तहसीलदार ने समझा हो, मगर इस प्रकार की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्वयं तहसीलदार ने भी कुछ जमीन पर अपना कब्जा कर लिया ?

श्री सम्पतराम : उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। 'नहीं है' यह जवाब मैं दे चुका हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसकी जांच और जानकारी करने के लिये तैयार है कि तहसीलदार खुद ने भी कब्जा कर लिया और आज भी उसका कब्जा मौजूद है ?

श्री सम्पतराम : अगर आपकी ऐसी सूचना हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ भोमियों ने किन्हीं लोगों का नाजायज कब्जा कराया था उनको तहसीलदार ने जायज नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह : जब भोमियों को खुद जमीन देने का अधिकार था तो फिर गलत तरीके से कैसे कहा सकता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): कुछ भोमियों ने कुछ लोगों को जमीन बेच दी जिसको कानूनन बेचने का उनको कोई अधिकार नहीं था। तहसीलदार ने उसके लिये कलेक्टर को मूव किया उन्होंने कहा कि इस तरह का कब्जा नाजायज है। यदि आपकी सूचना सही है जो आपने बताई है तो इसकी इन्क्वायरी करेंगे और जांच से सही पावेंगे तो जो दोषी होगा उसको सजा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह जमीन डेगाना के कॉग्रेस अध्यक्ष को दी गई है, आप चाहें तो इसकी जांच करा लें।

प्रश्न संख्या ७३६

श्री उपाध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री नारायणलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह।

खानों के ठेकेदारों से डम्प रिमूवल फन्ड के नाम पर वसूली

७३७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मंत्री खनिज विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा Mines Contractors से Dump removal fund के नाम पर प्रत्येक ठेके पर २०० रु० लिये जाते हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो यह फण्ड किस नियम के अन्तर्गत कब से एकत्रित किया जाने लगा है और अब तक कुल कितना हो गया है ?

(ग) सरकार की Dump removal की क्या Scheme है और अब तक इस दिशा में कहाँ कहाँ क्या कार्यवाही की गई है और नहीं की गई तो क्यों ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सब ठेकेदारों से नहीं, सिर्फ जोधपुर के फिदूसर की खानों के ठेकेदारों से डम्प रिमूवल फण्ड लिया जाता है।

(२) सरकार की आज्ञा संख्या एफ १।२४५। सी. आई.एम. ।५० दिनांक १३।२। ५४ के अन्तर्गत सन् १६५४ से एकत्रित किया जाने लगा है। अब तक १००,००० रु० वसूल हुए है।

(३) ट्रक खरीदने के बारे में टेन्डर आमन्त्रित कर लिए गये हैं। मलवा डालने की जमीन छांट ली गई है और जिलाधीश की स्वीकृति के लिये लिखा जा चुका है। दो सड़क के टुकड़े बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : यह डम्प रिमूवल फन्ड कब से इम्पोज किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने निवेदन किया कि सन् १६५४ से ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह किसी नोटिफिकेशन से लिया जाता है या कानून के अन्तर्गत ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने यह निवेदन किया कि सन् १६५३ से पहले मिनरल एन्ड माइन्स रुल्स एक से नहीं बने हुए थे । अलग अलग जगह अलग अलग रूल्स थे। यह फिदूसर में वहां के उपरोक्त सरकार की आज्ञा संख्या एफ १।२४५। सी. आई. एम. ।५० दिनांक १३-२-५४ के तहत लिया जाता है। डम्प फन्ड के लिये कॉन्ट्रेक्टरों ने वॉलेन्टीयरिली यह सारी की सारी रकम दी और वह २ लाख रुपया एकत्रित है। अब डम्प को हटाने की कार्यवाही करने के लिये ट्रकों की खरीद आदि के लिये टेन्डर आमन्त्रित कर लिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार की यह जो आज्ञा है वह कोई लीगल-फोर्स नहीं रखती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने पहले ही कहा कि यह एग्जिक्युटिव ऑर्डर है उसकी तहत में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और वह रकम अलग रखी गई है और इसमें से ट्रक आदि खरीदने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि जो कॉन्ट्रेक्टर २००) रु० नहीं देता उसको देने के लिये फोर्स किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि यह तो वॉलेन्टीयरी है इसलिये फोर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह तो उनके हित की बात है कि पानी नहीं इकट्ठा हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन कॉन्ट्रेक्टरों ने २००) रु० जमा नहीं करवाये उनको कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया गया और यह रकम फोर्सिबली ली गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: अगर आप ऐसा कोई केस बतावें तो हम उसकी जांच करायेंगे। वरना यह २००) रू० वे लोग अपनी मर्जी से देते हैं। यह उनके फायदे के लिये ही है। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह कहा जावे कि फोर्स से ली जाती है।

श्री भैरोंसिंह : आप आज सन् १९५८ में ट्रक खरीदने के लिये तैयार हैं, इससे पहले चार वर्ष तक आप मौन क्यों रहे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया इसमें दो बातें जरूरी हैं। इस तरह से जो डम्प हो उसको कहां डाला जावे यह तो एक डिफिकल्टी थी। इसके अलावा पब्लिक हित को भी देखना पड़ता है कि कहीं पानी न रुके, उसको ऐसे स्थान पर डाला जाए, इसलिये ये सारी की सारी बातों को देखने में समय लग गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे यह माना जावे कि सरकार ने डम्प रिमूवल फन्ड इक्ट्ठा करने के पहले इस प्रकार की जांच नहीं की थी कि इसको कहां डाला जावेगा और कौनसा स्थान होगा, जहां पर डाले जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां डाले जावेंगे, किस स्थान पर डाले जावेंगे यह तो सब पहले से ही तय था किन्तु उसके अन्दर वहां के कलेक्टर और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की सलाह लेनी आवश्यक थी। पहले आपस में कुछ मतभेद था इसलिये इतना समय लगा।

प्रश्न संख्या ७३८

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनोहर कोठरी।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तकावी वितरण-तहसील लालसोट

७३९. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील लालसोट में तकावी किन किन लोगों को किस किस कार्य हित दी गई थी ? क्या उन्होंने निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया ? यदि नहीं तो क्यों, और अब कब तक पूरा किया जायेगा ?

(२) उक्त रकम किस किस व्यक्ति की तरफ किस किस सन् की कितनी बकाया है ? इसकी सूची देने की कृपा करें।

(३) यह बकाया रकम उनसे कब तक वसूल की जावेगी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। २ व्यक्तियों ने कार्य पूर्ण नहीं किया जिनसे चुकती रकम तकावी वापिस लेने की कार्यवाही जारी है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जो सूची सदन की मेज पर रख दी गई है उसके कॉलम ५ द्वारा स्थिति व्यक्त हो जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.12

श्री बेनाराम : यह रकम कौन से सन् में दी गई थी ?

श्री सम्पतराम : यह उस सूची में दर्ज है ।

श्री बेनाराम : नं० २ में यह दिया गया है कि कौन कौन से सन् में दी गई व किन किन व्यक्तियों में बकाया है ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है सूची में भी ।

श्री सम्पतराम : I am sorry the date is not there.

श्री गिरधारीलाल : रकम वापिस लेने की कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री सम्पतराम : रकम वापिस लेने की कार्यवाही की गई थी लेकिन प्रार्थना की थी कि जल्दी ही ट्रेक्टर ले आऊंगा, तो वह नहीं ला पाया; इस पर उसको नोटिस दिया गया और अब फाइनली यह तय हुआ कि रकम उससे वापिस ले ली जाय ।

श्री गिरधारीलाल : तारीख का कुछ पता नहीं है । पहले कब तय हुआ ?

श्री सम्पतराम : फाइनली यह तय हुआ कि रकम उससे वापिस ले ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ठाकुर सतवाड़ा (तहसील देवली) को सरकार द्वारा खुदकाश्त की जमीन का अलॉटमेन्ट

७४०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ठाकुर सतवाड़ा, तहसील देवली को हस्ब कायदा सरकार ने खुदकाश्त के लिये जमीन अलॉट कर दी थी और कब्जा दिला दिया था ?

(२) अगर हां, तो कितनी जमीन अलॉट की थी और क्या उस जमीन को ठाकुर ने काश्त कर रखा है ?

(३) क्या यह सही है कि अब वह जमीन उस ठाकुर से छुड़ाई जा रही है ? अगर हां, तो किन आधारों पर ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) कुल रकबा ३३५।।।) १ अलॉट किया गया था जिसको ठाकुर ने काश्त कर रखा है ।

(३) अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में शिकायत पेश हुई है कि जागीरदार ने गलत बयानी करके जमीन अलॉट कराई हैं और यह जमीन पहले हरिजनों को अलॉट हो गई थी । यह शिकायत सरकार के विचाराधीन है, उसकी जांच कराई जा रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हरिजनों को अलॉटमेन्ट अलॉटमेन्ट कमेटी की ओर से हुआ या नहीं ?

श्री सम्पतराम : यह जांच करने की बात है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जांच कहां चल रही है ?

श्री सम्पतराम : कलेक्टरी में चल रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से चल रही है ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

लालसोट तहसील की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी

७४१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील लालसोट की निम्न प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी है ?

नीभरेण', श्यामपुरा तलावगांव, कलला वास, अमराबाद, टोडाटीकला, भीलवाड़ा ?

(२) यदि हाँ, तो यह कमी कब तक पूर्ण की जायगी ?

(३) क्या सरकार इन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति करते समय लालसोट तहसील के शिक्षित व्यक्तियों का ध्यान रखेगी ?

(४) क्या यह सही है कि लालसोट प्राइमरी बेसिक स्कूलों में ३०० के ऊपर छात्र हैं और मास्टर पाँच हैं ? क्या अधिक अध्यापक नियुक्त किये जावेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट,

डॉ० बहादुरसिंह ।

स्वर्गीय नवाब रुस्तमअली, धौलपुर के उत्तराधिकारियों को सरकार द्वारा मान्यता

७४२. **डॉ. बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि स्वर्गीय नवाब रुस्तमअली धौलपुर के उत्तराधिकारियों को सरकार ने मान्यता दी है ? यदि हाँ तो किन तथ्यों पर ?

(२) क्या यह सच है कि स्वर्गीय नवाब रुस्तमअली की समस्त सम्पत्ति पर महाराजा धौलपुर ने अधिकार कर लिया था ? यदि हां, तो क्या अब उनके उत्तराधिकारियों को जायदाद आदि का अधिकार दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि स्वर्गीय नवाब रुस्तमअली के जागीरी ग्राम नवाब बसई की आय राजस्व में सम्मिलित नहीं की जाती तथा अमानत के रूप में जमा की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों और इस प्रकार से कब तक सम्मिलित नहीं की जावेगी ?

उपराजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं ।

(२) नवाब रुस्तमअली खाँ की कुल सम्पत्ति पर(मौजा बसई नवाब पर)कब्जा सरकार का है । धौलपुर में एक पुख्ता मकान व सात दुकानों पर महाराज धौलपुर ने अधिकार कर लिया था । उनमें से एक मकान पुख्ता पर, अदालत सिविल जजी धौलपुर द्वारा नवाब के उत्तराधिकारियों को हाल ही में कब्जा दिलाया गया है । दुकानें तहसील के ही कब्जे में हैं ।

(३) नवाब साहब के जागीरी ग्राम नवाब बसई की आमदनी, लगान राजस्व में जमा की जाती है, अमानत में नहीं ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो मकान का कब्जा दिलाया गया है, उसकी अपील किस किस अदालत से है ?

श्री सम्पतराम : सिविल जजी में है।

डॉ. बहादुरसिंह : क्यों दिलाया गया ? क्या सरकार ने अपील दायर की है ?

श्री सम्पतराम : किसी इन्ट्रेस्टेड पार्टी के इनिशियेटिव पर।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

ब्लॉक अधिकारी, करनपुर द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग

७४३. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) क्या विस्तार सेवा खण्ड मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि करनपुर क्षेत्र में जो जीप ब्लॉक अधिकारी के कब्जे में थी वह क्षेत्र से बाहर स्तेमाल करने के कारण ब्लॉक अधिकारी से पैट्रोल की कीमत वसूल करने की रिपोर्ट विभाग द्वारा १६५६ में हुई थी ?

(ख) क्या वह भी सच है कि ब्लॉक अधिकारी उस जीप को उसके बाद भी ब्लॉक क्षेत्र से बाहर प्रयोग में लाता रहा ?

(ग) उस रकम की वसूली का सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रकम वसूली की कार्यवाही चालू है।

श्री श्रीभानसिंह : यह क्या जरूरी नहीं है कि कार को इस तरह से इस्तेमाल करने के कारण उस अधिकारी से केवल रकम ही वसूल की जाय और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जाय ?

श्री सम्पतराम : रकम वसूल की जाय तो कितनी और किस तरह से की जाय इसकी जांच की जा रही है।

श्री श्रीभानसिंह : जांच पहले कैसे कर सकते हैं ? उसने वह जीप काम में ली या नहीं।

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि उसने जीप को काम में लिया है। यदि प्राइवेट तौर पर काम में लिया है तो दूसरी बात है लेकिन यदि ऑफिस के कार्य के हेतु काम में लिया और ब्लॉक के एरिया से बाहर भी काम में लिया है तो यह तो देखना जरूरी है कि उस अधिकारी ने टी. ए. डी. ए. की रकम ली है अथवा नहीं। इसलिए यदि निरीक्षण के कार्य हेतु बाहर गई है तो उससे दूसरे चार्जेज नहीं ले सकते। इन सारी चीजों को देखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि रकम वसूली की कार्यवाही चालू है, तो क्या उसने जीप का दुरुपयोग किया है ?

श्री सम्पतराम : यह देखना जरूरी था पहले कि किस किस जगह उन्होंने जीप को काम में लिया है। इसके लिए एक्स्प्लेनेशन कॉल किया गया। उसके बाद यह तय हुआ कि कितने माइल का किराया लिया जाय। वह १०६८ मील बाहर गई है। उसने भी एस. डी. ओ. की हैसियत से फन्क्शन किया है और उसको इस्तेमाल किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह जांच की है कि एज एस. डी. ओ. टूर किया है, इसलिए नहीं लेना चाहिये ?

Page No.15

श्री सम्पतराम : दूर करने का अधिकार नहीं था या दूर करना जरूरी था टी ए. डी. ए. लिया है या नहीं, आदि सब बातों की जांच की जा रही है और कुछ हो भी चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : अधिकारों का अतिक्रमण करके ब्लॉक की गाड़ी का दुरुपयोग किया है और उनसे रकम वसूल कर रहे हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया, जब कि उन्होंने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया ?

श्री सम्पतराम : स्थानीय अधिकारी यह देखते हैं कि बहुत जरूरी सरकारी कार्य है और सरकारी जीप नहीं है तो दूसरी गाड़ियों को काम में ले सकते हैं। इन्क्वायरी पर देखा गया कि वह जरूरी था।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ में मोचीवाड़े वाली शराब की दूकान का ठेका

७४४. **डॉ० बहादुरसिंह** (श्री रामचन्द्र की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री, एक्साइज़ विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) झालावाड़ में मोचीवाड़े वाली शराब की दुकान का ठेका पिछले वर्ष कितने रुपयों में दिया गया था ?

(२) प्रतिवर्ष कितनी बोतलें शराब बेचने के लिए दूकानदार को दी गई ?

(३) भिन्न भिन्न प्रकार की शराब प्रति बोतल किस रेट से बेचने का आदेश है ?

उप आबकारी मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१), (२), (३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि दूकान को मोचीवाड़े से उठा दिया जाय ?

श्री सम्पतराम : किसलिये उठा दी जाय

डॉ० बहादुरसिंह : क्योंकि हरिजनों की बस्ती है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्रीमती सतवन्तकौर।

सब-डिविजनल ऑफिसर करनपुर द्वारा ट्रेक्टर खरीदने के लिये तकावी की सिफारिश

७४५ **श्रीमती सतवन्त कौर** (करनपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्री ताराचंद सब-डिविजनल ऑफिसर व ब्लॉक अधिकारी, करनपुर ने कितने व्यक्तियों को ट्रेक्टर खरीदने के सम्बन्ध में तकावी के लिये सिफारिश की ?

(ख) उनसे कितनों को तकावी मिली, कितनो ने ट्रैक्टर खरीदे और कितनों ने नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) १३ व्यक्तियों को।

(ख) ९ व्यक्तियों को तकावी मिली।

७ व्यक्तियों ने ट्रेक्टर खरीदे।

२ व्यक्तियों ने नहीं खरीदे।

श्रीमती सतवन्त कौर : क्या यह सही है कि तकावी रिश्तेदारों को दी गई है जिन्होंने ट्रेक्टर नहीं खरीदे हैं ?

श्री सम्पतराम : मुकम्मिल जवाब मैं इसका दे चुका हूँ ।

श्री श्रीभानसिंह : ७ व्यक्तियों ने खरीदें और दो व्यक्तियों ने नहीं खरीदें, तो यह कितने सर्टिफाई किया और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री सम्पतराम : यह तो कलेक्टरी से मालूम हुआ कि दो ने नहीं खरीदे ।

श्री श्रीभानसिंह : उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सम्पतराम: एक व्यक्ति ने मय ब्याज के रकम लौटा दी है और दूसरे के खिलाफ कार्यवाही चालू है ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह जरूरी नहीं है कि यह देखा जाय कि पहले ट्रेक्टर की आधी रकम पार्टी जमा करा दे और उसके बाद सरकार से आधी रकम दी जाय ?

श्री सम्पतराम : यह जरूरी नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : यह जरूरी नहीं है, तो क्या ऐसे ऑर्डर्स हैं ?

श्री सम्पतराम : तकावी दी जाती है । पहले खरीदे हैं उन्होंने ।

श्री भैरोंसिंह : मशीनरी की तकावी उसी आदमी को दी जाती है जो आधी रकम उस फर्म को दे दे और फर्म को ही सरकार आधी तकावी की रकम दे दे ? क्या ऐसे ऑर्डर्स सरकार के नहीं हैं ?

श्री सम्पतराम: यह आपका ख्याल है ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं स्पष्ट कर दूँ कि पहले उस व्यक्ति को दे देने का कायदा था । अब यह कायदा है कि व्यक्ति अपने हिस्से का रुपया उस फर्म को दे दे और आधा रुपया सरकार उसी फर्म को दे देती है जिस फर्म के द्वारा ट्रेक्टर खरीदा जा रहा है । यह रुपया पहले मिला है या बाद में मिला है, यह देखने का है । इसलिये नये नियमों के अन्तर्गत दिया गया या नहीं या पहले दिया गया है यह देखने का है ।

श्री श्रीभानसिंह : तो यह प्रश्न पैदा होता है कि यह लोन पहले दिया गया या बाद में ?

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : यह बाद में दिया गया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं ।

श्री सम्पतराम : इसकी तारीख का मुझे ख्याल नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको अब तो ख्याल हो गया है न ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह ।

अध्यापकों को प्राइवेट परिक्षा पास करने की अनुमति

७४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शिक्षा विभाग में अध्यापकों को प्राइवेट परीक्षा पास करने की अनुमति देने के लिये क्या नियम है ? कृपया इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(श्री भैरोंसिंह)

(२) जयपुर डॉयरेक्टोरेट में इस वर्ष कितने अध्यापकों को परीक्षा देने की अनुमति दी गई तथा कितने अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र रिजेक्ट किये गये। जिनको परीक्षा देने की अनुमति दी गई है, क्या उनमें ऐसे अध्यापक भी शामिल है जिन्होंने या तो गत २ वर्षो में परीक्षा दी थी या बी० एड० अथवा एस० टी०सी० की ट्रेनिंग ली थी? कृपया ऐसे अध्यापकों की एक तालिका मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, शिक्षा की अनुपस्थिति में) : (१) नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जयपुर डिप्टी डॉयरेक्टोरेट में १३२४ को अनुमति दी गई और १५८१ के प्रार्थनापत्र अस्वीकृत किये गये। जिन्हें अनुमति दी गई है उनमें ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने दो वर्षों में परीक्षा दी थी या बी० एड० अथवा एस० टी० सी० की ट्रेनिंग ली थी, ऐसे अध्यापकों की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन नियमों के आधार पर गत वर्ष जिन्होंने एस० टी० सी० अथवा बी० एड० का इम्तहान दे दिया हो, उनको आगामी वर्ष परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है उसका लाभ छात्रों को मिल सके?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स आपको दे दिये हैं, आप उसमें देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अन्तर्गत तो दे नहीं सकते, इसीलिये तो आपसे पूछा है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या इस प्रकार से आज्ञा देने से छात्रों की पढ़ाई में नुकसान हो सकता है?

श्री नाथूराम मिर्धा : हो सकता है लेकिन टीचर्स में भी रिजेन्टमेंट हो जाता है इसलिये कुछ को अनुमति दे देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सरकारी कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती?

श्री नाथूराम मिर्धा : सबको एक साथ अनुमति नहीं दे सकते। यदि सब को एक साथ अनुमति दे दी जायगी तो छात्रों की पढ़ाई में काफी हर्जा हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिये पूछ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

नीम का थाना आदि तहसीलों में काश्तकारों को काश्त गिरदावरी की स्लिप का तकसीम न दिया जाना

७४७. **श्री ज्ञानचंद मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नीम का थाना व श्रीमाधोपुर तहसीलों में बहुत से गांवों के काश्तकारों को काश्त गिरदावरी की स्लिपः सं. २०१२–२०१३–२०१४ में तकसीम नहीं की गई?

(२) यदि हां तो क्यों तथा ऐसे काश्तकारों एवं गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें!

Page No.18

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(३) सरकार इनके विरुद्ध इस संबन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

(४) अब इनकी उचित तकसीम कब तक हो जायगी ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२) (३) व (४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : क्यों नहीं उठता ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

झालरापाटन तहसील में पत्थरों की खानों का ठेका

७४८. **श्री रामचन्द** (डग) : क्या मंत्री, खनिज तथा उद्योग विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि झालावाड़ जिले की झालरापाटन तहसील के जूनापानी तथा नारसिंगी गांवों के आसपास की जमीन में पत्थरों की खानें हैं तथा इन गांवों में अधिकतर आबादी जाटव तथा बन्जारों की है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन खानों को इन्हीं लोगों ने खोद कर तैयार की थी तथा अब इन लोगों को बेदखल करके यह खानें अब रामगंज मंडी के साहूकारों को दे दी गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इन लोगों ने तीन वर्ष से १२५ मेम्बरों की एक सहकारी समिति भी बना ली है, तथा यह समिति पिछले तीन वर्षों से खान लगाने के लिये नई जमीन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है ?

(४) इन लोगों को अब नई जमीन क्यों नहीं दी जा रही है ?

उप-खनिज मंत्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) : (१) यह सत्य है कि नारसिंगी व जूनापानी के आसपास सेन्ड स्टोन पत्थर की खान है। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वहां पर जाटव तथा बनजारों की अधिकतर आबादी है।

(२) यह सत्य है कि नारसिंगी जूनापानी की खान इन्हीं लोगों ने खोद कर तैयारी की थी जैसा कि वे अब भी करते हैं लेकिन इन लोगों ने खनिया के रूप में यह खान खोद कर तैयार की है न कि ठेकेदारों के रूप में। ऐसी दशा में इनको खानों से बेदखल करने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। सन् १९५३ से यह खानें एक सहकारी समिति राजस्थान इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन सोसाइटी के लीज पर है।

(३) इन लोगों ने एक सहकारी समिति 'श्री राम लेबर कॉओपरेटिव सोसाइटी' झालावाड़ के नाम से लगाई है और यह सोसाइटी नई जमीन प्राप्त करने से प्राप्त करने की कोशिश में है।

(४) इन लोगों ने 'श्री राम लेबर सोसाइटी' के नाम से तीन प्लॉटों के लिये प्रर्थनापत्र दिये हैं जिनमें से एक खान की मंजूरी इनको दी जा चुकी है और दूसरे की मंजूरी दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है तथा तीसरा प्लॉट राजस्थान इन्डस्ट्रियल को० सोसाइटी के एरिया से कॅन्फिलक्ट करता है अत : नहीं दिया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र : इन लोगों में से अधिक आबादी किन लोगों की है ?

Page No.19

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सभी लोग रहते हैं भिन्न भिन्न जातियों की आबादी है, जाटव भी रहते है, बनजारे भी रहते हैं।

श्री रामचन्द्र : अधिक आबादी किनकी है यह में पूछ रहा हूँ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता, मेरे पास कोई आबादी का नकशा तो है नहीं।

श्री रामचन्द्र : पहली सोसायटी तो सेठ-साहूकारों की है और दूसरी मजदूरों की, किनको ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: मैंने आपसे निवेदन किया पहली जो कोऑपरेटिव सोसायटी है उसमें भी कुछ आदमी काम करते हैं ।

श्री रामचन्द्र : क्या यह सही है कि पहली सोसाइटी सेठ साहूकारों की है जो शोषण करने वाली है और दूसरी मजदूरों की है तो आप इन दोनों में से किसको तरजीह देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वैसे तो मजदूरों को मिलना चाहिये कोशिश यही की जा रही है कि उसको अधिक से अधिक अकोमोडेट किया जाय।

श्री रामचन्द्र : क्या यह सही है कि साहूकार लोग इन मजदूरों को सिम्पल रोयल्टी देकर इसका फायदा उठा रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी शिकायत तो नहीं आई।

श्री रामचन्द्र : शिकायत तो आवे कैसे ? मालूम किया जाय तो पता लग सकता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में मालूम करने की कोशिश की जायगी।

गंगापुर में भूमि मालिकों को मुआवजा

७४६. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला सवाई माधोपुर के गंगापुर कस्बे में कुछ कृषि की भूमि म्युनिसिपल बोर्ड गंगापुर की प्रार्थना पर हरिजनों व भूमिहीनों को बसाने के लिये अवाप्त की गई थी ?

(२) क्या उक्त भूमि के मालिकों को मुआवजा दे दिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों तथा कब तक दे दिया जावेगा ?

(३) क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि का लगान का कम्पेन्सेशन बीस गुना लिया गया है ? यदि हां, तो कब लिया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। क्योंकि मुआवजा की रकम म्युनिसिपल बोर्ड से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रकम प्राप्त होते ही मुआवजा दे दिया जावेगा।

(३) बीस गुना लगान की रकम के लिये तहसील से म्युनिसिपल बोर्ड को लिखा जा रहा है किन्तु अभी तक रकम जमा नहीं कराई गई है।

श्री मूलचन्द डागा : रकम मुआवजा देने के पहले भूमि किस आधार पर ले ली जाती है ?

Page No.20

श्री सम्पतराम : एक्वीज़िशन एक्ट की तहत ।

श्री मूलचन्द डागा : इस एक्ट के तहत मुआवजा देने के बाद जमीन ले सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : दोनों प्रकार से ली जा सकती है ।

राजकीय मिडिल स्कूल, किशनगढ़ की इमारत

७५० **पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजकीय मिडिल स्कूल, किशनगढ़ की इमारत की दशा बहुत जीर्ण शीर्ण है ?

(२) अगर हां, तो सरकार उक्त स्कूल के लिये दूसरी इमारत कब तक बनाने का इरादा रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्र की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां ।

(२) फंड की उपलब्धि पर ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बरसात में बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है क्या इस बारे में पहले सोचा नहीं जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात में छुट्टी नहीं दी जा सकेगी क्योंकि ५८ जनवरी के माह में इसमें कुछ मरम्मत करवादी है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो क्या स्कूल की जीर्ण शीर्ण हालत नहीं है ? कब से ी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया, जनवरी ५८ में कुछ रुपया लगा कर इसकी मरम्मत करवा दी गई है । नई मिडिल स्कूल के लिये बिल्डिंग बनाने का मतलब यह होगा कि स्टेट के फंड से ४०, ५० हजार रुपया दिया जाय । जबकि हम एक तरफ गांव वालों से यह कहते हैं कि बिल्डिंग आप बना कर दो, वहाँ दूसरी तरफ एक शहर के लिये सारी बिल्डिंग बनाना स्टेट के लिये मुमकिन नहीं है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गवर्नमेन्ट की और भी बिल्डिंग पड़ी हैं जिन पर पाँच दस हजार रुपया लगा कर मिडिल स्कूल के लिये काम में लिया जा सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी मरम्मत जनवरी में की थी, इसी साल ।

बारां नगर के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

७५१. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बारां नगर के बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ कितनी कितनी धनराशि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई, एवं कहाँ कहाँ से आना बाकी है ?

(२) कितना रुपया बारां के बाढ़ पीड़ितों को सब्सिडी के रूप में दिया गया एवं कितना रुपया बांटना बाकी है ?

उप अकाल सहायता मंत्री (श्री सम्पत राम) : (१) बारां नगर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ निम्न धनराशि सरकार से मन्जूर हुई एवं चन्दे के रूप जनता से व संस्थाओं से प्राप्त हुई है :

(श्री सम्पतराम)

मुख्यमंत्री सहायता कोष	१०,००० रुपया
सरकार से सहायता संचालक द्वारा	२,००० रु०
राज्यपाल सहायता कोष	१,००० रु०
चन्दे के रूप में	६,००० रु०
बाढ़ तकावी	६,००० रु०
कुल योग	८२,००० रु०

इसके अतिरिक्त कोई रकम अब आना शेष नहीं है।

(२) १५३७६ रु० सब्सिडी के रूप में दिये जा चुके हैं एवं ६६२४ रु० बांटे जाने बाकी हैं।

हायर सैकन्डरी स्कूल

७५२. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार ने हायर सेकन्डरी शिक्षा प्रणाली कब और क्यों प्रारम्भ की थी ?

(२) इस समय राज्य में कुल इस प्रकार के कितने स्कूल हैं ?

(३) हायर सेकन्डरी से पास विद्यार्थी को आगे शिक्षा की क्या सुविधायें प्राप्त है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जुलाई १९५५। हायर सेकन्डरी शिक्षा प्रणाली सेकन्डरी एजुकेशन एक्ट, १९५७ के अन्तर्गत सेकन्डरी शिक्षा को आधुनिक तरीके एवं वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करने के लिये प्रारम्भ की गई।

(२) १६४

(३) त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स हायर सेकन्डरी पास विद्यार्थीयों के लिये शुरू कर दिया गया है, जिससे वे आगे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हायर सेकन्डरी बोर्ड ने अपने रेगुलेशन के अन्तर्गत अन्य सुविधा और दी है जिससे हायर सेकन्डरी परीक्षा में सफल विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष इन्टर में भर्ती किया जा सकता है, अगर वह हायर सेकन्डरी परीक्षा में पास हुए विषय ही रखे।

प्रश्न संख्या ७५३

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित

खनिज विभाग के क्लर्कस को तरक्की

७५४. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या खनिज विभाग में यू० डी० सी० के लिये दूसरे विभागों से टैस्ट के लिये क्लर्क बुलाये गये हैं ? यदि हां, तो ये व्यक्ति किन रूल्स के तहत बुलाये गये हैं ?

(२) क्या यह सच है कि १९५६ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यह नियम निकल चुके हैं कि जिनकी सर्विस सात साल या अधिक हो या ग्रेजुएट जिनको तीन साल की सर्विस हो उनको यू० डी० सी० का चान्स दिया जा सकता है ?

(३) इस तरह के कितने एल० डी० सी० इस विभाग में कार्य कर रहे हैं जो

Page No.22

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

उपरोक्त नियम के अनुसार यू० डी० सी० बनाये जा सकते हैं ?

(४) इनको छोड़ कर दूसरे विभागों से बुला कर यू० डी० सी० बनाये जाने की कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) हां, राजस्थान सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज़ मिनिस्टीरियल स्टाफ रूल्स १६५७ के अन्तर्गत केवल आवेदन पत्र मांगे गये हैं।

(२) जी नहीं।

(३) इस तरह के करीब पचास कर्मचारी हैं।

(४) इस विभाग में इस प्रकार के उपलब्ध कर्मचारी यू० डी० सी० बनाने के योग्य नहीं हैं।

अलवर जिले के जंगलों को राजस्व विभाग को दिया जाना

७५५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ अप्रेल सन् ५६ के बाद अलवर जिले में कौन कौन से फोरेस्ट्स कब कब राजस्व विभाग को मिले हैं ?

(२) इस भूमि में कितने जागीरदारों को कितनी कितनी भूमि और कब कब काश्त के लिये दी गई है ?

(३) इस भूमि को काश्त के लिये अलॉट करने में किन नियमों का पालन किया गया है ? कृपया ऐसे नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) कोई नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद समय पर वेतन का नहीं मिलना

७५६. **श्री लादूराम** (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद वेतन समय पर नहीं मिलता तथा महीनों आदेश की प्रतीक्षा में अध्यापक कार्य करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) इस सत्र में मैट्रिक ग्रेड एवं इन्टर ग्रेड की कितनी महिला शिक्षकों की नियुक्तियां हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये।

(ग) क्या यह सही है कि इनमें से कितनों ही को अभी तक वेतन नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों, तथा अब सरकार नियुक्ति के बाद समय पर वेतन दिलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी नहीं। अधिकतर मामलों में वेतन समय पर ही मिल जाता है।

(ख) सूची तैयार करवाई जा रही है। तैयार होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

Page No.23

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ग) सूची बनने के पश्चात् ही पता लगेगा कि किस को वेतन नहीं मिला और क्यों ? वेतन समय पर दिलाने के लिये यथा-संभव प्रयत्न सदा किया गया है ।

श्री तनसिंह : सूची जब रखी जावेगी तभी सप्लीमेन्टरी भी पूछे जावेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर पूछ लीजि-येगा वाजिब हो तो ऐतराज नहीं होगा । उस वक्त जवाब भी दे देंगे ।

श्री लादूराम : सूची के बगैर पूछेंगे भी क्या ?

क्या प्रश्न को दुबारा लिया जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ले लेना आप ।

सवाई माधोपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च

७५७. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगा-पुर) **: क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :**

सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर, बामनवास, मलारना और बौंली तहसीलों में समाज कल्याण विभाग द्वारा किस किस मद में कितना कितना रुपया ५७–५८ में खर्च किया गया तथा आदिम जातियों तथा हरिजनों पर इसका क्या अनुपात रहा ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री शिव-चन्द धारीवाल) **:** सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर तहसील में इस विभाग द्वारा एक समाज शिक्षण केन्द्र चल रहा है जिस पर ५७, ५८ में, (४०३) रुपया निम्न प्रकार खर्च हुए :

वेतन पर २४०)

अन्य व्यय ३१८)

अनावर्त ८४५)

अन्य तहसीलों में कोई प्रवृत्ति नहीं चल रही है और उपरोक्त शिक्षण केन्द्र केवल हरिजनों के निमित्त है । अत: अनुपात का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जागीर कर्मचारियों की सरकारी नौकरि-यों में नियुक्ति, जोधपुर डिविजन

७५८. श्री तेजाराम गहलोत(सोजत) **:** क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर सब डिवीजन में कितने भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों को सरकारी नौक-रियों में नियुक्त किया गया ?

(ख) इन कर्मचारियों में से कितने रेवेन्यु इन्स्पेक्टर तथा कितने नायब तहसीलदार पद पर नियुक्त किये गये और इनमें से कितने ट्रेन्ड हैं ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) ४४ । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इसके अतिरिक्त हैं ।

(ख) इनमें से एक नायब तहसीलदार, दो रेवेन्यु इन्स्पेक्टर तथा एक ऑफिस कानूनगो के पद पर काम कर रहे हैं । कोई भी ट्रेन्ड नहीं है ।

श्री तेजाराम : इन कर्मचारियों के अनट्रेन्ड होने पर इनकी सीनियोरिटी किस आधार पर फिक्स की गई ?

श्री सम्पतराम : सीनियोरिटी के रूल्स बने हुए हैं, उनके तहत ।

श्री तेजाराम : क्या इनकी सीनियोरिटी फिक्स करते वक्त डेट ऑफ अपॉइन्टमेन्ट्स कन्सीडर की जावेगी, या नहीं ?

श्री सम्पतराम : मैं निवेदन कर चुका कि रूल्स इसके बने हुए हैं, प्रश्नकर्त्ता महोदय अगर उन्हें देखेंगे तो सारी डिटेल की जानकारी मिल जावेगी।

प्रश्न संख्या ७५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहनलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२०

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२१

श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२४ व ७२७

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

अनेक माननीय सदस्य: कौन से प्रश्न ले रहे हैं साहब ? स्थगित प्रश्न लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I would take later on after repeating the names of absentees Yes. I am taking them.

सीकर जिले के पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कॉलरशिप

७२८. **श्री नारायणलाल** (नीम का थाना) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सीकर जिले से सन् १९५६ व ५७ में पिछड़ी जाति के कितने छात्रों के स्कॉलरशिप के फॉर्म आये ?

(ख) उनमें से कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए और कितने छात्रों को कितनी रकम स्कॉलरशिप के रूप में दी गई ?

(ग) क्या यह सही है कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को वंचित रखा गया और फेल हुए छात्रों को सहायता दी गई ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सीकर जिले से सन् १९५६–५७ में छात्रवृत्ति के १२१० आवेदनपत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुए।

(ख) ४०७ आवेदनपत्र रिजेक्ट किये तथा ८०३ छात्रों को १५६८८ रुपया की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई।

(ग) जी हां।

प्रश्न संख्या ७३०

श्री उपाध्यक्ष : भैरवलाल काला बादल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३१

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७३३

श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणलाल।

पढ़े-लिखे हरिजनों को नौकरियां

७३६. श्री नारायणलाल (नीम का थाना, सुरक्षित) : क्या मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में १९५६ से ५८ तक कितने पढ़े-लिखे हरिजनों को नौकरियां दी गई ? कृपया जिले वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : हरिजनों की नियुक्ति सम्बन्धी आंकड़े किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं किये गये हैं। इसलिये उपलब्ध नहीं है।

श्री नारायणलाल : ये कब तक होंगे उपलब्ध ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है। अभी इस बारे में एक सक्युलर सभी डिपार्टमेन्ट्स को भेजा गया है, उसमें लिखा गया है कि उनके डिपार्टमेन्ट में जितनी पोस्टें होती हैं उनमें जितनी हरिजनों के लिये रिजर्व हैं उनमें कितने उन्होंने पोस्ट किये हैं और कितने और लेने बाकी हैं इसकी हर तीसरे महीने बराबर रिपोर्ट सरकार को भेजें। तो यह प्रबन्ध किया गया है। इस पर कुछ आंकड़े आये भी हैं। कुछ विभागों के अभी नहीं आये हैं। उनको और ताकीद की जा रही है। पर आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि अभी तक जो जगहें रिजर्वेशन के लिये सारे राजस्थान में थीं उनमें हमने अब तक ५११ आदमियों को लिया है जब कि लेना चाहिये था ५ हजार को ! इसके बाद में हमने बेकार हरिजनों से अर्जियां भी मांगी थीं तो इससे १९७ अर्जियां आई जिनमें से ११४ आदमियों को हमने नौकरी पर लगा दिया। इनमें से ९ आदमी ऐसे थे जिनको हमने जो ऑफर दी सर्विस की वह उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और अब वेरियस एम्प्लोयमेन्ट एक्सचेन्जों से भी जो नम्बर हमारे पास आये उनकी तादाद ११७ है और इनमें से १४ को और हमने नौकरी पर भेज दिया है। तो यह स्थिति है । अभी कुछ विभागों की चूँकि सूचनाएं नहीं आई हैं इस पर से उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ और भी प्रोग्रेस हुई होगी। पर उनके आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र : हरिजनों के कल्याण के लिये बोर्ड बना हुआ है उसको आपने पूछा है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना वहां से प्राप्त नहीं हो सकती। वह कोई ब्यूरो थोड़े ही है। वह तो हरिजनों के सुधार का नाम करता है, उसकी प्लॉनिंग करता है, उस पर चलता है। पर अपॉइन्टमेन्ट कहां कहां होते हैं, क्या आंकड़े हैं, यह काम समाज कल्याण विभाग नहीं कर सकता।

श्री रामचन्द्र : ब्यूरो से मतलब नहीं है मेरा। पर हरिजनों की क्या प्रगति हो रही है यह जानकारी तो बोर्ड को रखनी चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस सारी प्रगति को क्या आप नौकरी से ही तोल रहे हैं ?

(हंसी)

उनकी अपनी अलग स्कीमें हैं, वे प्रगति की बातें सोचते हैं, प्लॉनिंग बनाते हैं। नौकरी के अलावा भी कई प्रगति की बातें हैं। आपने यहां उस सब के बारे में नहीं पूछा। आपने तो नौकरियों के बारे में पूछा है।

श्री लादूराम : जब पांच हजार नौकरियां

Page No.26

(श्री लादूराम)

मिलनी चाहिये थीं तो वहां पांच सौ ही क्यों मिलीं, बाकी क्यों नहीं मिलीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा, आदमी इतने नहीं मिल रहे हैं। जितने आदमी सामने आये हमने सबको नौकरियां दे दीं । फिर भी टाइम टू टाइम इन राइटिंग सब विभागों से मांग रहे हैं, उनको आगे के लिये सतर्क रहने की हिदायतें दे रहे हैं, यह सब कुछ कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं ?

श्री लादूराम : जब चार साढ़े चार हजार पोस्टें उनके लिये खाली हैं तो उन पर क्यों नहीं बाकी को रक्खा जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको बांध करके लिखाना पढ़ाना और तैयार करना तो हमारे हाथ में नहीं है ।

(हंसी)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जितने हैं उनको तो नौकरियां दे दो ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, ३१ अक्टूबर, १९५८)

जिला उदयपुर में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को सरकार द्वारा दी गई धन-राशियां

२६१. डॉ० बहादुरसिंह (श्री पी० के० चौधरी की अनुपस्थिति में) : Will the Chief Minister be pleased to state :

What are the amounts of grants, loans, subsidies etc. given by State Government to the Educational and Cultural institutions in Udaipur District during the last 3 years ?

Comparative figure of such amount given to similar institutions in other districts may also be given.

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं को कोई लोन या सब्सिडी नहीं दी गई । जो ग्रान्ट इन एड जिला उदयपुर को पिछले तीन साल में दी गई उसकी सूची संलग्न है ।

मुकाबले के अंक के लिए जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री भैरोंसिंह : इन आंकड़ों के अनुसार उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा और जोधपुर जिले में सबसे कम सहायता दी गई, इसका कारण क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे आंकड़े आपने देखे नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आंकड़े मैंने देख लिये हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची (हाथ से बताते हुए) इतनी लम्बी है ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : इतनी लम्बी ही मेरे पास है ।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूरा पढ़ा नहीं है । अन्दाज ही अन्दाज लगाया है ।

Page No.27

श्री भैरोंसिंह : ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। The Hon. Member will see that when one of the members is standing then the other should resume his seat.

श्री भैरोंसिंह : क्या जो मैंने प्रश्न उठाया था, उसको माननीय मन्त्रीजी गलत मानते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सूची के आंकड़ों को पूरा देख लेने पर आप भी सही नहीं कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने आंकड़े देखे हैं। जोधपुर जिले में सबसे कम और उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा ग्रान्ट इन एड दी गई है। इसका कारण क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप टोटल नंबर ऑफ संस्थाओं को देखिये और टोटल अमॉउन्ट देखिये। जहां यह ठीक है कि अमॉउन्ट ज्यादा है तो वहां संस्थाएं भी ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let this be a matter of study for future.

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार ४ नवम्बर, १६५८)

फालना कॉलेज के प्रोफसर

३५३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जोधपुर डिविज़न के फालना कॉलेज में कितने प्रोफेसर और अध्यापक हैं और प्रत्येक कितने कितने घंटे पढ़ाते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त कॉलेज में मैट्रिक पास अध्यापक कक्षा ६ व १० को पढ़ाते हैं ?

कृषिमंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा शिक्षा मंत्री अनुपस्थिति में) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : सूची तो मिली नहीं है और न वहां पर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी दे देते हैं।

श्री लादूराम : क्या यह सत्य है कि फालना कॉलेज में परिगणित जातियों के विद्यार्थी कई पढ़ते हैं और उनसे अभी तक ट्यूशन फी ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ट्यूशन फी तो लेने के नियम बने हैं और कितनों को कैसे माफ करनी चाहिये उसके लिए भी हैडमास्टर्स को इन्स्ट्रक्शन्स हैं। वहां पर कुछ अनुसूचित जाति के मालदार विद्यार्थी हों और उनसे ली जाती हो तो पता नहीं।

श्री लादूराम : सब तो मालदार नहीं हैं लेकिन फालना कालेज में अब भी अनुसूचित जाति के कई विद्यार्थियों से फी ली जाती है, जब कि राजस्थान में ऐसा नियम है कि अनुसूचित जाति के लोगों से कोई ट्यूशन फी न ली जाये ?

(कोई उत्तर नहीं मिला)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार ५ नवम्बर, १६५८)

फूड एण्ड सप्लाई विभाग, कोटा का व्यापारियों पर बकाया रुपया

४१३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिला में किन किन व्यापारियों की ओर कोटा फूड एण्ड सप्लाई विभाग का कितना कितना रुपया राजस्थान बनने से पूर्व तथा पश्चात् का अभी तक बाकी है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें ?

(२) इन व्यक्तियों से उक्त रकम वसूल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जो कार्यवाही की जा रही है, वह सूची में दर्ज है ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

स्थगित प्रश्न

(गुरुवार ६ नवम्बर, १६५८)

मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर

७४७. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगूंदा) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) मन्त्री, मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर को कुल कितनी कीमत का अनाज किन किन शर्तों पर दिया गया ?

(२) अनाज की कीमत में से कितनी रकम आ चुकी है और कितनी रकम लेना बकाया है ?

उप वित्त मंत्री (श्री रिखबचन्द-धारीवाल) : इसकी पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, इसलिए अगले टर्न पर इसका जवाब दिया जा सकेगा ।

श्री लक्ष्मण हीरात : यह सूचना कब तक आ जायेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि अगले टर्न तक ।

१२. म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री शिवचरण दास ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक २४-१०-५८ से २०-११-५८ तक अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए अनुमति चाही है । क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

एक माननीय सदस्य : हां ।

एक माननीय सदस्य : नहीं (धीमी आवाज में)

श्री उपाध्यक्ष : क्या अनुमति नहीं है ?

(हँसी)

(आज्ञा प्रदान की गई)

(विराम)

Page No.29

(श्री उपाध्यक्ष)

I will convey this 'No' to Shri Sheocharan Das.

श्री सम्पतराम ।

राजस्थान बिक्री कर (वैधकरण) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (वेलिडेशन) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह ।

(डॉ बहादुरसिंह के खड़े होने से पूर्व)

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर संक्षेप में माननीय मन्त्री महोदय थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रकाश किस प्रश्न पर ?

श्री तनसिंह : जिस बिल को अभी विचारार्थ लिया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह के प्रस्ताव से प्रकाश मिल जायेगा ।

श्री तनसिंह : उनके द्वारा विकुल रूप से प्रकाश मिल जायेगा, या फिर यह समझा जाये कि उन्होंने पढ़ा नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान बिक्री कर (वैधकरण) विधेयक, १९५८ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, जो कि अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे । सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत की जायेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक इसी सत्र में शायद बिक्री कर के संबंध में दूसरा है । इससे पहले भी एक विधेयक आया था और उसके बारे में यहां सदन में काफी बहस हुई थी और बहस विशेषकर सेन्ट्रल सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स रेट्स और जो सेल्स टैक्स की दूसरी परेशानियां हैं उनके बारे में हुई थी । अब यह जो दो प्रश्न थे कि केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत जो सेन्ट्रल सेल्स टैक्स में कुछ संशोधन हुए और फिर कुछ आवश्यक सामग्रियों के सम्बन्ध में हैं, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन है कि जब से आपकी कस्टम ड्यूटी समाप्त हुई और सेल्स टैक्स प्रारम्भ हुआ तो राजस्थान के व्यापार में प्रगति हुई, राजस्थान के व्यापारियों को क्या सुविधा मिली ? इस पर जरा गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को अगर सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये तो हो सकता है सिलेक्ट कमेटी सारे व्यापारियों से या व्यापारियों के प्रतिनिधियों से इस बात का विचार कर सकती है कि जो सेल्स टैक्स में समय समय पर संशोधन किये जाते हैं वह सेल्स टैक्स विभाग की कमजोरी है या व्यापारियों के अन्य कारण से है या हमारे लॉ डिपार्टमेन्ट की खामियों से है । जब से सेल्स टैक्स प्रारम्भ हुआ राजस्थान का व्यापार बराबर अवनति की ओर जा रहा है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ एक

(डॉ० बहादुरसिंह)

चीज के बारे में, हालांकि वह एक ऐसी चीज है जिसे हर एक आदमी नहीं खरीदता है और वह है मोटर । मोटर को आप देखेंगे कि राजस्थान में एक मोटर जिसकी कीमत २५,००) रुपया बताते हैं और जिस पर सेल्स टैक्स, इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स और दूसरे खर्चे मिलाकर करीब मार्जिन मथुरा और आगरा के बीच में १२५० रुपये के बीच रहता है । अब आप ही अन्दाजा करिये कि जो व्यक्ति २५,००) रुपये की चीज राजस्थान में खरीदेगा, अगर उसी चीज को मथुरा या आगरा में खरीदे तो १२५० रुपये का प्रोफिट रहता है, तो वह राजस्थान से क्यों खरीदने लगा ? यहां जयपुर में मार्केट के अन्दर वह आती है तो यहां की म्युनिसिपैलिटी को इन्कम होगी, लेकिन वह व्यक्ति आपकी सेल्स टैक्स पॉलिसी के कारण राजस्थान में से उस चीज को न ले कर दूसरी जगह से लेता है । हमारे यहां जो सेल्स टैक्स की दरें हैं पिछली दफा रेट ६। पर्सेन्ट से ७ पर्सेन्ट की गई थी, जब कि दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में करीब ३।। पर्सेन्ट इस प्रकार का टैक्स है । इस तरह से जो यहां की दरें हैं उनमें बड़ी खामियां हैं और इस प्रकार से जो संशोधन समय समय पर आते हैं उनके अन्दर भी हम क्या करते हैं कि यदि किसी कानून से या अपने कानून की खामियों से व्यापारी हाईकोर्ट में जीत गये और उनके जीतने से यह लगा कि हमारी तो बड़ी मुश्किल पोज़ीशन हो गई और जो सरकार ने पहले सेल्स टैक्स ले लिया है उसको किस प्रकार से वैलिड करें ? इस तरह से आपके अधिकारियों की बुद्धि के अभाव में या किसी अन्य प्रकार से आप हाईकोर्ट में हार गए या दूसरे कोर्ट्स में आपको डिफीट मिली, ठीक है आपको अधिकार है, क्योंकि गवर्नमेन्ट आप चलाते हैं, लेकिन यह मंशा नहीं होनी चाहिए । जब किसी न्यायालय का निर्णय हो गया और उस पर आप अपना सेल्स टैक्स वैलिड करना चाहते हैं तो इस प्रकार के संशोधन समय समय पर नहीं लाने चाहिये । अगर आप लाना ही चाहते हैं तो वह संशोधन इस प्रकार के होने चाहिये कि आगे से जो इस प्रकार के टैक्सेज़, हैं वह वैलिड होंगे । यह नहीं कि पिछले सेल्स टैक्स को आप वैलिड कर लें । इसी सम्बन्ध में मैंने पिछली दफा बताया था कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सेल्स टैक्स के लिए भी 'सी फार्म' का झगड़ा होता है । पिछली दफा मैंने अर्ज किया था कि राजस्थान के अन्दर पहले 'सी फार्म' फ्री मिला करता था लेकिन अब फीस लेते हैं और उस हालत में भी 'सी फार्म' मिलता नहीं है । मैंने आपको अर्ज किया था कि मेरे सब-डिविज़न में जो व्यापारी लाखों रुपयों का बिज़नेस करते हैं वे आपके 'सी फार्म' के लिए दर्ख्वास्त देते हैं मगर आपका ऑफिस कहता है कि हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते । आप फॉर्म्स को बेचते हैं और उसके बाद में भी वे उपलब्ध नहीं होते, तो फिर आप ही बताओ कि उसको कितना सेल्स टैक्स देना होता है ? मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आपका जो तरीका है, आपकी जो रेट्स हैं वे इस प्रकार की हैं कि राजस्थान में व्यापार दिनों दिन गिर रहा है । एक छोटी-सी बात है ऊन की । आप देखेंगे कि ऊन के अन्दर दिल्ली में कोई सेल्स टैक्स नहीं है । यह कॉटेज इन्डस्ट्री है । हमारे यहाँ की सभ्य महिलाएँ अक्सर ऊन के स्वेटर और दूसरी चीजें तैयार करती हैं । लेकिन राजस्थान में क्योंकि 'वूमेन' इन्डस्ट्री में कॉउन्ट नहीं किया और उस पर ७पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगा दिया इसलिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक छोटी-सी चीज जो गृह उद्योग

(डॉ० बहादुरसिंह)

के और दूसरे कामों में नहीं आती उस पर हम ७ पर्सेन्ट टैक्स लगाते हैं। आप देखिये कि सभ्य समाज कोई दिल्ली जाता है और वहां से ऊन खरीद लायेगा क्योंकि वह राजस्थान की या जयपुर की दूसरी मण्डियों से खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन बातों पर गंभीरता से विचार करना है कि ऊन लग्जूरियस चीज नहीं है। ऊन आवश्यक चीज है और ऊन के ऊपर ७ पर्सेन्ट का सेल्स टैक्स रहा है। एक चीज और बताऊं। वह है कागज। आप शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षा बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा के उपयोग पर आने वाली चीजों पर सेल्स टैक्स लगा रखा है ४ पर्सेन्ट। यह एक ऐसी चीज है जिससे मैं समझता हूं विद्यार्थियों को, माननीय सदस्यों को और जो बुद्धिवादी लोग हैं उनको दिन रात काम पड़ता है और उस पर आपने लगाया है ४ पर्सेन्ट सेल्स टैक्स। इस प्रकार के सेल्स टैक्स की रेट्स हैं, वह रेट और इन्टर स्टेट्स का झगड़ा है, ये इस प्रकार के हैं कि इन पर आपको एक कमेटी बैठानी चाहिए या स्वयं किसी प्रकार से इन विषयों पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह राजस्थान के जीवन मरण का प्रश्न है। कस्टम ड्यूटी की बात यह थी कि राजस्थान के अन्दर माल कोई आये उसी पर लगता था, चाहे वह व्यापारी लाये चाहे निजी प्रयोग के नाम पर लाया जाय, लेकिन सेल्स टैक्स में ऐसी बात नहीं हो सकती है। उसमें व्यापारी मंगायेगा, 'सी फार्म' दाखिल करेगा, एन्ट्री होगी, आपके पास में रेकॉर्ड होगा और सेल्स टैक्स वसूल करेंगे, लेकिन जो निजी प्रयोग की चीजें बाहर से लाते हैं उनका आप सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं। उनकी कस्टम ड्यूटी वसूल करते थे। इसका मतलब यह है कि आप राजस्थान के व्यापार को बिल्कुल क्लोज़ करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो राजस्थान सरकार स्वत: इस बात का संशोधन कर ले कि जो इन्वेलिड हो चुका था उनसे वसूल नहीं किया जायेगा, और आगे से नियमानुसार वसूल किया जावेगा या फिर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहिए और सिलेक्ट कमेटी में बैठकर इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। मैं आशा करता हूं राज्य सरकार, चूंकि यह एक छोटा सा विधेयक है, इस चीज को स्वीकार कर लेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेशन बिल जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ इसके ऊपर धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव पेश करके इस बात की मांग की है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। विरोध केवल इसलिए नहीं कि वह प्रवर समिति में जाने लायक है या नहीं, लेकिन मेरा विरोध इसलिए है कि यह कानून सिद्धान्तत: गलत है, और इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं। सदन को यहीं इस कानून को रिजेक्ट कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी कि एक दिन वह भी आयेगा कि हमारी राज्य सरकार एक कानून इस प्रकार का भी पेश कर देगी कि जिस कानून के जरिये इस बात की ख्वाहिश प्रकट की जायगी कि यदि राज्य सरकार ने कोई टेक्स लगा दिया और उस टेक्स के अन्दर लेजिस्लेटिव सैन्क्शन भी नहीं हो तो इस प्रकार के लगाए हुए टैक्स को वैध समझा

(श्री भैरोंसिंह)

जायगा। मैं तो यह कहूंगा कि यह कानून यदि पास होता है तो विधान सभा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाती है, और जहां विधान सभा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाती है, उसका तात्पर्य यह होगा कि प्रजातन्त्र अपनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के द्वारा ही समाप्त होने की स्थिति में जा रहा है, या हो सकता है कि हमारी राज्य सरकार यह कहे कि इस कानून को नहीं बनाने से हमने जो टेक्स वसूल कर लिया है, वह जिन लोगों से वसूल किया है, उन्हें वापिस देना पड़ेगा। हो सकता है कि इसके कारण से राज्य सरकार के बजट में कुल घाटा आये, राज्य सरकार को अपने खजाने से भी कुछ रकम निकाल कर इन लोगों को वापिस देना पड़े। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और और आज यह मेरी बदकिस्मती है कि जो कुछ पहले कहा था और उस पर जिस प्रकार का उत्तर मिला था, वह माननीय वित्त मंत्री जी जो वास्तव में इस बिल को पायलॉट करने वाले थे आज उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने उस दिन कई बातों की दुहाई दी थी, मैं उन बातों का उल्लेख तो नहीं करना चाहता, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था इस कानून के द्वारा हो रही है उसका संकेत मिलता है इस कानून की धारा ३ से जिसमें लिखा है :

"Notwithstanding any defect in, or want of, form, procedure, jurisdiction or competent legislative senction the tax levied or leviable under the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Rajasthan Act XXIX of 1954) on the sales of essential goods made on or after the first day of April, 1956 and till the repeal of the Central Act by parliament as from the 5th day of January, 1957 shall be deemed to have been validly and lawfully levied or to be validly and lawfully leviable, as the case may be."

इसमें बाकी का पोर्शन शायद महत्वपूर्ण है या नहीं, लेकिन ऊपर की तीन लाइन्स निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। माननीय उप-वित्त मंत्रीजी, जिन्होंने इस बिल को पेश किया है वे स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि यदि इन शब्दों का हम कानून में प्रयोग करते हैं "Notwithstanding any defect," कानून में किसी प्रकार की गलती रहे इसकी कोई चिन्ता नहीं है, उसके फार्म और प्रोसीजर में कोई गलती रहे, कमी रहे इस बात की कोई चिन्ता नहीं, उस टैक्स लगाने वाले का कोई अधिकार है या नहीं इस बात की कोई चिन्ता नहीं, और विधान सभा की उसको सैन्क्शन मिली हुई है या नहीं. इस बात की बिल्कुल चिन्ता नहीं. लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा वह टैक्स लगा कर वह टैक्स वसूल हो रहा है। मैं समझता हूं कि यदि ब्यूरोक्रॉटिक जमाने के अन्दर ऐसा कानून बनता, पाकिस्तान का तानाशाह इस प्रकार का कानून लगाता तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था के अन्दर हमारी राज्य सरकार की तानाशाही मनोवृत्ति को लेकर सदन में यह बिल पेश हुआ है और सदन उसको स्वीकृत करता है. उस पर अपनी मोहर लगाता है तो मैं समझता हूँ कि विधान सभा के इतिहास के अन्दर आज ऐसा दिन होगा कि राजस्थान विधान सभा इस प्रकार के कानून पास कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलायेगी। लेकिन यदि बहुमत के आधार पर उस प्रकार के कानून की आवश्यका को महसूस करते हैं, इस प्रकार कानून को लागू करने की चेष्टा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के बनाने

(श्री भैरोंसिंह)

के पूरे इतिहास को देखना है तो पता लगेगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर जिस समय कस्टम बन्द की गई और १६५४ के अन्दर सेल्स टैक्स लागू किया गया तो उसकी एक धारा के अन्दर एसेन्शियल कॉमोडिटीज सेन्ट्रल एक्ट, १६५२ के अन्दर जिन्हें एसेन्शियल कॉमोडिटीज डिक्लेअर किया गया उसमें की कुछ चीजों के अन्दर लास्ट पॉइन्ट पर टैक्स इम्पोज किया। वह टैक्स इम्पोज १६५६ तक किया। १६५६ के बाद में यदि एसेन्शियल गुड्स के ऊपर टैक्स इम्पोज करने की बात आती है तो इस बात की विधान सभा से स्वीकृति लेनी चाहिए। लेकिन हमारी राज्य सरकार और हमारे वित्त मंत्री, यदि यह असंसदीय भाषा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हुई तो भी मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि इस प्रकार के कामों में बिल्कुल अयोग्य सिद्ध होते हैं। उनकी अयोग्यता का फायदा राजस्थान का विधि विभाग उठाता है। वह भी इस प्रकार की कानूनी बातों में अयोग्य होता है तो राजस्थान के विधि विभाग को बन्द कर देना चाहिए, उसके ऊपर ताला लगा देना चाहिए, और जो लाखों रुपया गरीब जनता का उस पर खर्च होता है उसको बन्द कर देना चाहिए। राज्य सरकार को विधि विभाग ने सलाह दी कि इस कानून के अन्दर नोटिफिकेशन इश्यु किया जा सकता है, जिसके अन्दर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है, वहां पर गवर्नर की स्वीकृति से काम चलाया जाता है। उसके बाद में मिल वाले जाते हैं, पाली मिल वाले जिनके ऊपर उस टैक्स का सीधा असर होता है उन्होंने राज्य सरकार के पास रिप्रेजेन्टेशन किया, कोर्ट में दावा दायर किया, उस समय हमारी सरकार एक तरीका अपनाती है कि जो कुछ गलती की है, लॉ डिपार्टमेंट ने गलती की है, उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया है, उसकी कोई चिन्ता नहीं, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कोई सजा नहीं, हमारे माननीय मंत्रीगण विधान सभा में पश्चाताप करें, इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन इस प्रकार का कानून विधान सभा में लाया जाय और उसको पास कराया जाय।

चाहिये तो यह था कि उप मन्त्रीजी खड़े होकर कहते कि हमने गलतियां की हैं, लॉ डिपार्टमेंट ने गलतियां की हैं। जिस जगह राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता थी उस जगह गवर्नर की सेंक्शन ली है। उनको चाहिये तो यह था कि लॉ डिपार्टमेंट के अफसरों को पहले मुअत्तिल करते, उनको सजा देते, जिससे उदाहरण सामने रहता कि आयन्दा ऐसी गलती कोई नहीं करे। वित्त मंत्रीजी स्वयं तो यहां पर आते नहीं हैं और उप मन्त्रीजी को भेज देते हैं, इसलिये कि कोई स्टेज यहां पर सफाई देने को आवे तो उपमन्त्रीजी तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकेंगे और इस तरह से सदन उस पर वाद विवाद नहीं कर सकेगा। यहां पर जो इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का सवाल आया है उससे काम चलने वाला नहीं है। आज इसके द्वारा विधान सभा के सदस्यों को एक प्रकार की चुनौती दी है और बिना विधान सभा की कोई परवाह किये कानून बना दिया है यह समझ कर कि आवश्यकता नहीं है विधान सभा की स्वीकृति की। हमने कानून लागू कर दिया और उसके दो वर्ष बाद उसकी स्वीकृति लेने के लिए विधान सभा के पास जाते हैं। जिस समय यह कानून लागू किया उस समय भी विधान सभा की बैठक चल रही थी, उसके बाद में बजट सैशन, शरद-

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

कालीन बैठक हुई और उसके बाद में फिर विधान सभा की बैठक हुई। इस तरह से चार बैठकें हो गईं लेकिन उन बैठकों में स्वीकृति के लिए इसे लाने की सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी और विधि विभाग की आंखें नहीं खुलीं और आज सरकार की आंखें खुल रही हैं। वहां इस बात का भी जिक्र किया है want of form of procedure. कोई प्रोसिजर काम में लिया है या नहीं, कोई फॉर्म था या नहीं इसकी कोई चिन्ता नहीं, लाठी के जोर से जिस किसी से भी आपने टैक्स वसूल किया है वह वाजिब है। कोई यह समझते होंगे कि इस प्रकार के कानून को विधान सभा से पास कराने जायेंगे और वे यह कहेंगे कि सरकार गलत रूप से टैक्स लगाने जा रही है। तुम्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि इसका फॉर्म क्या है, प्रोसीजर क्या है, और तुम्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि जुरिस्डिक्शन क्या है, ये बातें विधान सभा में सरकार से पूछी जाती। लेकिन हमें अफसोस है कि मन्त्रीजी की तरफ से इसके लिए कोई जवाब नहीं है। विधि विभाग इस मामले में क्यों चुप रहा? जिस तरह से वित्त मन्त्रीजी कहते हैं कि यह नैतिकता का प्रश्न है, कानून का प्रश्न नहीं है। मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कुछ ऐसे नैतिक प्रश्न होते हैं लेकिन जहां नैतिकता का विश्लेषण व्यवहार से नहीं कर सकते या अन्य बातों से नहीं कर सकते, वहां उसका विश्लेषण सही रूप से आचरण के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ अगर किसी व्यक्ति ने टैक्स नहीं दिया तो निश्चित रूप से उस पर पेनल्टी होगी, जो कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको सजा होगी या और किसी तरह का कोई अपराध करता है और कानून के द्वारा वह अपराधी माना गया है तो निश्चित रूप से उसको सजा होगी। लेकिन यदि सरकार अपराध करे, सरकार का विधि विभाग अपराध करे या मन्त्री महोदय अपराध करें, तो उनको सजा नहीं दे सकते। यहां आकर विधान सभा में खड़े हो जाते हैं जैसे वे जो कोई बात कहेंगे उस पर विधान सभा अपनी मुहर लगा देगी और इस तरह आगे आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Are we not discussing the man more than the measure itself?

श्री भैरोंसिंह : यह मामला इसी प्रकार का है।

श्री तनसिंह : इसमें मैन इन्वोल्व्ड ज्यादा होता है।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर का (व्यक्ति) इन्वोल्वड होता है तो...

श्री भैरोंसिंह : इसलिये तो कानून पास हुआ है, लॉ डिपार्टमेंट इन्वोल्व्ड होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आपने काफी प्रकाश डाला है, वापिस रिपीटिशन नहीं होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस पर ही प्रकाश डाल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये। With this due caution.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) ऐसी स्थिति में हमारी राज्य सरकार को काफी सतर्क रहना पड़ेगा, उनको वह कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसके जरिये इस तरह की बातें बन्द हों। उनको यह व्यवस्था लानी होगी जिससे सदन के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। जिस किस

(श्री भैरोंसिंह)
भी तरह से कानून पास हुआ है उसके बारे में देखना चाहिये कि सदन के अधिकारों का अतिक्रमण करके कोई कानून लागू किया गया है तो सरकार के सामने एक मार्ग हो जायगा और जब कभी टैक्स इम्पोज करना पड़े और वह यह समझे इसे यदि सीधा विधान सभा में रखेंगे तो सदस्य इसका विरोध कर सकते हैं और जन-भावना को भी उभारा जा सकता है या जनता को विरोध करने की स्थिति में लाया जा सकता है, इसलिए यह अच्छा होगा कि पहले का जो मार्ग है ऑर्डिनेन्स इश्यू करने का, उसे काम में लाया जाय या तीसरा तरीका जो लॉ डिपार्टमेंट ने निकाला है, जिसमें गवर्नर के अधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और विधान सभा के अधिकारों के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं है और विधि विभाग जो तीसरा गवर्नर या दूसरी एसेम्बली बन कर, जो कानून बना दे उसको मान्यता दे दी जाय। यह तीसरे प्रकार का रास्ता सिर्फ हमारे राज्य में और हमारी विधान सभा में आज बनने जा रहा है। एक तरफ तो प्रजातन्त्र का मूल सिद्धान्त है और दूसरी तरफ लॉ डिपार्टमेंट की भयंकर भूल है। इसका जो रिजल्ट है, यदि उस भयंकर भूल के लिए प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को ठुकराया जाय तो यह उचित नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट को जो सजा मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। मन्त्रीजी को भी सतर्क रहना चाहिये था। सारी कार्यवाही पूरी नहीं होगी तो रिट पिटीशन होंगी। इन सबका तात्पर्य यह होगा कि लेजिस्लेचर के पॉवर्स का अतिक्रमण होगा और लॉ विभाग को तीसरी तरह का अधिकार मिल जायगा जिसका न तो संविधान में उल्लेख है और न रूल्स में इसका उल्लेख है। इसलिए मैं विधान सभा के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे सरकार के भुलावे में न आवें। सरकार कह सकती है कि पैसों का नुकसान होगा लेकिन पैसों के नुकसान की चिन्ता नहीं करनी चाहिये और जिस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसकी पुष्टि नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैंने सिद्धान्ततः इसका विरोध किया है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इसका डटकर विरोध करें और इसे किसी भी तरह से पास नहीं होने दें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वह एक ऐसा नमूना है जिससे किसी भी लेजिस्लेचर को या किसी भी सरकार को गौरव अनुभव नहीं हो सकता। इसमें एक ऐसी बात है जिसे बहुत खूबी और चतुराई के साथ में छिपाने की कोशिश की है। इसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स इतना गोल-माल और भ्रमवाला है कि समझ नहीं सकते कि इसका अभिप्राय क्या है? इसीलिये मैंने मन्त्रीजी से अनुरोध किया था कि प्रारम्भ में ही स्पष्टीकरण करें, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद भी जिन बातों को आप छुपाना चाहते हैं वे बातें भी यदि इसका अध्ययन किया जायगा तो छुपी रह नहीं सकतीं। इस प्रकार का जो असफल प्रयास किया जाता है वह हमारे सामने शोभाप्रद नहीं है।

आज इस महत्वपूर्ण कानून में जो हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसमें आगे आने वाले किसी टैक्स को इम्पोज करने की बात नहीं है, बल्कि कोई टैक्स पहले लगाया गया है उसके विषय में न तो उसके पीछे कोई प्रोसीजर है और न जुरिस्डिक्शन है और न कॉम्पीटेन्ट लेजिस्लेटिव सेंक्शन है बल्कि यह समझ लीजिये कि एक ब्लेन्क

(श्री तनसिंह)

पेपर है जिसके लिए कहा जा रहा है कि हमने जो कुछ कर लिया है वह ठीक है । राजस्थान सरकार मद्रास में यदि कोई टैक्स लगा रही है तो उसके लिए जुरिस्डिक्शन की और कॉम्पीटेन्ट सैंक्शन की आवश्यकता है, उसको गुरेंज करके भी हां कर दे और यह कह दे कि जो कुछ किया गया है वह ठीक किया गया है, यदि यह स्थिति राजस्थान विधान सभा के सामने रखी जाती है तो इससे बढ़कर सरकार को नीचे देखने का रास्ता नहीं मिलता है । मैं यह नहीं कह सकता कि गलती क्यों रही, यदि कानून में कमी रह जाती है तो रहे पर उसे तुम्हारे सामने रखते हैं तो उस गलती का गुरेंज क्यों करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताने से गुरेंज क्यों करते हैं ? मैं समझता हूँ, यह इस प्रकार का कानून होगा जिस पर प्रेसिडेन्ट या गवर्नर की सैंक्शन नहीं मिली होगी लेकिन फिर भी कानून काम में लाया जा रहा है । इसलिए अब विधान सभा के सामने लाने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । प्रोसिजर में तो गलती हो सकती है लेकिन जुरिस्डिक्शन की गलती करने का क्या अभिप्राय है ? क्या हमारी सरकार यह चाहती है कि उसने टैक्स जुरिस्डिक्शन के बाहर भी वसूल किया है तो भी उसको जायज माना जाय । हमारे सामने एक कानून आया है वह ऐसा है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि विधान सभा आपकी इच्छाओं पर मुहर लगा दे । हमारे सामने कानून पेश होने से पहले उसकी छानबीन अच्छी तरह से कर लेनी चाहिये । सरकार को ऐसा मौका नहीं देना चाहिये कि आनन फानन कानून रख दे और विधान सभा उसे पास कर दे । कई बार ऐसा होता है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विरोध में फैसला कर देते हैं और उसके अनुसार सरकार दूसरा कानून बना देती है, हमें चाहिये कि कोर्ट की व्यवस्था को बनाये रखें । न्याय व्यवस्था के अन्दर लेजिस्लेशन का अनावश्यक रूप से प्रयोग न करें । हम चाहते हैं कि अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून को अमल में लाने की आवश्यकता नहीं । सच्चाई की बात तो यह है कि एक कानून ठीक ढंग से बना दिया है और अदालत ने उसे गलत करार दिया है तो वह गलत है । आप नये सिरे से टैक्स लगायें । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिछला जो आपने टैक्स वसूल किया है, जिसे गैरकानूनी करार दिया है, उसको वैधानिक करार देने के लिए अपने विधायक अधिकारों का प्रयोग करें; यह विषय ठीक उसी प्रकार का है । इस कानून को जिस सम्बन्ध में रखा है वह कानून न केवल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर ही कुठाराघात करता है किन्तु हमारे विधायक अधिकारों पर, जो संविधान द्वारा दिये गये हैं, भी कुठाराघात करता है । संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि किसी टैक्स को लागू करने से पहले लेजिस्लेटिव बॉडी की सैंक्शन होनी चाहिए, तब वह टैक्स इम्पोज किया जा सकता है । पहले स्टेट की विधान सभा उस कानून को पास करे, उसके बाद संविधान में जो मर्यादायें हैं, उनका पालन करना भी आवश्यक है । कानून के पास होने के बाद उस पर प्रेसीडेन्ट या गवर्नर की स्वीकृति होना आवश्यक है । उसके बाद उस कानून का गजट में प्रकाशन होना भी आवश्यक है । अब सिर्फ यह सवाल नहीं है कि इस लेजिस्लेटिव बॉडी से जो कुछ कानून बनाया है, वह पर्याप्त नहीं है, बल्कि तीनों प्रकार की फॉरमेलिटीज को ओवरलुक करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है । अगर

(श्री तनसिंह)

ऐसा करते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस कानून को पास करने में, जो संविधान भारत में पास किया गया था, और उसमें जो प्रावधान हैं, उनको ताक पर रख रहे हैं और अपनी मर्जी के अनुसार जो कानून यहां पेश किया है, उसको पास करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो यह कहां तक ठीक होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। अब एक मोटा सवाल पैदा होगा कि जो टैक्स आपने वसूल कर लिया है, वह आपको वापिस देना पड़ेगा। इसलिए आप इस प्रकार का कानून लाते हैं। आप अपनी गलती को ठीक नहीं कर सके, इसकी चिन्ता आपको नहीं है क्योंकि पैसा वापिस देना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करता है, कानून की स्पष्ट मन्शा का उल्लंघन होता है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, जो उसका उल्लंघन करता है। न कि उनको, जो गुड फेथ में टैक्स भरते हैं। जब कि लोगों ने ऐसा टैक्स भर दिया है, जिसको कि आपने कानून की मन्शा के विरुद्ध वसूल कर लिया है, जब कि कानून इस प्रकार का नहीं था, इस टैक्स को वसूल करने का कानून नहीं था तो सच्चाई यह है, ईमानदारी इसमें है, संविधान यह कहता है कि उस टैक्स को वापिस देना चाहिए। माननीय मंत्रीजी के पास तो इस प्रकार का लेखा जोखा है कि जो पैसा जेब में आ गया है, उसको अब निकालना मुश्किल है। इसलिए जो कानून आया है, उसको पास करने के बाद गैरकानूनी रूप से रुपया हजम कर लें। मैं समझता हूं कि टैक्स कानून के अनुसार इम्पोज किया जा सकता है, अगर गैर कानूनी रूप से टैक्स लिया जाता है तो वह टैक्स नहीं होता है, वह रुपया हडप किया हुआ माना जा सकता है। अगर इस रुपया को वापिस नहीं देना चाहते तो मैं इसे जनतंत्र का रास्ता नहीं मान सकता। अगर हमने गैर कानूनी तरीके से किसी का रुपया अपनी जेब में रख लिया है तो सच्चाई यह कहती है कि उस रुपये को वापिस देना चाहिए, बजाय इसके कि गलत चीज को सत्य सिद्ध करने में अपना जोर लगावें। अच्छा तो यह है कि ईमानदारी सिद्ध करें और पैसा वापिस कर दें। माननीय मंत्री-जी कहेंगे कि इससे काफी कॉम्प्लीकेसन्स पैदा होंगे, रुपया वापिस देने में न जाने किन किन लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बड़ा लम्बा प्रोसीजर होगा। आखिर नतीजा क्या होगा, कहां सीमा निर्धारित की जायगी, कि सरकार इस प्रकार की गलती फिर नहीं करेगी ? हमारा कानून विभाग सोता रहेगा, तीन वर्ष तक और उसके बाद कान फड़फड़ा कर उठेगा और कहेगा कि यह कानून पास करो, इसके वैधानिक अधिकार नहीं हैं, इसलिए दूसरा कानून पास किया जाय और हमारे पास इस प्रकार का कानून आयेगा। हमने बार बार छुट्टी देकर, ढील देकर, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर, कानून को पास कर सरकार को मदद दी, इसके बावजूद भी सरकार आँख खोल कर चलने का प्रयत्न नहीं करती और सरकार के अन्तर्गत, जो विभाग हैं, वे विभाग भी उन कानूनों के ऊपर, जिनमें डिफेक्ट्स होते हैं, बैठे रहते हैं और उसके बाद जब न्यायालय में या और किसी प्रकार से कोई खामी मिलती है तब वे विधान सभा में दौड़े दौड़े आते हैं और यहां कानून पास करवाने की चेष्टा करते हैं। यह बहुत हेय तरीका है। जो सही तरीका है, हम उस पर नहीं चलते और अपना ठीक प्रकार से उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे हैं। हमारा उत्तरदायित्व इस बात में है कि जो

Page No.38

(श्री तनसिंह)

कानून आयें, उनका ठीक प्रकार से अध्ययन करके उन्हें पास करें लेकिन सरकार की गलतियों को ठीक करने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम जनता को संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों की रक्षा करना और उनका प्रतिनिधित्व करना है। लेकिन इस प्रकार प्रतिनिधित्व नहीं होता और संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों की रक्षा नहीं होती। यदि हम सरकार के द्वारा गलत कदम उठाये गये हैं, जो गलत ढंग से कानून बनाये हैं, उनको ठीक प्रकार से रखने के तरीके से अवगत नहीं कराते। ऐसी अवस्था में जो कानून प्रस्तुत हुआ है, उसको सरकार बिना हिचक के वापिस ले ले। क्योंकि यही रास्ता है जिसका पालन उन्हें करना चाहिए अन्यथा उन्हें केवल इस बात का दम्भ हो कि वे बहुमत के आधार पर इसे पास करा सकते हैं तो मुझे खेद है कि हम उस दम्भ में योग नहीं दे सकते और हमारी जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार इस बिल को पास करने में अपना समर्थन नहीं दे सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूँगा, सभी माननीय सदस्यों से कि अगर इस प्रकार कानून पास करते जायेंगे तो सरकार को ठीक रास्ते पर लाने का कोई साधन नहीं होगा। सरकार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सरकार को ठीक रास्ते पर लायें, लेकिन इस प्रकार कानून पास करके नहीं ला पायेंगे और फिर ईश्वर या दूसरा कोई आदमी भी सरकार को ठीक रास्ते पर नहीं ला सकता। ऐसी अवस्था के अन्दर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या किसी एक दिन पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह कानून पास नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष, कानून जाननेवालों की निगाह में विधान सभा की पूअर पिक्चर आती है...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज़, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य, जहाँ तक सदन की मान प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है, इस बारे में बाहरवाले क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं, इस पर प्रकाश नहीं डालें।

श्री तनसिंह : मैं सदन की प्रतिष्ठा को बहुत ऊँचा मानता हूँ, इसलिए मैं सदन के सामने उसकी प्रतिष्ठा के बारे में अपने घर में ही निवेदन करना...

श्री उपाध्यक्ष: भाई, निवेदन इस ढंग से न करें।

श्री तनसिंह : दूसरे ढंग से कर दूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जिससे प्रतिष्ठा बढ़े।

श्री तनसिंह : मैं सदन की प्रतिष्ठा का पोषक हूं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिष्ठा बनी रहे और उसके विरुद्ध आनेवाले जो कानून हैं, उनके लिए स्पष्ट राय से कह देना चाहिए कि हम पास नहीं करते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए हमें ठीक प्रकार के कानून पास करने चाहिए। हम यहां पर सरकार को गलती सुधारने के लिए हैं, उसको डिटो करने के लिए नहीं बैठे है। इन शब्दों के साथ मैं विधायक; सदस्य महोदयों से निवेदन करूंगा कि वे इस कानून को निरस्त करें और मंत्री महोदय वापिस लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ?

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार की ओर से सेल्स टैक्स के विषय में जो अमेंडमेंट प्रस्तुत हुआ है, उसकी नेचर देखते हुए हमको इस पर

Page No.39

(श्री रामचन्द्र)

वाद विवाद करना चाहिए । यह अमेंडमेंट एक ऐसा अमेंडमेंट नहीं है, जिसके द्वारा सैल्स टैक्स की मद में कोई नया टैक्स लगाया जा रहा हो या परिवर्तन किया जा रहा हो। यह तो एक साधारण सा अमेंडमेंट है । यानी सरकार ने सैल्स टैक्स नियमों के अनुसार कुछ कर वसूल कर लिया है, उन करों को वसूल करने में कागज़ी तौर पर कोई खामी रह गई है, उसको वैधानिक मान कर इस मामले को समाप्त कर दिया जाय,क्योंकि यह हमें देखना चाहिये कि सेल्स टैक्स जैसा विस्तृत और पेचीदा टेक्स है। किस खराबी को दूर करने के लिये किस समय लगाया गया, यह हमें जानना चाहिये कि सैल्स टैक्स लगाने से पहले भयंकर टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी राजस्थान में लगा हुआ था और उसके कारण राजस्थान में राजस्थान के एक भाग से दूसरे भाग में एक वस्तु को ले जाने में बड़ी बाधाएं पड़ती थीं, उन खामियों को दूर करने के लिये और राजस्थान के व्यापार को उन्नति देने के लिये कस्टम्स ड्यूटी की बजाय सैल्स टैक्स लगाया गया। यह कोई पुराने ढंग का टैक्स नहीं था, राजस्थान के लिये यह बिलकुल नई प्रणाली थी, तो जब यह एक्ट बना, बहुत पोसिबिलिटी थी कि उसके बनाने और अमल में लाने में बहुत सी खामियां रह सकती हैं, यह स्वाभाविक बात है । तो उस वक्त जो खामियां रह गई हैं चाहे फॉर्म के रूप में, जुरिस्डिक्शन के रूप में या और किसी तरह की कमियां रह गई हैं, जिसके कारण सैकड़ों मामले उलझन में पड़े हुए हैं, उन उलझनों को दूर करने के लिये दो धाराओं का एक छोटा सा अमेंडमेंट पेश किया गया है, जिसको पास करने से राजस्थान सरकार के सामने जो उलझनें पड़ी हुई हैं, वे दूर हो जायंगी । तो ऐसे साधारण अमेंडमेंट को जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाना या सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाना अनावश्यक है । यह अमेंडमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका प्रभाव साधारण जनता पर या राजस्थान के विशेष भागों पर पड़ता हो, इसका प्रभाव केवल सौ डेढ सौ केसेज़ पर पड़ता है । इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि इस अमेंडमेंट को पास किया जाय ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिये कि यह कोई अमेंडमेंट नहीं बल्कि स्वतः एक बिल है; पूरा बिल है ।

श्री रामचन्द्र : हां, तो मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करें ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे राजस्थान के वयोवृद्ध मंत्री द्वारा, इस प्रकार की हुई गलतियों को अपनी गलतियां मंजूर नहीं करते हुए, इस विधान सभा द्वारा अपनी गलतियों को सही बताते हुए बहुमत के आधार पर कानून पास करना कोई शोभा की बात नहीं है । इस सैल्स टैक्स में कानून को न समझने के कारण कई प्रकार की गलतियांकी गई हैं....

पृथक राजस्व उप मंत्री (श्री संपतराम): माननीय उपाध्यक्ष, यह प्रोपोजल सदन के सामने है कि क्या इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, इस समय इस बिल के सारे मुद्दों पर डिस्कशन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह सदन का समय व्यर्थ ही लेना होगा । यह डिस्कशन तो क्लॉज बाई क्लॉज लेंगे, उस समय किया जा सकता है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : We are discussing the principles of the Bill

(श्री तनसिंह)

and not the motion of the select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes. The hon'ble Member to continue.

श्री लक्ष्मीचन्द : तो माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार की गलतियां बताते हैं तो हमारे उप मन्त्रीजी को गुस्सा आ गया...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, क्रोध नहीं आया, बड़ी साधारण स्थिति में कहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो जो गलतियां की हैं उनको मंजूर करना चाहिये। हमारे लॉ डिपार्टमेंट द्वारा की हुई गलतियों को बताना चाहिये न कि उन गलतियों का समर्थन करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Much has been said on this issue. I mean the Hon'ble Member will speak to the question itself.

श्री लक्ष्मीचन्द : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैल्स टैक्स में कई तरह की गलतियां की गई हैं। फर्स्ट पॉइन्ट और लास्ट पॉइन्ट के प्रश्न पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं सैल्स टैक्स का प्लीडर भी हूँ।...

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : That shows the opinion to be of an expert's opinion.

श्री लक्ष्मीचन्द : ऑपिनियन नहीं, इस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। इस प्रकार जहां फर्स्ट पॉइन्ट पर जहां नहीं लगाना चाहिये वहां लगा दिया गया। अपीलें की जाने पर वह टैक्स का पैसा वापिस देने का निर्णय हुआ। राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का बिल ला दिया, यह राजस्थान सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं हैं। यह व्यापारी महकमा है, बिजनेस मैन का जितना साहूकारा होता है उतना दुनियां में किसी का नहीं, तो जो सैल्स टैक्स वसूल कर लिया गया, सही तरीके से या गलत तरीके से, वह वापिस नहीं दिया जाय यह व्यापारी की दृष्टि से सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। गलत तरीके से टैक्स वसूल किया गया है और उस पर राजस्थान विधान सभा से दस्तखत करा दें कि गैरकानूनी तौर पर जो टैक्स वसूल कर लिया गया है तो लॉ डिपार्टमेंट मन्त्री महोदय को कानून दे देता है और वे उसे बहुमत के आधार पर पास करा लेते हैं, यह तो दुनियां की आंखों में शोभा की बात नहीं। यह सरकार के लिये शोभनीय बात नहीं है कि कानून के जरिये उन गलतियों को छुपाने के लिए बहुमत के बल पर इस प्रकार का कानून लाये।

मारवाड़ी में एक कहावत है कि "थूं डाल म्हारा मुंह में अंगुली और मैं डालूं थारी आंख में अंगुली" अंगुली भी खा जायं और आंख भी फोड़ डालें। एक तो गलत तरीके से पैसा वसूल करें और फिर लॉ कोर्ट्स के दिये हुए फैसले को इस प्रकार के कानून लाकर रद्द करना चाहते हैं तो फिर लॉ कोर्ट्स अपॉइन्ट करने से क्या मतलब ? इस प्रकार की व्यवस्था इस कानून से लाई जा रही है, इसका कड़े से कड़ा विरोध करें। सदन ऐसी चीज नहीं है कि सरकार द्वारा की गई गलतियों पर दस्तखत कर दे। सदन को सोचना है कि सरकार द्वारा की गई गलतियों को छुपाने के लिए यह बिल लाया गया है उसका कड़े से कड़ा विरोध करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने देश के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जिसमें न्याय सबको प्राप्त हो सके। प्रजातान्त्रिक देशों में जहां लेजिस्लेचर अलग है वहां जूडिशियरी भी अलग कायम की है। कोई गलती होती है और दोनों से न्याय प्राप्त होने की आशा नहीं रहती है और देखते हैं कि एग्जीक्युटिव ने और लेजिस्लेचर ने गलती की है तो उसके लिए स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था कायम की है कि अपने साथ कोई रोंग, गलत चीज की गई है तो उसके लिए न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य प्रजातान्त्रिक देशों में भी है। उन देशों में वहां के हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट के निर्णयों की वे ऐसी मान्यता करते हैं कि जिसके कारण प्रजातन्त्र में भी जनता की विश्वास की भावना बढ़ती जा रही है और वहां की जनता देखती है कि हमारे साथ कोई गलती हुई तो न्याय व्यवस्था से हमें न्याय मिल जायगा।

५४ में असेंशियल गुड्स पर टैक्स लगाया वहां सेंट्रल एक्ट के द्वारा ऐसी व्यवस्था दी गई और यह इन्वेलिडेट हो गया तो जिस दिन से वह अवैध हुआ है उसके पश्चात् कानून बना कर कहें कि इस दिन से इस दिन तक अवैध हुआ है। इसके बाद से इस प्रकार का कानून लगाना चाहते हैं तो उसमें किसी को विरोध नहीं होगा क्योंकि हम अपने देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं, पर जिस दिन से जिस दिन तक अवैध किया गया उस बीच के अर्से में भी उसको वैध करने का कानून पेश करें तो यह किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं। जब कोई व्यक्ति गलती करता हैं तो उसको यह पता नहीं होता कि उस गलती की सजा कानून में क्या होगी यह उसको पता नहीं। लेकिन जब वह न्यायालय में जाता है तो न्यायालय उसकी इस बात को नहीं मानता कि वह कानून जानता था या नहीं। अगर उसने गलती की है तो उसे सजा मिलेगी। कानून में हमने या सरकार ने, किसी ने भी गलती की हो तो सजा मिलनी चाहिये। हमारी सरकार को कुछ विशेष अधिकार हैं मगर हमें यह देखना है कि आप अपने दिये हुए अधिकारों का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। हम किसी भी प्रकार का कानून बनाना चाहें बना सकते हैं। हमारे संविधान में 'ignorance of law is no excuse' का आदेश है। जब हम उस बात को यहाँ मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपको यदि इससे लाख, दो लाख या ४ लाख का घाटा भी लगता हो तो उसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। कोई अपराधी है और वह किसी भी प्रकार का अपराध करता है और उसके बाद वह न्यायालय में जाता है, कोई भी कानूनी कमी उस मामले में रह जाती हैं और उस कानूनी कमी के कारण वह बच जाता है और उसको सजा नहीं होती, तो हमारी सरकार यह चाहे कि हम उस कमी को पूरा करके उसको सजा करा दें, यह उचित नहीं है। इसी प्रकार की यहां पर बात हो रही है। आप जो कानून, पहले लागू नहीं था उस तारीख से उसको लागू करना चाहते हैं। मगर वह उसी दिन से लागू होना चाहिये जिस दिन वह कानून के रूप में स्वीकृति हो। इससे हमको कोई एतराज और आपत्ति नहीं है। अगर सरकार पब्लिक के जनरल गुड्स पर टैक्स लगाती है तो जनरल पब्लिक गुड्स पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। अगर टैक्स सरकार लगाना ही चाहती है तो लगाये पर जिस दिन से यह अवैध हुआ है उस समय से लागू करती है तो इससे हमारे देश की

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जो न्याय व्यवस्था है उस पर से लोगों का विश्वास उठ जायगा। इसलिये इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान बिक्री कर विधेयक हमारे सामने है उसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये जो प्रस्ताव है, उसके पक्ष में मैं बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जहां तक मैं सोच पाया हूं इस तरह के कानून बनाती है जो या तो कानून द्वारा जनता से टैक्स वसूल करे या दूसरी तरह का कानून जो होता है वह समाज की रक्षा के लिये होता है। उपाध्यक्ष जी, जो हमारे सामने यह कानून है और जिसकी स्वीकृति के लिये माननीय मंत्री महोदय ने विधान सभा में इसको पेश किया है, यह ऐसा कानून है जो न तो किसी तरह पब्लिक की सुरक्षा करता है न किसी प्रकार का टैक्स वसूल करता है। बल्कि यह एक ऐसा है जो सरकार या उसके लॉ डिपार्टमेंट ने किसी वक्त एक प्रकार की गलती की और अब सरकार को यह महसूस हुआ कि यह गलती है तो उसके बाद में सरकार ने सोचा कि हमने जो गलती की है चाहे किसी की गलती हो, चाहे हमारे अधिकारियों की हो या लॉ डिपार्टमेंट की हो उसको माननीय सदस्यों द्वारा इस विधान सभा में स्वीकार करा दें इसकी वैधता को स्वीकृत करा लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह उचित बात नहीं है। इसमें पहले सोचने की बात यह है कि जिस प्रकार आपने जो यह बिल पेश किया है उसमें ऐसी बातें है कि १ अप्रेल से ४ जून १६५७ तक आपने सेल्स टैक्स वसूल किया है उसकी वैधानिकता के लिये है। सोचने की बात यह है कि आखिर यह बात क्या है? किसकी गलती से यह हुआ है? लॉ डिपार्टमेंट ने की है या हमने की है और इस गलती का नतीजा कौन भोगता है? कानून ऐसा बनना चाहिये जिससे पब्लिक को लाभ हो। आप यह तो जानते हैं कि जब जनता के किसी भी व्यक्ति में बकाया टैक्स रह जाता है तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। जिस किसी ने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन यहां हमारी सरकार गलती कर चुकी है इसलिये वह हमसे कहती है कि इस पर मोहर छाप लगा दो और अपने दस्तखत कर दो। यह कहा जाता है कि यह एक छोटा सा बिल हमारे सामने है जो हमारे सामने लाया गया है वह उतना ही बड़ा है क्योंकि उसमें जो गलती सरकार द्वारा की गई है उस गलत चीज की स्वीकृति देने के लिये, हमें कहा गया है। अभी अभी माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह कोई नई बात नहीं है। साधारण सा बिल है, इसकी स्वीकृति दे देनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, हम भी सोच लें कि यह टैक्स है लेकिन नाजायज तौर से लॉ डिपार्टमेंट और सरकार की गलती से टैक्स लिया गया है, उस गलती को दुरुस्त कराना है। लॉ डिपार्टमेंट के लोगों को सजा नहीं दी जाती न सरकार ही, इसकी जवाबदार बनती है लेकिन अब सरकार यह कहती है कि इस पर अपनी मोहर लगा दो। मैं यह कहूंगा कि सरकार को, अगर किसी की गलती है तो उसको स्वीकार करना चाहिये इसके अलावा अगर उचित है तो उसर पर हमको मोहर लगानी चाहिये वरना नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह छोटा सा बिल है लेकिन इससे यह बात स्पष्ट ही जाहिर होती है कि सरकार ने किसी प्रकार का गलत काम किसी जमाने में किया था उसको लिफ्ट दे रही है, सहयोग दे रही है। यह नैतिकता नहीं है, यह बहुत अच्छी चीज नहीं

(श्री गिरधारीलाल)

कही जा सकती। मैं यह कहूँगा कि एक तरह से यह एक डाका है और इसको किसी तरह से सहन नहीं किया जा सकता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर महोदय।

श्री रामकरणसिंह : मेरे बोलने के बाद आप बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल सदन में विचारार्थ लिया गया है जिस पर यह प्रस्ताव किया गया है। वास्तव में बिक्री कर लगे, इसके लिये शायद किसी को इन्कारी नहीं होती। लेकिन यह देखना चाहिये कि यह बिल किस कारण से इस सदन में पेश किया गया है। इन चीजों को देखने के लिये यह आवश्यक हो जाता कि एसेन्शियल गुड्स पर कब तक टैक्स लिया जाता था। यह १९५६ तक लिया जाता था। बाद में सेन्ट्रल एक्ट के आधार पर यहां पर एसेन्शियल गुड्स पर लागू था, उसके लिये राज्यपाल की सेंक्शन की आवश्यकता थी। एक तो यह कमी है लेकिन दूसरी कमी यह है कि क्या दो वर्ष तक इस प्रकार से हमारा लॉ डिपार्टमेंट इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखता था हुए असेम्बली के सामने रखने की कोशिश नहीं की या ऐसी बात थी कि दो वर्ष तक कोई असेम्बली की बैठक नहीं हुई हो। लेकिन वास्तव में लॉ डिपार्टमेंट ने यह महसूस नहीं किया कि किसी तरह से कानून बनाये जावें वे असेम्बली में पेश किये जावें। यदि उनका काम बगैर असेम्बली में लाये ही चल जाए तो कोई जरूरत नहीं समझते या जहां लॉ डिपार्टमेंट को चैलेंज अदालत से किया जाता है उस समय मेरे ख्याल से यह बिल सदन में लाया जाता है। मेरे ख्याल से यह बिल ऐसा है कि दो वर्ष तक किसी तरह से लॉ डिपार्टमेंट चुप्पी साधे बैठा रहा, अगर नहीं बैठा रहता तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इन चीजों को देखते हुए यह पता चलता है कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट महसूस नहीं करता कि असेम्बली में बिल लाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय भी असेम्बली की महत्ता का ध्यान नहीं रखते कि पहले असेम्बली में उस चीज को ला। जावे। असेम्बली में उन्हीं चीजों को लाया जाता है जिनके लाने के लिये मजबूर किये जाते हैं और वे मजबूर होकर ही बिल को प्रस्तावित करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले ही से सचेत होना चाहिये था। और सचेत होकर उसी समय असेम्बली में बिल पास करवाते और फिर किसी प्रकार से कोई चीज की जा सकती थी। किसी प्रकार से लॉ डिपार्टमेन्ट या अन्य प्रकार से किसी दूसरे द्वारा इस प्रकार की गलती की गई है और उसका खमियाजा लोगों को उठाना पड़ रहा है। किन्हीं लोगों ने पैसा खर्च करके न्याय प्राप्त किया। न्याय प्राप्त करने के बाद भी सरकार उन्हें अन्याय में फंसाना चाहती है और उसके लिए इस प्रकार से कोशिश करती है। उन लोगों के लिए जाल फैंका गया था और लोगों ने बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं लोगों को वापिस उसी जाल में लाया जाता है। नदी में कोई गिर जाय और वह उसमें से निकलने की कोशिश करता है, कोसों दूर निकल गया और फिर उसको वापिस पकड़ कर नदी में फैंका जाता है। जिन लोगों ने न्याय प्राप्त किया उन्हीं लोगों को वापिस

(श्री रामकरणसिंह)

दूसरी चीजें इस प्रकार से लाकर फांसा जाता है। इस प्रकार से इन चीजों की इस बिल में कमी रह गई है इसलिए इसको वास्तव में सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए।

१.१ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member-in-charge of the Bill.

श्री सम्पतराम (पृथक राजस्व उप मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे वाद-विवाद को सुनने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूं कि जिस वेलिडेशन बिल को पेश किया गया है......

एक माननीय सदस्य : अमेन्डिंग बिल नहीं है।

श्री सम्पतराम : वेलिडेटिंग बिल । हमारी इस विधान सभा द्वारा सन् ५४ में सेल्स टैक्स बिल पास हुआ। उसमें यह था कि अगर राज्य सरकार सेल्स टैक्स एसेन्शियल गुड्स पर लगाये तो सेंटर ने यह एक्ट पास किया कि उसके लिये प्रेसिडेन्ट से असेन्ट ली जाय। इस विधान सभा ने सन् १९५६ में एक्ट पास किया और उसके अनुसार इसकी मियाद ३१ मार्च सन् १९५७ तक बढ़ाई गई। कानूनी तरीके से सरकार ने जिन चीजों पर टैक्स लगाया वह वसूल कर सकती थी। सारी की सारी दलील यह है कि एक साल की मियाद बढ़ाई गई उस पर प्रेसिडेन्ट की असेन्ट क्यों नहीं ली गई। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा यह बताया गया कि इसका असर व्यापारियों पर पड़ेगा, ६ पर्सेन्ट के बजाय ७ पर्सेन्ट कर दिया और कुछ सज्जनों ने यहां तक कहा कि संविधान को ताक में रख दिया गया और कानून की अवहेलना की गई। वास्तव में बात तो यह है कि न तो कानून की अवहेलना हुई है और न ही संविधान की अवहेलना की गई है। संविधान में यह है कि प्रेसिडेन्ट की असेन्ट होनी चाहिए। लेकिन दलील यह भी है कि लेजिस्टेटिव सेंक्शन नहीं थी। मैं बताऊं, इसका मतलब यह है कि विधान सभा और गवर्नर मिलकर लेजिस्लेचर होते हैं। और कानून का जहां तक सम्बन्ध है विधान सभा और गवर्नर मिल कर कानून के प्रोसेस में आते हैं। यह बिल लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ही था। यह नहीं समझना चाहिये कि वह पूरा हो गया था। हमारी विधान सभा ने कानून पास किया। जब तक प्रेसिडेन्ट की असेन्ट न ले ली जाय. वह कानून लेजिस्लेटिव प्रोसेस में से गुजरता है। संविधान की धारा २८६ क्लॉज (३) में यह है कि जिन चीजों को पार्लियामेन्ट भी एसेन्शियल गुड्स डिक्लेयर करे उस पर प्रेसिडेन्ट की असेन्ट लेना चाहिये। इसमें यह लेकुना रह गया था, इसलिए इसको आज विधान सभा में पेश किया गया है। माननीय सदस्यों ने इसको यह समझा है कि गलत तरीके से लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं अथवा व्यापारियों को परेशान करने के लिए यह लाया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको कानूनी तरीके से ही लिया गया है और जो रूल्स बने हैं इसके अन्तर्गत उन्हीं के अनुसार टैक्स लिया गया है या लेना बाकी है। इसमें कानून की अवहेलना की किसी तरह की बात नहीं है। यह दलील भी दी गई कि हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट्स कानून पास हो जाने पर उसका जो इन्टरप्रिटेशन करते हैं उसको लागू करने के लिए सरकार इस प्रकार से बिल ले आती है। यदि आप कानून के इतिहास को देखेंगे तो आपको मालूम होगा

(श्री सम्पतराम)

कि किस मंशा से कानून पास करते हैं। लॉ कोर्ट्स में इन्टरप्रिटेशन्स दूसरे होते हैं, लेकिन विधान सभा में संशोधन लाकर उसको पूरा किया जाता है। यह टैक्निकल बात है और इसी कारण से यह वेलिडेशन बिल लाया गया है। सरकार को अधिकार है। विधान सभा द्वारा एक साल की मियाद बढ़ाई गई चूंकि प्रेसिडेन्ट की असेन्ट नहीं ली गई इसलिये यह वेलिड नहीं। मैं समझता हूं कि यह दलील उचित नहीं ठहरती है। यह भी कहा गया कि चूंकि यह लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स में नहीं इसलिए टैक्स सरकार रियेलाइज़ नहीं कर सकती लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कुछ टैक्स वसूल कर लिया है और कुछ करना बाकी भी हो सकता है। इसलिए उसको रेगुलेराइज़ करने का यह एक सही तरीका है। यह न लोगों को परेशान करने के लिए है और न ही नाजायज़ तरीके से इसको बढ़ाने का सवाल है। यह तो कानूनी लेकुना रह गया है और उसको विधान सभा के सिवाय दूसरी कोई ऑथोरिटी नहीं है जो ठीक कर सके। माननीय सदस्यों को यह भी नहीं समझना चाहिए कि कोई दूसरा बिल लाया गया है। इसी विधान सभा ने कानून बनाया जो मियाद इसी विधान सभा द्वारा बढ़ाई गई उसमें जो लेकुना रह गया उसको दूर करने के लिए है। सेंट्रल सेल्स टैक्स ने सबको ही समाप्त कर दिया है। इसकी २८, २६ सेक्शन्स हैं वह इस एक्ट में से डिलीट कर दी गई हैं। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स के साफ न होने से यह चीज स्पष्ट नहीं हैं और इस कारण से माननीय सदस्यों को इस प्रकार की शंका रह गई हो। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कॉम्पीटेन्ट लेजिस्लेटिव सेंक्शन न होने से यह लाया गया। ऐसा नहीं है। तरीका यह है, असेम्बली पास करे, गवर्नर के पास वह जाय और फिर प्रेसिडेन्ट की उस पर असेन्ट हो। जब तक कोई बिल इस प्रकार के प्रोसेस से नहीं गुजरता वह पूरा नहीं होता। चूंकि इस पर प्रेसिडेन्ट की असेन्ट नहीं हुई और लेकुना रह गया इसलिए इसको विधान सभा में पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसको पास करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : राष्ट्रपति से असेन्ट न लेने में किसकी गलती हुई है और उसके लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया है ?

श्री सम्पतराम : गलती किसी से भी हो सकती है। हमसे हो सकती है, आप से हो सकती है और सरकार से भी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आखिर गलती इस प्रकार किससे हुई ?

श्री सम्पतराम : It has got nothing to do with the main Bill.

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रभारी उपमन्त्री ने जो उत्तर दिया है वह काफी स्पष्ट है। सिलेक्ट कमेटी में इसको रेफर करने का मेरा इसी कारण से प्रस्ताव था कि दुबारा कोई गलती न रह जाय और इस कारण इसको फिर विधान सभा के सामने लाना पड़े। इसको अवैध और वैध न करना पड़े इसी लिए यह मेरा प्रस्ताव था। मुझे आपके विचार से संतोष है। एक अमेन्डमेन्ट बिल और ले आइये जिससे

Page No.46

(डॉ० बहादुरसिंह)

व्यापारियों को परेशान न होना पड़े। आप संशोधन कर दीजिये।

मैं इसको वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्ट अमेन्डमेन्ट बिल, १९५८ में जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने का डॉ० बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ को स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूँ। मैं ऐसा समझ रहा था कि सरकार की तरफ से जो उत्तर मिलने वाला है वह उत्तर सदन के माननीय सदस्यों ने जो शंकायें व्यक्त की हैं उनका किसी न किसी रूप में समाधान करने वाला होगा, किन्तु कुछ ऐसा लगता है कि समाधान करना तो दूर रहा उल्टा जिन माननीय सदस्यों ने शंकायें कीं उनको कोसने का प्रयास किया गया है। और अंत में उप मंत्री महोदय यहाँ तक कह गये कि किस की गलती के कारण राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं ली गई इसका इस बिल से को सम्बन्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इस विचार-धारा के लिये और उनकी प्रशासनिक तत्परता के लिये मुझे अवश्य उनको धन्यवाद देना है, मेरा धन्यवाद मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम सब के लिये अहितकर हो सकता है और इसलिये इस स्थिति में मैं इस धन्यवाद को रिजर्व रखने के सिवाय एक्जीक्यूट करने की स्थिति में नहीं हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : आजकल आप धन्यवाद देने में काफी लिबरल हो रहे हैं।

श्री सम्पतराम : खास तौर से मुझे।

श्री भैरोंसिंह : अभी अभी आपने उत्तर देते हुए लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स की भी व्याख्या कर डाली। जुरिस्डिक्शन के बारे में और लैक ऑफ फॉर्म और प्रोसीजर के बारे में भी अपने मुखारबिन्द से कुछ कहा। लेकिन इन सबके बावजूद भी जिन माननीय सदस्यों ने शंकायें प्रकट की उनका समाधान नहीं हो

(श्री भैरोंसिंह)

पाया। जुरिस्डिक्शन के बारे में बोलते हुए माननीय उप मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार को अधिकार नहीं था इसलिये जुरिस्डिक्शन का प्रश्न लाया गया। इधर से बोलने वाले सदस्य ने कहा कि सरकार को अधिकार नहीं था इसलिये टैक्स इम्पोज कर दिया, उसको वेलिडियेट नही करना चाहिये।

यह भी शंका की गई कि लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स नहीं था। उसके, बिना इम्पोज किये, टैक्स इम्पोज कर दिया गया वह गलत था। इसको भी माननीय उपमंत्री ने स्वीकार किया। उन्होंने इसकी व्याख्या सही की, लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा कानून बना, उस पर गवर्नर की सेंक्शन हुई राष्ट्रपति की सेंक्शन नहीं हुई इसमे कानून में लेकुना रह गया उसको हटाने के लिये यह व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रश्न सीधा सादा था और आज भी है। लेकुना अगर कहीं रह जाय तो यह एक्सपर्ट्स के देखने की बात है, मामूली सी टैक्नीकल बात रह जाय जिसके कारण हमारे सारे अधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण सम्मिलित हो और केवल एक लेकुना गया यह कह कर सारी चीजों का मटियामेट नहीं किया जा सकता। सब से पहले सरकार को चाहिये कि कानून बनने से पहले सरकार अपनी स्थिति राजस्थान विधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दे उसमें किसी की गलती हुई तो उसके लिये यह भी बता दिया जाय कि जिसके द्वारा गलती हुई उसको दण्ड दिया गया। इससे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार द्वारा गलतियां हो जाती हैं लेकिन इस पर भी वह सतर्क है गलतियां करने के बाद उनको दुरुस्त करने की चेष्टा कर ली जाती है लेकिन उसका रिपीटिशन न हो इसके लिये जिसके द्वारा गलती हुई हो उसको दण्ड भी दिया जाय तो ऐसी गलतियों का रिपीटिशन बार बार होने की नौबत न आय। उपाध्यक्ष महोदय, गलतियां करता है हमारा लॉ डिपार्टमेंट अगर उस पर किसी प्रकार का गौर न किया जाय तो मैं समझता हूं यह प्रशासनिक ढांचे के लिये जबरदस्त दुर्भाग्य की चीज होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर काल में भी एक माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जोधपुर डम्प रिमूवल फंड के नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, प्रत्येक कॉन्ट्राक्टर से २०० रुपया वसूल कर रहे हैं और यह सन् ५४ से वसूल कर रहे हैं और कानून ५५ में बना। लेकिन ५४ का जो वसूल किया गया वह भी माननीय मंत्री फरमाते हैं कि जायज है। लेकिन जिन कॉन्ट्रक्टर्स ने डम्प रिमूवल फंड में रुपया जमा कराया है उसके लिये कुछ आदमी कोर्ट में भी गये हैं उसके बारे में भी लॉ डिपार्टमेंट ने सलाह दी होगी कि मुकदमेबाजी होगी। मैं इसलिये यह उदाहरण दे रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जब किसी मामले में हमारी सरकार लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करती है,उसकी एडवाइज से काम करती है। उन्हीं की एडवाइजेज पर कानून बनते हैं उनसे गलत एडवाइज भी आ सकती है। इसमें बोनाफाइडी गलती थी और जान बूझकर लॉ डिपार्टमेंट ने इस प्रकार की गलती की, उस पर भी गलती का दर्जा देखें। किस दर्जे की गलती है ? जाने में हुई है या अनजाने में हुई ? यह तो जांच का विषय है कि गलती का दोषी कौन है ? मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि अभी तक हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कि है उस ही का नतीजा है कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट सतर्क नहीं रहता है। उस ही का कारण है कि हमारे राजस्व मंत्री महोदय को टिनेन्सी एक्ट में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ अमेन्डमेन्ट बिल लाने पड़ते हैं इसी तरह से लैन्ड रेवेन्यु बिल

(श्री भैरोंसिंह)

में भी दो, तीन, चार अमेन्डमेन्ट लाने पड़े हैं। यदि हमारा लॉ डिपार्टमेन्ट एफिसियेन्ट हो तो हमें इस प्रकार पीस मील लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता नहीं होती। कन्सोलिडेटेड बिल हाउस के सामने आ सकता था। वह इस बारे में गंभीरता से विचार करके राय दे सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा असेम्बली का सैशन शुरू होने को होता है तो जिले के कलेक्टर लोग हमारी इस तरह से मखौल उड़ाया करते हैं और पूछते हैं कि इस बार विधान सभा के सैशन में टिनेन्सी एक्ट में, और लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में कौन कौन से अमेन्डमेन्ट आ रहे हैं या आने वाले हैं। विधान सभा की ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं पुन: निवेदन करूंगा कि सदन से बाहर उनके बीच और राज्य के अधिकारियों के बीच जो कुछ भी वार्ता होती है उसका सम्बन्ध सदन से नहीं है. वह सदन का विषय नहीं हो सकता। इसलिये जो मूल प्रश्न है उसी पर आप चलेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां अफसरों के साथ सदन के विषय में चर्चा होती है तो उसका उल्लेख करना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कर्तव्य उल्लेख करने का जहां होता है वहां मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उससे आपको वंचित करूं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष के शब्दों में, यह मेरा कर्तव्य हो जाता है तो इस पर मैं यह चाहूंगा कि मेरे कर्तव्य पालन करने की इजाजत मुझे दें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के बाहर।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं निवेदन कर रहा था कि विधान सभा की जब बैठक हो और उसके साथ एक बात जुड़ी हुई हो कि उसमें टिनेन्सी बिल या रेवेन्यू एक्ट या पंचायत एक्ट में कोई न कोई अमेन्डमेन्ट बिल आवेगा, तो जब ऐसी कल्पना है लोगों की तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमारी गलतियां हैं, कानून में जो लेकुना रह गया है, त्रुटि रह गई है और उसको एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते हो फिर भी यहां कानून लाते हैं तो मानना पड़ेगा कि उनकी किसी भी प्रकार की बिना गलतियों का कोई कानून लाने की सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार की जितनी गलतियां होती हैं, अभी कुछ दिन पहले सेल्स टैक्स वेलिडेशन एक्ट पास किया गया, और भी वेलिडेशन की कितनी ही कार्यवाहियां हमने यहां की हैं उनसे साफ जाहिर है, तो ये गलतियां किसी भी चीज के कारण, या कोई कानूनी लेकुना रहने के कारण या लेजिस्लेशन कॉम्पीटेन्सी के नाम से चाहे जुरिस्डिक्शन के बाहर होने के कारण से या लैक ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोसिजर के कारण से या किसी भी इस प्रकार के कारण से रही हों पर यह स्पष्ट है कि गलतियां रही हैं। तो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स की तरह, स्पोर्टसमैन स्पिरिट में उनको अपनी ये गलतियां स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिये। इसमें नैतिकता का या गलती का कोई प्रश्न नहीं है, पर प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर स्पोर्टसमैन स्पिरिट से इन गलतियों को उनको स्वीकार करना चाहिये ताकि वे पब्लिक के सामने सही रूप में पेश हों।

(श्री भैरोंसिंह)

अगर कोई ऐसा कानून आप बनावें जिसमें डिफेक्ट रह गया हो और उससे लोग नाजायज़ फायदा उठा ले जावें और आप उन्हें उठाने दें, और वह भी पांच पांच वर्षों तक उठाने दें और फिर कानून लावें तो यह सब कानून की दृष्टि से अनुचित चीजें हैं।

इन क्लॉजेज़ में भी उन्हीं चीजों का उल्लेख है, लैक ऑफ प्रोसिजर, जुरिस्डिक्शन, लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्सी। तो इन चीजों के न होते हुए जो भी टैक्स इम्पोज कर दिया गया है और जो वसूल कर लिया गया है वह सारा का सारा टैक्स अवैध समझा जावे इस प्रकार की व्यवस्था इस धारा तीन में की जा रही है।

मैं फिर कहूँगा कि इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। अगर राजस्थान सरकार को इस प्रकार की गलतियाँ करने की छूट दी और अगर विधान सभा ने उनको इसी प्रकार गलतियाँ करने की छूट देना जारी रक्खा, तो ये गलतियाँ लगातार रिपीट होती रहेंगी। तो इस सारी कार्यवाही को बन्द करने के लिए, सरकार अपने फंक्शन ठीक तरह से करे, पहले से काफी सोच विचार कर करे। इस सारी स्थिति को लाने के लिये मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूँ। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि यह एक विधान सभा के अधिकारों का प्रश्न है, लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्सी का प्रश्न है। अगर सदन के अधिकारों का इस प्रकार से अतिक्रमण किया गया, इस प्रकार से डिफेक्टिव कानून यहां से पास करवाये जाते रहे और इस प्रकार से उन गलतियों पर बार बार मोहर लगाई जाती रही तो इसका अर्थ यही है कि सरकार बहुत हल्के रूप में सदन को ले रही है। और इस बार हमने उस पर अंकुश नहीं लगाया तो इस प्रकार का सदन के अधिकारों का अतिक्रमण समय समय पर होता रहेगा। इसलिए आप सबको अन्तिम रूप से डटकर इसका विरोध करना चाहिये ताकि सरकार हिम्मत न कर सके आगे से कि बिना सोचे समझे कोई गलत कानून खामियों से भरा कानून यहां पास करने के लिये लाए और फिर उन गलतियों को बार बार दुरुस्त कराती रहे। अगर सरकार की हिम्मत इसी तरह से बढ़ती रही कि जब कभी भी जरूरत पड़ी, जिस किसी भी गलती पर सरकार इस सदन की मोहर लगा लेगी तो यह सदन के अधिकारों का भारी अतिक्रमण होगा, कानूनी सलाह जो यहां ठीक तरह से लोगों द्वारा सरकार को दी जावेगी उस पर ध्यान नहीं देगी, उसकी आवश्यकता सरकार महसूस नहीं करेगी, क्योंकि वह समझ लेगी कि अगर गलती रह गई है और बाद में ऐसा महसूस हुआ तो यहां से मोहर लगवा लेंगे। इसलिये मैं सदन को आगाह करूंगा कि अपने अधिकारों पर जहां कुठाराघात हो रहा हो वहां वैसी हरकतों का डटकर विरोध किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १ टाइटल प्रिएम्बल आदि

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

पृथक राजस्व उप मन्त्री (श्री सम्पतराम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेशन बिल, १९५८ पारित किया जावे।

श्री श्रीभानसिंह : ओन ए कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट ऑफ़ ऑर्डर सर, मेरा इस बिल के पारित करने में यह ऑब्जेक्शन है कि यह राजस्थान सेल्स टैक्स वेलिडेशन बिल उन टैक्सेज़ को वेलिडेट करता है, जो कि राजस्थान सरकार ने असेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट जो पार्लियामेन्ट ने पास किया था, उसकी तहत में कलेक्ट किया। चूंकि एसेन्शियल कोमोडिटीज़ एक्ट पार्लियामेन्ट का पास किया हुआ लेजिस्लेशन है, उसमें अपन कोई टैक्स वेलिडेट करने का बिल लाते हैं तो उसमें गवर्नर की सैंक्शन काफी नहीं है बल्कि प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन एसेन्सियल है उस वेलिडेशन एक्ट को यहाँ इन्ट्रोड्यूस करने के लिए। और चूंकि इस पर प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन नहीं ली गई है, इसलिये इसे पारित नहीं किया जावे।

हम उन एसेन्शियल कोमोडिटीज पर लिये गये टैक्स को वेलिड करने जा रहे हैं जिन कोमोडिटीज पर स्टेटों को टैक्स लेने से पार्लियामेन्ट ने कानून पास करके प्रोहिबिट कर दिया है। जो एसेन्शियल गुड्स की लिस्ट है वह और भी इस प्रकार की है जो गुड्स इन्टरस्टेट ट्रेड के अन्दर काम में आते हैं तो दोनों लिस्टों को देखा जावे तो यूनियन पार्लियामेन्ट ने जिसमें स्टेट को टैक्स लगाने से प्रोहिबिट किया है अगर उन कोमोडिटीज़ पर आपने टैक्स लगाया है और आपकी लिस्ट से साफ प्रकट है कि आपने उन उन चीजों पर ही टैक्स लगाया है। अब जिन चीजों पर टैक्स लगाने से आपको यूनियन पार्लियामेन्ट के एक्ट ने प्रोहिबिट किया है उन चीजों पर लगाये गये टैक्स को अगर आप इस सदन से वेलिडेट कराना चाहते हैं तो इसमें प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन एसेन्शियल है। इसमें गवर्नर की नहीं प्रेसिडेन्ट की असेन्ट होनी चाहिये।

तो इसलिये जब तक प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन इसे इन्ट्रोड्यूस करने के लिये नहीं मिल जावे, तब तक इसको पारित नहीं किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Which is that Article under which President's assent is essential ?

श्री श्रीभानसिंह : It is essential under the Essential Commodities Act.

श्री उपाध्यक्ष : The Article of the Constitution under which President's assent is required ?

श्री श्रीभानसिंह : If the Government has to levy tax on any of the articles mentioned in the Essential Commodities Act, and also if such

(श्री श्रीमानसिंह)

goods are goods in which inter-State trade is carried on, which go properly under the purchase Tax of the Central Government only the President is authorised to validate any tax collected by the State Legislature under that Act.

श्री सम्पतराम (पृथक राजस्व उप मंत्री): वैसे तो इस ऑर्ग्युमेन्ट की यह स्टेज नही थी, पर फिर भी इसका जवाब देता हूँ। I am explaining the provisions of the Constitution in regard to this in clear terms.

एसेन्शियल गुड्स एक्ट जो है वह सैन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट अमल में आने के बाद समाप्त हो जाता है।

फिर यह जो सवाल है वह उस एक्ट के पास होने से पहले लिये गये टैक्सों को वेलिडेट करने का सवाल है। फिर इस पर प्रेसिडेन्ट की गवर्नर की सैक्शन पहले हो चुकी थी। नया टैक्स लगा नहीं रहे हैं जिसमें फिर से सैंक्शन लेने की जरूरत हो। वह तो पहले कानून में कोई लेकुना रह गया था प्रेसिडेन्ट की सैंक्शन नहीं मिली थी इसलिये वेलिडेट कराने के लिए यहाँ लाना पड़ा।

तो इस वास्ते इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर का सवाल नहीं पैदा होता। हम कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं कर रहे हैं। हम तो पहले जो इम्पोज किया था और जिसको रियेलाइज कर चुके हैं, उसको वेलिड कराना चाह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह उपमन्त्री जी ने कहा कि हम कोई नया टैक्स इम्पोज़ नहीं कर रहे हैं उनकी एक बात इस विषय में समझ में आ सकती है कि आज की तारीख से नया टैक्स नहीं इम्पोज कर रहे हैं पर एक टैक्स है जिसको इम्पोज करने का उनको अधिकार नहीं था और उन्होंने इम्पोज किया और उसे इम्पोज करने में राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिये थी, क्योंकि वह टैक्स उस एसेन्शियल कोमोडिटी पर वे इम्पोज कर रहे थे, जिस पर टैक्स इम्पोज करने से पार्लियामेंट ने उनको कानून के द्वारा मना किया था, वह स्वीकृति राष्ट्रपति की उन्होंने नहीं ली और इस अर्से में जो गलती हुई, जो गलत इम्पोज किया उस इम्पोजिशन के विषय में हुई गलती को दुरुस्त कराने के लिए उन्होंने यह कानून पेश किया है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इम्पोजिशन पहले किया गया था वह गलत था और उसको अब दुरुस्त कराया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इस पीरियड में अब टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। उसकी लीगल पोजिशन अब बनेगी टैक्स की। इस नाते इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही आवश्यक है।

श्री सम्पतराम (पृथक राजस्व उप मंत्री): मैं मानता हूँ कि यह कानूनी मामला है। विधान सभा ने एक चीज पास की और उसने अपने अमेंडमेंट के जरिये मौजूदा कानून की ३१ मार्च, ५७ तक मियाद बढ़ाई और आप कहते हैं इस सदन को पॉवर नहीं था, पॉवर था। अब एक राष्ट्रपति की सैंक्शन नहीं थी तो इससे क्या?

श्री भैरोंसिंह : आप नहीं समझे कानूनी पॉइन्ट को।

श्री सम्पतराम (पृथक राजस्व उप मंत्री): मैंने अच्छी तरह समझा है। बात तो दरअसल यह है कि आपके पास बोलने के

Page No.52

(श्री सम्पतराम)

लिए मसाला नहीं था। कोई टिनेन्सी के ऊपर बोल रहे थे और कोई किसी और मुद्दे पर ..

श्री उपाध्यक्ष : No, no. you will kindly not impute motives.

श्री सम्पतराम(पृथक राजस्व उप मंत्री): मैं समझता हूँ कि इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो ऑर्ग्युमेंट दिया है वह इस पर बिल्कुल लागू नहीं होता।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब को कुछ गलतफहमी रह गई है। यह कॉन्करेन्ट लिस्ट के अन्दर था और कॉन्करेन्ट लिस्ट में होने से पार्लियामेंट ने इस पर लेजिस्लेट किया और पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट करके एक सर्टेन एक्ट बनाया जिसका एसेन्शियल कॉमॉडिटीज एक्ट नाम रखा और वह ऐसे कि ये कॉमॉडिटीज ऐसी हैं कि जिन पर स्टेट लेजिस्लेट नहीं कर सकती यानी जिन पर किसी तरह का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। उस पर आपने टैक्स कलेक्ट किया और टैक्स कलेक्ट करने के बाद अब आप लेजिस्लेचर के सामने यह बिल लाते हैं कि आप इस वलेशन को वेलिडेट करना चाहते हैं और यही मंशा आपके इस लेजिस्लेशन के अन्दर है। मेरा कहना यह है कि जब पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट कर दिया और सर्टेन कॉमॉडिटीज़ पर टैक्स लगाने के लिए प्रोहिबिट कर दिया तो उस पर असेन्ट के लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है बल्कि उस पर तो असेन्ट प्रेसिडेन्ट की होनी चाहिये, उस पर असेन्ट गवर्नर नहीं देगा बल्कि प्रेसिडेन्ट देगा। अब पार्लियामेंट ने किसी चीज को प्रोहिबिट कर दिया और उसको आप वैलिड करना चाहते हैं और उनमें से बहुत से ऐसे गुड्स हैं कि जो इन्टर स्टेट ट्रेड के अन्दर काम में आते हैं तो यह आपके लेजिस्लेचर और गवर्नर की कॉम्पीटेन्स के बाहर की चीज है कि यह लेजिस्लेचर इसको डिस्कस करे। इस पर तो प्रेसिडेन्ट की असेन्ट होगी तब ही यह लेजिस्लेचर इसको डिस्कस कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : The Central Act was repealed on 5-1-57. No prior sanction is necessary and the point of order so raised by the Honble'member Shri Shribhan Singh is not well taken.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : What is the position ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :थर्ड रीडिंग पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Yes

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सेल्स टैक्स बिल हमारे सामने है, मैं तो इस सेल्स टैक्स बिल को स्वयं को ही एक प्रतिगामी कदम मानता हूं और मैं ही नहीं, हमारे भारत के सभी लोग इसके लिए ऐसा ही मानते हैं। यहां तक कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने सेल्स टैक्स के नाम पर उसको गलत माना है और गलत मानकर कुछ चीजों पर सेल्स टैक्स को, जो कि सारे देश में लागू होने वाली चीजें थीं उन पर से सेल्स टैक्स हटा दिया और जहां तक एसेन्शियल गुड्स पर सेल्स टैक्स लगाने का प्रश्न है वह प्रश्न विचारणीय है कि इस तरह का टैक्स लागू रहना चाहिये या नहीं। इस टैक्स

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के तो आज लागू होने का प्रश्न नहीं है, यह तो पहले कभी टैक्स लगाया था और गलती हो गई और गलती होने के बाद हम उस समय के पीरियड की गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं। पहले तो गलती हुई कि एसेन्शियल गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा था उसको हम दुरुस्त करें या नहीं करें? मेरा ख्याल है कि जहां तक एसेन्शियल गुड्स का ताल्लुक है उन पर तो सेल्स टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने भी अपना कानून बनाते समय इस प्रकार का स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऐसे टैक्स लगाये जायें तो उनके लिए पहले प्रेसिडेन्ट की मन्जूरी मांगी जावे और हमारी प्रान्तीय सरकार ने गलती से या जान बूझकर, कोई भी बात उसके बारे में कही जा सकती है, जैसा श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि कानून विभाग के कर्मचारियों की गलती से ऐसा हुआ। हमारी सरकार इस प्रकार के गुड्स पर टैक्स लगा रही थी तो हो सकता है कि केन्द्र की सरकार ने उसको मन्जूर नहीं किया इस नाते उस बिल को वहां भेजा ही नहीं और घर में ही व्यवस्था करके गवर्नर से सैंक्शन लेकर उस टैक्स को उस समय चालू कर दिया। इस अवस्था में उसको आज हम वेलिड करें या नहीं करें? मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो गलती सरकार ने की, जान बूझकर की या किसी भी हमारे अधिकारी के समझने में या देखने से, रह जाने से गलती हुई हो उसको गलती नहीं मानते हुए यह व्यवस्था करें यह उचित नहीं। यह टैक्स प्रतिगामी कदम है, इस प्रकार के टैक्स से भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज जितने भी केसेज़ हम सेल्स टैक्स के देखते हैं उनमें यह पाते हैं कि राज्य कर्मचारी भी दुःखी होते हैं, व्यापारी भी दुःखी होता है और ग्राहक भी दुःखी होता है। यह टैक्स भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला टैक्स है और जीवन की उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स लगना जायज़ नहीं है। सदन को आज अवसर है कि हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इस प्रकार के जो सेल्स टैक्स का प्रश्न है, उसको हम अपने प्रान्त में नहीं लागू करना चाहते, इसलिए इस टैक्स को हम मूल रूप से रिजेक्ट कर दें। ऐसा मेरा इस सदन से निवेदन और अनुरोध है।

श्री सम्पतराम उप राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको पहले ही बता चुका हूं कि आज कोई एसेन्शियल गुड्स के ऊपर टैक्स लगने की बात नहीं है। वह तो विधान सभा ने पहले ही एक साल की मियाद बढ़ाई थी। इसमें एक लेकुना था इसलिए यह बात हुई। मैं समझता हूं कि नया टैक्स लगाया जाता और कुछ कॉमॉडिटीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता तब तो यह दलील दिया जाना उपयुक्त था जो कि माननीय सदस्य ने अभी दी। लेकिन वह तो एक लेकूना था और उससे सारे सेल्स टैक्स बिल को डिस्कस किया जाय यह वाजिब नहीं जंचता। मैं समझता हूं कि इस बिल को अब पारित किया जाय। इस तथ्य में कोई दलील नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (वेलिडेशन) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हाँ' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : You want division?

श्री भैरोंसिंह : हाँ।

(विभाजन घण्टी के पश्चात् पुनः)

Page No.54

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (वेलिडेशन) बिल, १६५८ पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हाँ' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : 'Ayes' to 'Ayes' lobbyand 'Noes' to 'Noes' Lobby.

श्री उपाध्यक्ष : I call the House to order.

'Ayes'—35

'Noes'—20

राजस्थान सेल्स टैक्स वैलिडेशन बिल, १६५८, को पारित किया गया।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

विभाजन सूचियों के अनुसार 'हाँ' व 'ना' पक्ष के सदस्य :

'हां' पक्ष

३५

श्री अमरा मीना रावत

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता

डॉ० बहादुरसिंह

श्री भीमसेन

श्री चुन्नीलाल

श्री दलीपसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री देवीलाल

श्री धन्नालाल हरित

श्री गोपीसहाय

श्री गोवर्धनसिंह केन

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हरिदेव जोशी

श्री हरिकिशन

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री

श्री जयचन्द्र मोहिल

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री जयसिंह राणावत

श्री ज्वालाप्रसाद

श्री किशनलाल शर्मा

श्री लालूराम टटवाड़िया

श्री नारायणलाल

श्री नरोत्तमलाल जोशी

श्री नाथूराम

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

श्री रामचन्द्र

श्री रावतराम नहाल

श्री रिखबचन्द धारीवाल

श्री सम्पतराम

श्री श्रीनिवास शारदा

श्री श्रीमानसिंह

श्री तेजाराम गहलोत

श्री तेजपाल

श्री विद्यासागर

श्री वली मोहम्मद

'ना' पक्ष

२०

श्री अनूपसिंह

श्री बालमुकुन्द

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री डूंगरसीदास दरबान

श्री गज्जा पटेल

श्री गिरधारीलाल

श्री जगदीशप्रसाद माथुर

श्री कालूराम

श्री लक्ष्मीचन्द

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर, पूर्व)

कुंवर श्री मंगलसिंह

रावबहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह

श्री पृथ्वीराज

श्री रामधन पटेल

श्री रामकरणसिंह

श्री रामनारायण वर्मा

श्री रिद्धिचन्द

रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री तनसिंह

श्री वीरका

१.४५ म० प०

राजस्थान जनरल क्लॉजेज (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय......

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ऑन ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट ऑफ बिजनेस जो हमारे सामने आई है उसमें उल्लेख है इस बात का कि 'श्री रामकिशोर व्यास, विधि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय...... ।' तो श्री रामकिशोर व्यास के स्थान पर श्री दामोदरलाल व्यास कब से आ गये हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, सदन में यह परम्परा गलत हो रही है कि मिनिस्टर महोदय सदन की परवाह नहीं करते हैं और अपने घर पर रहते हैं या सदन की कार्यवाही को बाकी के कामों से कम इम्पोर्टेन्स देते हैं । यह हो सकता है कि रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान है कि "Minister includes every minister" लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रावधान का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जाय और हमारे राज्य के मन्त्रिगण सदन का ज्यादा महत्व न समझ कर और कामों का ज्यादा महत्व मंजूर करें, इसलिए......

श्री उपाध्यक्ष : I could understand the sense of the Hon'ble Member and the Government has also understood the sense of the Hon'ble member.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन दिक्कत यह है कि बार बार ऐसी बातें करते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता है....

श्री उपाध्यक्ष : Let us see, it may not.

श्री भैरोंसिंह : इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कुर्सी से इस प्रकार का निर्देशन दिया जाय...

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : जब चेयर अपने लेग्स पर हो उस समय कोई मेम्बर किस तरह से खड़ा रहा सकता है ?

Page No.56

श्री उपाध्यक्ष : Yes. The Minister-in-charge of the Bill please.

श्री भैरोंसिंह : Minister-in-charge of the Bill is Shri Ram Kishore Vyas.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह समझने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : This is a very simple point which we have decided before.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब उपस्थित नहीं थे और अब होम मिनिस्टर साहब नहीं हैं । यह तरीका गलत है । इसके लिए विचार होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : तरीका कोई गलत नहीं है । माननीय मंत्री महोदय, आरम्भ रखें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जनलर क्लॉजेज (संशोधन) विधेयक, सन् १९५८ को....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति किस एक्स्टेन्ट तक चलेगी, यह भी जरा बता दिया जाय । आम तौर से यह देखा हैं कि मिनिस्टर लोग हमारी कोई परवाह नहीं करते हैं, और असेम्बली में जब किसी का बिल आता है तब भी उपस्थित नहीं रहते हैं । यह जो चीज चलती है, यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि सदन की विचार धारा को ट्रेज़री बैन्चेज़ ने समझ लिया है । किस समय तक चलेगा यह कोई सीमित नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी मिलनी चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, कि माननीय गृह मंत्रीजी बीमार हैं या सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में फोटो खिचवाने गये हैं या कहीं और गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । माननीय सदस्यों का यह कहना कि मिनिस्टर लोग सदन की परवाह नहीं करते हैं, यह बिल्कुल गलत है । सदन एक सोवरेन बॉडी है, उसकी परवाह न करना यह तो हमारे लिए विचार करना भी मुश्किल है ।

श्री भैरोंसिंह : वे खाना खाने चले जाते हैं और सदन की परवाह नहीं करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मंत्रियों को सरकारी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है । जब कि ज्वाइन्ट रेस्पॉसिबिलिटी है तो हर एक मिनिस्टर हर एक बिल का इन्चार्ज है और वह बिल को पायलॉट कर सकता है । इसमें कोई कॉन्स्टीट्यूशनल डिफिकल्टी नहीं हैं, कोई रुकावट नहीं है । जो मिनिस्टर बिल को पायलॉट करता है, वह मिनिस्टर इन्चार्ज है । यह दूसरी बात है कि कन्वीनियेन्स के लिहाज से, एड्मिनिस्टेशन को पोर्टफोलियोज में तकसीम कर रखा है । ज्वाइन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मिनिस्टर जो बिल को पायलॉट करता है वह सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में उस डिपार्टमेन्ट का इन्चार्ज हो जाता है ।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह से......

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any debate on this point. I have already given my decision.

श्री तनसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपने फरमाया था कि ये समझ गये हैं

(श्री तनसिंह)

लेकिन ये समझे नहीं हैं। वे तो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि कोई भी मिनिस्टर पायलॉट कर सकता है।....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इस पर निर्णय दे दिया है। माननीय मन्त्रीजी आरम्भ रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already requested, Sir, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कानून की नाजायज़ तौर से मंत्री जी अवहेलना करते रहे, तो हमारे लिए भी यह उचित नहीं है कि हम यहां पर बैठकर उसको सुनते रहें। चाहे जो भी मन्त्री इसे मूव करें, हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस तरह की चीज को सहन करते रहें। इसलिये हम वाक आउट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की सूचना के लिए निवेदन करता हूं कि वाक आउट साधारण तरीके से आजकल किये जा रहे हैं, यह सदस्यों की मंशा है कि वे यहां से बाहर जायें या अन्दर रहें फिर भी सदन का कार्य तो चलेगा ही। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इतनी सहूलियत से इस शस्त्र को काम में न लिया जाय, तो वाक आउट का महत्व रह सकेगा।

१.५२ म० प०

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : वाक आउट का महत्व कम न हो इसकी चिन्ता सदन के सभी सदस्यों को है। लेकिन जहां कानून की न्यायसंगत इच्छाओं की पूर्ति न कर सकें तो पहला चरण यही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस पर डिबेट की आज्ञा नहीं दूंगा जिनको वाक आउट करना है वे कर चुके हैं। मैं कार्यवाही चालू रखता हूं।

(श्री भैरोंसिंह द्वारा भी बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दि राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१.५४ म० प०

मोटर विहिकल्स बम्बई संशोधन निरसन (संशोधन) विधेयक, १९५८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दि मोटर विहिकल्स (बॉम्बे अमेन्डमेन्ट) रिपीलिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी मोटर विहिकल्स (बॉम्बे अमेंडमेंट्स) रिपीलिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(जिन माननीय सदस्यों ने पहले बहिर्गमन किया था उनका सदन में पुन: प्रवेश)

'हाँ' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : 'ना' पक्ष जीता।

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दि मोटर विहिकल्स (बाम्बे अमेन्डमेन्ट्स) रिपीलिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दि मोटर विहिकल्स (बाम्बे अमेन्डमेन्ट्स) रिपीलिंग (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८ को पारित किया जाय।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय अभी आपने जिस बिल को विचारार्थ लिया है वह जनरल क्लॉजेज़ बिल है, फिर यह मोटर विहिकल्स बिल कहां से आ गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सावधानी से काम लें, तो आपको पता चल जायगा।

श्री तनसिंह : आपने अभी फरमाया था...

श्री उपाध्यक्ष :I will request the Hon'ble member to be more attentive

श्री भैरोंसिंह : इसे मूव नहीं किया है पारित करने के लिए।

श्री तनसिंह : पारित करने के लिये मूव नहीं किया है बीच में ही छोड़ दिया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : It has already been moved.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मूव कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : It has been moved in the proceedings and also from the version of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि परिवहन मन्त्री श्री नाथूराम मिर्धा का स्थान राजस्व मन्त्री श्री दामोदरलालजी ने ले लिया है। किस कारण से लिया यह तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज से वे नाथूरामजी मिर्धा बने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में भी इसी बात का उल्लेख आता है जिस बात का उल्लेख अभी कुछ समय पहले सेल्स टैक्स वेलिडेशन बिल के सम्बन्ध में जिन बातों को लेकर सदन में चर्चा हुई थी और मैं समझता हूं इस चर्चा का मुख्य आधार यह था कि जब कभी हम कोई कानून बनाते हैं तो उसमें कई कमियां रह जाती हैं और उनको दुरुस्त करने के लिये समय समय पर अमेन्डमेन्ट बिल्स लाये जाते हैं, जबकि सदन के माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्य इस बात की ख्वाहिश प्रकट करते हैं कि कानून बनाने में पूर्ण सतर्कता बरती जाय, उसके सारे प्रोस एण्ड कोन्स देख लिये जायं कानून में उनका समावेश किस प्रकार से होता है और उसका क्या प्रभाव होता है, इन बातों को अच्छी तरह से देख लिया जाय । उसके बाद में यदि कानून बनाया जाता है तो उसमें बार बार संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी सरकार ने मोटर विहिकल्स(बम्बई संशोधन) निरसन विधेयक, १९५८ में संशोधन पेश किया है । इसके द्वारा सरकार की मन्शा यह है कि बम्बई का मोटर विहिकल्स एक्ट, जिसे हमने रिपील किया है, उसके कारण उस सारे एक्ट के प्रावधान निरसित हो गये हैं, ऐसा नहीं समझा जायगा बल्कि जब तक जितने भी और अमेंडमेंट एक्ट्स बने हुए हैं, उन एक्ट्स का जब तक निरसन नहीं होता उस समय तक इस बात को कानूनी ढंग से नहीं माना जा सकता है कि मोटर विहिकल्स एक्ट का निरसन पूर्णतया हो चुका है और इसलिए हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक लाई है । जहां तक सरकार का फर्ज है, माननीय मंत्रियों का फर्ज है, या उनकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का फर्ज है, मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि वे अपनी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी को ठीक प्रकार से निभाते हैं, एक मंत्री के स्थान पर दूसरे मंत्री आते हैं, दूसरे मंत्री के स्थान पर तीसरे मंत्री आते हैं, उपमंत्री के स्थान पर मंत्री जी आते हैं और मंत्री के स्थान पर उपमंत्री आते हैं । जहां तक जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी का प्रश्न है, उसका निर्वहन ठीक प्रकार से करते हैं । लेकिन प्रश्न यह आता है ....

२. १ म० प०

(श्री अध्यक्ष, पदासीन)

जहां इस प्रकार की कार्यवाही हो, जिससे कि कानून में लेकुना रहे, कानून में गलती रहे, तो हमें सबसे पहले इस बात को ट्रेस आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, हम सबसे पहले इस बात को निकालने की कोशिश करें कि किसके कारण गलती रही । राजस्थान सरकार ने एक लॉ डिपार्टमेंट बना रखा है, जब सरकार कोई कानून बनाना चाहती है तो उस कानून की भावना, उस कानून के सम्बन्ध में नीति, जो कि हमारी सरकार की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के द्वारा नीति निर्धारित होती है, वह निर्धारित नीति हमारे लॉ डिपार्टमेंट को कन्वे की जाती है और लॉ डिपार्टमेंट उस नीति के आधार पर कानून बनाता है और कानून का ड्राफ्ट विधान सभा में पेश करता है । विधान सभा उस कानून के ऊपर गम्भीरता से विचार करके उस कानून को पारित करती है अथवा रिजेक्ट करती है । अब इस कानून में एक प्रश्न आता है कि जिस समय आबू का एरिया, सुनेल का एरिया, राजस्थान के अन्दर शामिल हुआ । उस समय जिस जिस जगह बम्बई मोटर विहिकल्स एक्ट लागू था, हमने उस स्थान पर राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्ट लागू किया और उसके साथ ही जो कानून उस स्थान पर पहले राज्य का लागू था, उसको निरसन किया । यह उस समय देखने की बात थी, एक मोटी सी बात है, जब कोई भी कानून बनायें, तो हमारा कानून उस प्रान्त के कानून को निरसित करने से लागू होता है, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट पास हो गये हैं, उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए । मुझे खुशी है कि हमारा लॉ डिपार्टमेंट आज इस प्रकार अयोग्यता का प्रदर्शन कर रहा है कि अगर अयोग्यता की प्रतियोगिता की जाय, तो मुझे कहने में संकोच न होगा कि हमारे लॉ डिपार्टमेंट का पहला नम्बर होगा । लेकिन

(श्री भैरोंसिंह)

जब लॉ डिपार्टमेंट का पहला नम्बर है, और उसके कारण से भी आज कोई एक्शन न लिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यदि भविष्य में वह डिपार्टमेंट गलतियां न करे, इस बारे में जब तक सरकार अपने हाथ मजबूद नहीं करेगी, कोई दृढ़ नीति नहीं बनायेंगी, उस समय तक मैं समझता हूं कि जिस प्रकार गलतियों का रिपीटिशन अब तक होता आया है, वह आगे भी होता जायगा। मंत्रीजी कहें कि गलती आज ध्यान में आई। मैं मानता हूं कि गलती आज ध्यान में आई है। यातायात मंत्री के ध्यान में यह गलती आज आ सकती है, राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर के ध्यान में आज आ सकती है लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं, जिन्हें कि कानून के लेकुनाज दूर करने के लिए, कानून की परिभाषाओं को ठीक तरह से बनाने के लिए रखा है। उनकी कार्यवाही हो जाती है कि वे कानून के लेकुनाज को देखें और जिस समय कानून बनाते हैं, उस समय उसमें आवश्यक परिवर्तन और परिवर्द्धन करने के सुझाव रखें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून के अन्दर लॉ डिपार्टमेंट की गलती रहती है जिससे कारण बम्बई मोटर विहिकल्स एक्ट को हमने रिपील किया, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट्स को रिपील नहीं किया था और उससे जब कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हुए, तो इस कानून को रिपील किया और इससे अमेंडमेंट एक्ट्स को भी रिपील किया हुआ समझा जायगा, इस बात को लेकर यह संशोधन विधेयक पेश हुआ है। मैं समझता हूं कि यह परम्परा बिल्कुल गलत है। मैं इस संशोधन का विरोध नहीं करता हूं। कानून को रिपील करना है, यह सही है और रिपील किये बिना कुछ कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं और उस क्षेत्र के अन्दर जिस राज्य का कानून प्रभावशील बना हुआ था, इस राज्य के कानून के प्रभाव को हटाने के लिए उसे निरसन करना आवश्यक है। आज तक राजस्थान में गलतियां होती रही हैं, गलतियां रिपीट होती रही हैं, कानूनों के बारे में लोग इस प्रकार की भावना बना कर चलते हैं कि राजस्थान विधान सभा कानून ही नहीं बनाती है, कानूनों का जंगल खड़ा कर देती है, जिसको साधारण जनता पढ़ नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आम जनता की शिकायत है कि ऐसे कानून बनें, जिनको जनता पढ सकती हो। राजस्थान के किसी गजट को निकाल कर देखें उसमें कोई बिल आता है, या एक्ट की असेन्ट आयेगी या उसका प्रारूप आयेगा। उसके कारण क्या होता है कि जितने सरकारी ऑफिसर होते हैं, उनको कानून का पता नहीं रहता, वे इस बात में फंसे रहते हैं कि आज इस कानून को देखें तो छः महीने में इसमें संशोधन आयेगा, उसको देखेंगे। न मालूम किस समय कौनसा संशोधन आ जायगा, यह ज्ञान नहीं रहता। सरकार जो पीस मील लेजिस्लेशन रखती है, और छोटे मोटे कानून बनाती रहती है, उनकी जानकारी न तो जनता को होती है, न सरकार को होती है और जो फायदा सरकार और जनता को उस कानून के द्वारा देना चाहते हैं, वह फायदा कानून के द्वारा मिलता नहीं है, वह भी केवल सरकार की इन्कॉम्पीटेन्सी के कारण से। मैं निवेदन करूंगा, शायद मेरे कहने का बुरा लगे, कि कम से कम कानून लागू करने से पहले आप यह व्यवस्था कर लें कि लॉ डिपार्टमेंट अधिक सर्तकता बरते और जिस प्रकार कानूनों को पास करने की व्यवस्था, व्यवहार और परम्परा पटकी जा रही है, इसको रोकने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही

(श्री भैरोंसिंह)

न होने का आश्वासन दें। मैं इस कानून का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, यातायात मंत्री की अनुपस्थिति में): अध्यक्ष महोदय, इस कानून के उद्देश्य को माननीय सदस्य ने खुद बतला दिया है और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में साफ दिया हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है और कई बातें कहीं हैं जो मोहताजे जवाब है। मैं समझता हूं कि उनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नमूना है, इसलिए हमने बिल को पायलॉट करने के सम्बन्ध में एतराज उठाया था। आपने फरमाया कि वे जवाब देना नहीं चाहते। जो भी टूटी फूटी भाषा में...

श्री दामोदरलाल व्यास : किस चीज का जवाब दूं ?

श्री तनसिंह : जवाब देने के लिए हम कह रहे हैं। जवाब देना तौहीन समझते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा कि जवाब देना तौहीन समझता हूं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई जिसका जवाब देने की आवश्यकता हो। कई बातों के द्वारा लॉ डिपार्टमेन्ट पर छींटाकशी की गई है। उसका जवाब क्या दूं.....

श्री अध्यक्ष : उसका मेन्टल नोट ले सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह लिया या नहीं लिया, यह डिस्प्युटेड पॉइन्ट है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका एतराज सही है या नहीं, यह ज्यादा डिस्प्युटेड पॉइन्ट है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

२.५ म० प०

राजस्थान वाद मूल्यांकन विधेयक, १९५८

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सूट्स वेल्युएशन बिल, १९५८।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, विधि मन्त्री की अनुपस्थिति में) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूट्स वेल्युएशन बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

इसमें कुछ संशोधन हैं। डॉ० बहादुरसिंह के अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ पांच व आठ पर हैं।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

कोई माननीय सदस्य किसी क्लॉज़ पर बोलना चाहते हैं ?

(मौन)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, ३, ४, ५, ६ व ७ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २ से ७ विधेयक के अंग बने ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़१, प्रिएम्बल इत्यादि को स्वीकार किया जाय ।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं आ गया हूं साहब ।

श्री अध्यक्ष : आप थर्ड रीडिंग पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : एक नया क्लॉज़ आठ है ।

श्री अध्यक्ष : नया क्लॉज़ है इस पर बोल सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,यह राजस्थान वाद मूल्यांकन विधेयक, १९५८...

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज़ पढ़ दीजिये ।

डॉ० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज़ आठ नया जोड़ा जाय, जो इस प्रकार है :

"8. All rules made under this Act shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as that Assembly may make within fourteen days thereafter during the session in which they are so laid."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ जोड़ने से मेरा तात्पर्य यह है कि हम जो भी कानून, नियम इत्यादि बनाते हैं, उनसे कुछ विधान सभा अनभिज्ञ रहती है । विधान सभा के सदस्य यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या कानून और नियम बने, जिसके कारण उसकी आलोचना होती है । इसलिए मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी हम नियम आदि बनावें, उनको विधान सभा की स्वीकृति के लिए अवश्य रखें, चाहे विधान सभा उसमें कोई संशोधन करे,चाहे परिवर्तन या परिवर्द्धन करे, किन्तु वे विधान सभा के सामने अवश्य आने चाहिए । मेरा यह आवश्यक संशोधन है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और विधान सभा के अधिकार क्षेत्र का है......

श्री अध्यक्ष : ये रूल्स अब भी रखे जाते हैं । माननीय सदस्य रद्दो बदल करना चाहें तो कर सकते हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : ऐसा इसमें नहीं है । इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि रूल्स रखे जायेंगे, इसलिए मेरा संशोधन है । रहा सवाल नेसेसिटी का, मेरा संशोधन निकल गया हाई कोर्ट की पर्मिशन का, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियम हों, उनको कम से कम विधान सभा के सामने लाना जरूरी है और उन्हें लाना चाहिये । ठीक है कि उनमें कोई परिवर्तन आप न करना चाहें लेकिन यह विधान सभा का अधिकार है, उसको बरकरार रखना चाहिए । यह मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

श्री तनसिंह : (श्री दामोदरलाल व्यास की ओर संकेत करते हुए), एक्सेप्ट कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। आप फर्मायें कुछ, आपकी बात सुनने के बाद निर्णय ले सकता हूं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेन्ट नया क्लॉज ८ एड (add) करने के लिए माननीय सदस्य ने रखा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है और इस अमेन्डमेन्ट के फलस्वरूप जो भी नियम रूल्स वेल्युएशन एक्ट में बनेंगे, वे असेम्बली के समक्ष रखे जायेंगे और असेम्बली उनमें रद्दोबदल कर सकती है। इस प्रकार की शंका भी व्यक्त की गई है कि बिना अमेन्डमेन्ट के भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा नहीं जाता है तब तक उसमें यह लाजिमी नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेन्ट स्टेट असेम्बली के सामने रखे और यह हो सकता है कि विधान सभा ऐसी व्यवस्था करें कि जिसके आधार पर जितने सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से डील विथ करें। वर्तमान अवस्था है, उनमें उन्हीं कानूनों के अन्तर्गत बनाये गये नियम रखे जाते हैं, जिनमें स्पष्ट उल्लेख किया होता है, उसके अन्तर्गत किसी प्रकार के नियम बनाये जायेंगे, वे असेम्बली के समक्ष रखे जायेंगे और उसमें संशोधन हो सकता है। वैसे वाद वेल्युएशन विधेयक उस प्रकार का कानून नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश की आवश्यकता न हो। ऐसी अवस्था में जो संशोधन रखा गया है, वह बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई नुक्स नजर आता है तो वह यह है:

"Modifications as that Assembly may made within fourteen days……"

मेरा इसमें सुझाव है, वैसे तो मन्त्री जी मानेंगे नहीं, फिर भी यह सुझाव है कि यदि १४ दिन के भीतर अमेंडट करने की मंशा है तो १४ दिन के भीतर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो वह मॉडिफिकेशन लागू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहां पर रूल्स पेश हों और हम वापिस उसमें अमेन्डमेन्ट भेजें, वे अजेन्डा पर आयें, इसमें १४ दिन लग जायें तो ऐसी संभावना है कि अमेन्डमेन्ट छूट जायेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि १४ दिन का प्रोविजन होने के कारण आवश्यक कार्यवाही हो उसको इसमें लाना पड़ेगा। तो इसलिये फोर्टीन डेज का है यह न रख कर विदिन फोर्टीन डेज के बजाय ऐसा हो कि कोई मेम्बर विदिन फोर्टीन डेज नोटिस दे सकता है, इस प्रकार का प्रावधान हो जाय तो वह इसकी मंशा पूरी कर देगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, विधि मंत्री की अनुपस्थिति में): अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि इसमें क्लॉज ८ की आवश्यकता नहीं है। आम तौर से रूल्स बनाये जाते हैं, वह गजट में प्रकाशित होते हैं, आम तौर से गवर्नमेंट ने अपना यह तरीका बना रखा है कि हाउस की टेबिल पर रखे जाते हैं। रहा यह कि हर एक रूल को यहां रख कर फोर्टीन डेज में असेम्बली की सम्मति ली जाय तो इससे तो प्रोसीजर में बड़ी देरी होगी और इस प्रकार के प्रावधान कहीं होते नहीं। वैसे २३८ रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें मुलाहिजा फर्मायेंगे तो उसमें साफ है। तो यह जरूरी नहीं है कि क्लॉज ८ जो माननीय सदस्य ने पेश किया है उसको इन्सर्ट किया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैंने तो यह सरकार के फायदे की बात रखी है, यह नहीं रखते हैं तो ब्लैंक पेपर पर असेम्बली की हां भरवा लेते हैं, गजट में प्रकाशित कर देते हैं पर विधान सभा के सदस्यों को तो पता नहीं। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं इसे विद्ड्रॉ करता हूं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, 'रूल ३८' मन्त्री महोदय ने क्या कहा, यह हमारी समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने '२३८' कहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन एक नया क्लॉज ८ जोड़ने के लिये डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है, उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सूट्स वेल्युएशन बिल की क्लॉज १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायँ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १ और प्रिएम्बल इत्यादि
विधेयक के अंग बने।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूट्स वेल्युएशन बिल को स्वकीार किया जाय।

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं उस वक्त चला गया था। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार हाईकोर्ट से भी सुपर बनना चाहती है, 'सेंक्शन ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट,' यह रख कर हाईकोर्ट को आप इस प्रकार कन्ट्रोल करना चाहते हैं। कम से कम हाईकोर्ट को तो स्वतन्त्र रखना चाहिये। आज राज्य की व्यवस्था है वह इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक पत्र दिया जाय तो ६ महिनों में उत्तर आता है और होईकोर्ट बगैरह से पत्र भेजा जाय तो मुमकिन है ६ वर्ष में भी नहीं आये। तो हाईकोर्ट कोई कमी महसूस करे और वह भी पर्मिशन स्टेट गवर्नमेंट की ले, इसको अब भी पारित नहीं किया जाय तो अधिक उत्तम होगा।

नियमों के बारे में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के सम्मान के हेतु सारे रूल्स जितने भी तैयार करें कम से कम विधान सभा की टेबिल पर जरूर प्रस्तुत करने चाहिये।

इस तीसरे वाचन के समय मैं फिर निवेदन करूँगा कि इन संशोधन के साथ इसे पारित किया जाय तो अधिक उत्तम होगा।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, पांचवें क्लॉज पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की है उसके बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने कोई नई चीज नहीं की है। जो हिन्दुस्तान १८८८ का सूट्स वेल्युएशन एक्ट है जिसको ४९ में राजस्थान में अडॉप्ट किया गया। इस एक्ट के बारे में पहले डिस्प्यूट था कि स्टेट सबजेक्ट है या सेंटर का सबजेक्ट। स्टेट मिनिस्टरी ने माना है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। वह यहां राजस्थान में ही नहीं और भी सभी जगह है। हाईकोर्ट का जो प्रावधान रखा है वह किसी सबजेक्ट के वेल्युएशन के सवाल के लिये है। इसे यदि हाईकोर्ट तय करे तो

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वह स्टेट गवर्नमेंट को पूछ लेगा । यह राजस्थान हाईकोर्ट के लिये प्रोविजन किया गया हो, ऐसी बात नहीं है । जुडीशियल मामलात में एप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है । तो मैं समझता हूँ यह एक गलत-फहमी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

२.८ म० प०

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

(खंडशः विचार विमर्श स्थगित)

श्री अध्यक्ष : Rajasthan Municipalities Bill, 1657; Clause 5 is under consideration.

डॉ० बहादुरसिंह : इस पर बहुत से अमेंडमेंट्स हैं जो सर्कुलेट नहीं हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष: सर्कुलेट तो हो चुके हैं । The Amendments were moved और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री तनसिंह : आज चार–पांच बिल थे तो यह सोच कर आये थे कि वे ही ....

श्री अध्यक्ष : यह सोच कर आये थे कि इनको पूरा नहीं होने देंगे ।

(हंसी)

श्री तनसिंह : (जारी) पर यहां आकर देखा कि न तो मन्त्री महोदय तैयार हैं और न बिजनेस...

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : आप तैयार नहीं होंगे, हम तो तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : जिनको सुनाना चाहते थे, वे मौजूद नहीं हैं ।

श्री तनसिंह : हम तो इस बिजनेस को तीन चार दिन का समझते थे, आज बहुत काम कर दिया है । कल से म्युनिसिपैलिटीज बिल रख लीजिये, बिल की अमेंडमेंट्स की कॉपियां भी नहीं लाये हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कहना कि बिजनेस इतना था कि तीन चार दिन चलेगा, तो इसके लिये तो मैं यह अर्ज करूँगा कि बिजनेस तो केवल आधे घंटे का था । जितना समय लिया गया वह तो समय का उपयोग ही किया । हाँ, आज आप नहीं चाहें तो वह अलग बात है; पर किसी की तैयारी के लिये कहना कि तैयार नहीं थे, या बिजनेस इतना था कि तीन चार दिन चलेगा, यह ठीक नहीं । तैयार तो आप नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल तैयार है, और माननीय अध्यक्ष अगर चलाना चाहें तो चलायें ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही और म्युनिसिपल बिल पर कल विचार करना चाहते हैं, इसलिये सदन की कार्यवाही कल मध्यान्ह पूर्व ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. २.२२ पर, मंगलवार, दिनांक २५. ११. ५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, २४ नवम्बर, १९५८)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३७३०
साँचौर तहसील के जागीरदारों से बकाया लगान की वसूली ।	
राजस्थान सचिवालय के अधीक्षकों की ज्येष्ठता ।	
ग्लास फैक्टरी, बीकानेर ।	
ग्राम पालड़ी रणावतों (बिलाड़ा) में मकान जल जाने से सरकार द्वारा सहायता ।	
सीकर जिले के पिछड़ी जाति के छात्रों को स्कोलरशिप ।	
जागीर संबंधी केसेज़ ।	
किसानों से रॉयल्टी नहीं लिया जाना ।	
इंडस्ट्रीज़ लोन—जिला टोंक	
अनसेटिल्ड जागीरों की रिज़म्पशन से मुक्ति ।	
पढ़े लिखे हरिजनों की नौकरियां ।	
खानों के ठेकेदारों से डम्प रिमूवल फन्ड के नाम पर वसूली ।	
तकावी वितरण-तहसील लालसोट ।	
ठाकुर सतवाड़ा, (तहसील देवली) को सरकार द्वारा खुदकाश्त की जमीन का अलॉटमेन्ट ।	
लालसोट तहसील की पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी ।	
स्वर्गीय नवाब रुस्तम अली, धौलपुर के उत्तराधिकारियों को सरकार द्वारा मान्यता ।	

	स्कम्भ
ब्लॉक अधिकारी, करनपुर द्वारा सरकारी जीप का दुरुपयोग ।	
झालावाड़ में मोचीवाड़े वाली शराब की दूकान का ठेका ।	
सब डिवीजनल ऑफिसर, करनपुर द्वारा ट्रेक्टर खरीदने के लिए तकावी की सिफारिश ।	
अध्यापकों को प्राइवेट परीक्षा पास करने की अनुमति ।	
नीम का थाना आदि तहसीलों में काश्तकारों को काश्त गिरदावरी की स्लिप का तकसीम नहीं किया जाना ।	
झालरापाटन तहसील में पत्थरों की खानों का ठेका ।	
गंगापुर में भूमि मालिकों को मुआवज़ा ।	
राजकीय मिडिल स्कूल, किशनगढ़ की इमारत ।	
बारां नगर के बाढ़ पीड़ितों को सहायता ।	
हायर सेकन्डरी स्कूल ।	
खनिज विभाग के क्लर्क्स को तरक्की ।	
अलवर जिले के जंगलों को राजस्व विभाग को दिया जाना ।	
शिक्षा विभाग में नियुक्ति के बाद समय पर वेतन का नहीं मिलना ।	

स्कम्भ

सवाई माधोपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा खर्च ।

जागीरी कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति—जोधपुर डिवीजन ।

जिला उदयपुर में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को सरकार द्वारा दी गई धन-राशि ।

फालना कॉलेज के प्रोफेसर ।

फूड एण्ड सप्लाई विभाग, कोटा का व्यापारियों पर बकाया रुपया ।

मित्र सहकारी समिति, सलूम्बर ।

सदन से अनुपस्थिति के लिये अनुमति ३६८६

श्री शिवचरणदास, सदस्य विधान सभा, को दिनांक २४-१०-५८ से ३०-११-५८ तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

विधायी कार्य

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान बिक्री कर (वैधकरण) विधेयक, १६५८ ३६८६

(खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित) ।

श्री सम्पतराम, उप-मंत्री, आबकारी व कर विभाग, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० बहादुरसिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को एक प्रवर समित के सुपुर्द किया जाय । वाद-विवाद के पश्चात् डॉ० बहादुरसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ । खण्डश : विचार के बाद विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

स्कम्भ

(२) राजस्थान जनरल क्लॉजेज (संशोधन) विधेयक, १६५८ ३७३८

(विचार-विमर्श एवं पारित)

(३) मोटर विहीकल्स (बम्बई संशोधन) निरसन (संशोधन) विधेयक, १६५८ ३७४३

(विचार विमर्श एवं पारित)

राजस्थान वाद मूल्यांकन विधेयक, १६५८ ३७५१

उपरोक्त तीन विधेयक भी विचारार्थ लिये जाकर सदन द्वारा पारित किये गये ।

(४) राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७

उपरोक्त विधेयक पर खण्डशः विचार विमर्श आज स्थगित किया गया ।

मंगलवार दिनांक २५ नवम्बर, १६५८ की कार्य-सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १६५७ ।

(विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ का उत्तर देखिये)

Amount of loan advanced since 1955 for the development of small Scale Industries in the Tonk District.

S. No.	Name of the party	Nature of Industry.	Amount of loan advanced.
			Re.
1.	Shri Mohd. Usman, Raj Biri Factory, Tonk	Bidi Making	3,000/-
2.	„ Khalilul Rehman, Moti Bagh, Tonk.	Furniture making	5,000/-
3.	„ Girdhar Dass Bahera Prop. Bharat Printing Press, Tonk.	Printing Press.	5,000/-
4.	„ Madanlal Gauri Shanker Niwai.	Ginning Factory.	7,000/-
5.	„ Rasbiya Furniture Utpadak Sah. Semiti Ltd., Tonk.	Furniture making	7,000/-
6.	„ Malpura Ent Utpadak Sah. Samiti Ltd., Malpura.	Brick Mfg,	5,000/-
7.	„ Mesin Raseed Khan, Tonk	Mfg. Rubber paddles seat covers of cycles.	2,000/-
8.	„ Mohd. Ibrahim S/o Allah Banda Tonk.	Mfg. of Sugar cane Prssing machine.	4,000/-
9.	„ Rahmatullah S/o Abudllah, Tonk.	Mfg. Agricultural implements	5,000/-
10.	„ Mohd. Usman Haidry Tonk, Prop. Raj. Bidi Factory,	Bidi Mfg.	2,000/-
11.	„ Niwai Regar Sah. Samiti Ltd., Niwai.	Leather tanning.	5,000/-
12.	„ Rafiq Mohd. Khan Habib Mohd. Khan, Tonk.	Polishing of brass utensils	2,000/-
			52,000/-

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३६ का उत्तर देखिये)

फहरिस्त तकावी जिन जिन व्यक्तियों को जिन जिन कार्य के लिए तहसील लालसोट से दी गई तथा जिनमें रकम बकाया है।

क्रम संख्या	नाम आसामी		जिस कार्य हेतु तकावी दी गई	रकम जो बकाया है	बकाया रकम कब तक वसूल होगी
१.	श्री बहादुरसिंह राजपूत	डिग्गो	खरीद ट्रैक्टर	६७५० रु०	इस विषय में जरिये नं० १४६५/D.R.A दिनांक ६-८-५७ डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की रबी सं० २०१३ से १० इफसात में वसूली की स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है।
	ग्रो मोर फूड				
२.	श्री हनुमानसिंह राजपूत	डिग्गी	तासीर चाह	३०० रु०	३१-३-५६
३.	,, कल्याणसिंह	,, ,,	,,	—	—
४.	,, मेंरूमीणा	,, ,,	,,	—	—
५.	,, माजीनाथावतजी	,,	,,	—	—
६.	,, छाजू मालीश्योनन्दा	,,	,,	—	—
७.	,, जगन्नाथ ब्राह्मण	,,	,,	—	—
८.	,, देवीसहाय	जीसपुर	,,	—	—
९.	,, कल्याणसिंह	मयपुर	,,	—	—
१०.	,, शम्भूलाल चौबे	लालसोट	मेड़बन्दी	—	—
११.	,, श्रीकृष्णभीला	इडावा	तैयार चाह	—	—
१२.	,, मेवा माली	लालसोट	,,	—	—
१३.	,, मूल्या मीणा	खड्डम्बर	,,	—	—

Page No.70

१	२	३	४	५
१४.	श्री जगन्नाथ महाजन कुटकिया	,,	—	—
१५.	,, सुरजमल महाजन खटूम्बर	मरम्मत चाह	—	—
१६.	,, मेवा मीणा अमरावास	,,	—	—
१७.	,, नरसिंहसहाय ब्राह्मण राजोली	तामीर चाह	—	—
१८.	,, मथुरालाल चौधरी लालसोट	,,	—	—
१९.	,, रामकवार गूजर जसवंतपुर	,,	—	—
२०,	,, लक्ष्मीनायण महा० रामपुरा	मरम्मत चाह	—	—
२१.	,, नारायणसिंह राजपूत कुशलपुरा	,,	—	—
२२.	,, भोंरिया मीणा कांकरिया	तैयारी चाह	—	—
२३.	,, गंगाधर मीणा अमीनपुरा	मरम्मत चाह	—	—
२४.	,, कल्याणसिंह राजपूत कौशलपुरा	,,	—	—
२५.	,, कालू मीणा मयपुर	तैयारी चाह	—	—
२६.	,, चरणराम राजपूत रामपुरा	,,	—	—
२७.	,, जौवरीलाल पुरोहित लालसोट	,,	—	—
२८.	,, गंगलिया रेगर लालसोट	,,	—	—
२९.	,, महादेव मीणा सलावगांव	,,	—	—
३०.	,, कजोड़लल ब्राह्मण लालसोट	,,	—	—
३१.	,, जयनारायण सत्यनारायण महाजन मीचुलिडा	,,	—	—
३२.	,, रहीमबक्श मुसलमान लालसोट	,,	—	—
३३.	,, रामेश्वरलाल लालसोट	तैयारी चाह	—	—
३४.	,, बिहारीलाल ब्राह्मण लालसोट	,,	—	—
३५.	,, गुलाबसिंह राजपूत नारायणपुरा	,,	—	—
३६.	,, देवा माली किशोरपुरा	,,	—	—
३७.	,, रामचन्द्र माली डोब	,,	—	—
३८.	,, रूपनाथ रामावतार ब्राह्मण लालसोट	,,	—	—
३९.	,, छुपनसिंह राजपूत उदावा	,,	—	—
४०.	,, छीतर मीणा डूंगरपुर	,,	—	—

१	२	३	४	५
४१.	श्री अब्दुलहमीद मुसलमान	लालसोट तैयारी चाह	—	—
४२.	,, छाजूलाल चौधरी	लालसोट ,,	—	—
४३.	,, चदंहात टीक	रामगढ़ पछवहड़ा ,,	५०	३१-३-५६
४४.	,, कूंथा मीणा	सोनड ,,	—	—
४५.	,, भोंरीलाल मीणा	राजौलो तामीर चाहसाम	—	—
४६.	,, भौंरिया मीणा	किशोरपुरा ,, पुख्ता	—	—
४७.	,, धन्ना चुन्नीलाल लुहार	डिगो ,,	—	—
४८.	,, रामात्माकृष्ण मीणा	श्रीपुरा ,,	—	—
४६.	,, महादेव मीणा	पलागांव ,,	१०० रु०	३१-३-५६
५०.	,, गणेश माली	डीडवाना ,,	—	—
५१.	,, तेजा माल्या	मिरधापुरा ,,	—	—
५२.	,, धन्ना कुम्हार	बिनोला कलां ,,	—	—
५३.	,, खूबा छोटा	नयावास ,,	—	—
५४.	,, बद्री मीणा	ममरावास ,,	—	—
५५.	,, भोंरीलाल ब्राह्मण	सूरपुरा ,,	—	—
५६.	,, पांच्या बलाई	बोगली ,,	—	—
५७.	,, जयनारायण मीणा	जसवन्तपुरा ,,	—	—
५८.	,, कल्याणसिंह	मयपुर ,,	—	—
५६.	,, हरकाराम जोशी	बगड़ी ,,	—	—
६०.	,, कजोड़मल माली	लालसोट ,,	२५	३१-३-५६
६१.	,, शंकर मीणा	जमनपुरा ,,	—	—
६२.	,, महन्तराम रसदास दादूपंथी	रामगढ़ पतवारा ,,	—	—
६३.	,, शांतिप्रसाद ब्राह्मण	लालसोट ,,	—	—
६४.	,, गोबिन्ददास दादूपंथी	बिलोना कलां ,,	—	—
६५.	,, पासीलाल दरोगा	झापताखुर्द ,,	—	—
६६.	,, रामकरण ब्राह्मण	लालसोट ,,	—	—

१	२	३	४	५
		रेवेन्यु तकावी		
१.	श्री राजा अमरसिंह डीडवाना	तामीर चाह	३२६ रु०	३१-३-५६
२.	,, धर्मपाल मीणा देवाचली	तामीर चाह	—	—
३.	,, सूरजमल सूरजपुरा	,,	—	—
४.	,, रामगोपाल महाजन मडावरी	,,	१४५ रु०	३१-३-५६
५.	,, गजराजसिंह	,,	—	—
६.	,, रामेश्वरप्रसाद लालसोट	खरीद बैल	२०० रु०	३१-३-५६
७.	,, मथुरालाल पुत्र जमनालाल	तामीर चाह	—	—
८.	,, कान्या माली लालसोट	,,	—	—
९.	,, देवीसहाय ब्राह्मण जीतपुर	,,	—	—
१०.	,, नावला लक्ष्मी-सहाय मीणा गोकुलपुरा	,,	—	—
११.	,, सोबक्स मीणा चांदसेन	,,	—	—
१२.	,, मूल्या कोली रतनपुरा	,,	—	—
१३.	,, पोखा मीणा खुरा	खरीद बैल	—	—
१४.	,, भूमिया मीणा दुतियावास	,,	—	—
१५.	,, जिणदी मीणा ,,	,,	—	—
१६.	,, मालू मीणा ,,	,,	—	—
१७.	,, देवा मीणा ,,	,,	—	—
१८.	,, भेदिया मीणा ,,	,,	—	—
१९.	,, मंगला मीणा लालसोट	,,	—	—
२०.	,, मनफूल खुर्रा	,,	—	—
२१.	,, जोवण मीणा चांदसेन	,,	—	—
२२.	,, बेवा कन्नी दूटियावास	,,	—	—
२३.	,, भवरीलाल ब्राह्मण लालसोट	मेड़बन्दी	१००	३१-३-५६
२४.	,, केसरा चमार बडोली	खरीद बैल		—
२५.	,, रेवड़ मीणा बारोली	,,	—	—
२६.	,, गणपतसिंह मुलतानपुरा	,,	—	—

१	२	३	४	५
२७.	श्री बैनसिंह राजपूत पेमपुरा	,,	—	—
२८.	,, भगवानसहाय तलागांव	,,	—	—
२९.	,, बक्स मीणा अमरावास	,,	१००	३१-३-५९
३०.	,, गोरधन मीणा सुल्तानपुरा	,,	—	—
३१.	,, रतनसिंह राजपूत खारीबाडा	,,	—	—
३२.	,, लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण डीडवाना	,,	—	—
३३.	,, भीमराम राजपूत मयपुर	,,	१००	३१-३-५९
३४.	,, बहादुरसिंह घोली	,,	—	—
३५.	,, रूपसिंह राजपूत घोली	,,	—	—

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७४४ का उत्तर देखिये)

नक्शा रेट शराब किस्मवार फी बोतल, बिक्री शराब किस्मवार तथा रकम ठेका, दुकान शराब मोची पाड़ा, झालावाड़।

वर्ष	रकम ठेका	बिक्री शराब बोतल में						रेट बिक्री शराब फी बोतल				
१	२	३						४				
		जगमोहन १० ओ० पी०	केसर कस्तूरी ५ यू० पी	गुलाब २० यू० पी०	नारंगी २५ यू० पी०	प्लेन ३५ यू० पी०	जोड़	जगमोहन १० ओ० पी०	केसर कस्तूरी ५ यू० पी०	गुलाब २० यू० पी०	नारंगी ५ यू० पी	प्लेन २५ यू० पी०
१९५५–५६	५६००)	१५	१५३	१२०	११४	४७५२	५१४५	१०)	६)	४।।)	४)	३)
१९५६–५७	५५६१)	१५	३००	१९२	१९३२	३३१२	५७५१	१०)	६)	४।।)	४)	३)
१९५७–५८	६१०१)	६	४५६	१२३	२८६८	३१७४	६६६०	१०।।)	६।।)	४।।।)	४।)	३।)

———

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ७४६ का उत्तर देखिये)

Chapter X of the Education Code.

Permission for appearing at public examinations.

1. Permission to appear at the Public Examination may be granted to teachers each year on the recommendation of Head of Institutions concerned in case the candidate for the said examination is likely to become more efficient and useful in respect of his duties in relation to the Department, after passing the Public Examination for which he seeks permission.

2. No permission shall be granted to a teacher or an inspecting officer for appearing at the LL. B. examination or any other examination in law.

3. (a) Not more than 20% of the members of the staff of an institution shall be permitted to appear at the examination.

   (b) In an institution where in the number of teachers is below 5 but not less than two the permission shall be granted to only one teacher.

   (c) As regards single teachers schools the permission shall be granted at the Maximum rate of 20% of the total number of teachers in all such schools in the inspectorate.

4. The above permission may be granted to a teacher in case his work and conduct have been entirely satisfactory, and in giving such permission perference shall be given to those who have not been granted permission in the previous session. In the case of Intermidiate colleges and High Schools, preference will also be given to the candidates offering subjects useful for the institutions concerned. In case of previous and final examinations for University degrees such as M. A., M. Com., M. Sc., etc. permission will necessarily be given in case a candidate has passed the previous examination in the preceding year, other things remaining the same and without any prejudice to other rules on the subject.

5. No leave shall be granted in connection with examination except for the period of the examination and if necessary for transit also. The leave will be sanctioned subject to title on production of the programme of the examination concerned by the applicant.

6. Permission shall be given only to confirmed teachers who have put in atleast two years approved and continuous service.

7. Officiating or temporary teachers or those on probation shall not be permitted to appear at the public examinations, but in very special cases the Director may grant such permission on the merits of an individual case which shall not form a precedent.

Page No.77

जिन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है उनमें से निम्नांकित अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने दो वर्ष में परीक्षा दी थी या बी० एड० अथवा एस० टी० सी० की ट्रेनिंग ली थी।

१. श्री दुर्गानारायण सहायक अध्यापक, हाई स्कूल, सांभर
२. श्री मदनलाल वर्मा ,, ,, ,, शाहपुरा
३. श्री नन्दकुमार गुप्ता ,, ,, ,, किशनगढ़ रेनवाल
४. श्री कल्याणसहाय ,, ,, माध्यमिक शाला, कोटखावदा
५. श्री आर० शर्मा ,, ,, ,, नारहेड़ा
६. श्री नाथूसिंह ,, ,, ,, हवेली
७. श्री शिवप्रसाद, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शाला, छाजलपुर
८. श्री प्रकाशचन्द सेठी, सहायक अध्यापक, एस० टी० सी० ट्रेनिंग स्कूल, गोनेर
९. श्री गणेशनारायण शर्मा, सहायक अध्यापक, हाई स्कूल, बान्दीकुई
१०. श्री गणेशनारायण माथुर, ,, ,, हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर
११. श्री मदनमोहन शर्मा, महाराजाज़ मल्टीपर्पज़ हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर
१२. श्री इन्दरजीत सूद ,, ,, ,, ,, जयपुर
१३. श्री बृजमोहन माथुर, न्यु हायर सैकेन्ड्री स्कूल ; जयपुर
१४. श्री गोपाललाल माथुर, गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, मोती कटला, जयपुर
१५. श्री रामेश्वरप्रसाद आजाद, गवर्नमेन्ट हाई स्कूल, लालसोट
१६. श्री मांगीलाल शर्मा, गवर्नमेन्ट मिडिल स्कूल, मोदीखाना, जयपुर
१७. श्री प्यारेलाल माथुर, ,, न्यु हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर
१८. श्री तुलसीसिंह, ,, मिडिल स्कूल घाटगेट, जयपुर

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ३५३ का उत्तर देखिये)

List of the staff of S. P. U. College, Falna, (Rajasthan.)

S. N.	Name & Designation	Qualification	Experience of Teaching	No. of working periods per week. Class	Subject	Pds.	Total pds.	Other duties assigned	Remarks
1	2	3	4	5				6	7
1.	Shri Shyam Lal Sharma Principal	M. A. (Hist. & Eng.) L. T.	21 yrs.	XIII Arts	Hist.	6			
				XI&XII ,,	,,	6		12	
			15 yrs.	XI Com.	Hindi	3			
2.	Shri Jawahar Chand Patni Head of the Deptt. of Hindi	M. A. (Hindi & Eng.) B. T.		XII ,,	,,	3			I/C. College Union.
				XIII ,,	,,			27	
				XI Arts	,,	6			
				XII ,,	,,	6			
				XIII ,,	,,	6			

1	2	3	4	5				6	7
				XIII Arts	Eng. L.	6		Chief editor	
3.	Shri Narayan Singh Varma Head of the Deptt. of Eng.	M. A. (Ed. & Geog.)	13 yrs.	XII ,,	,,	6	21	College	
				XII Com.	English	3		Magazine	
				XIII ,,	,,	6			
4.	Shri Subhash Chandra Jain Lecturer in Economics	M A. (Eco.), B Com.	2 yrs.	XIII Com.	Eco.	6			
				XII ,,	,,	3			
				XI ,,	,,	3	30		
				XI'XII Arts	,,	6			
				XI&XII Com.	Com. Geo.	6			
				XIII Arts	Eco.	6			
5.	Shri Chintamani Sharma Lecturer in English	M. A. (Eng.)	2 yrs.	XI Com.	Eng.	3			
				XI Arts	,,	6		I/C. Hockey	
				XI ,,	Eng. L.	6	27		
				XII ,,	Eng.	6			
				XIII ,,	,,	6			
6.	Shri Sumer Chand Jain Offg. Head of the Deptt. of Commerce.	M. Com., M. A (Eco.)	10 yrs.	XIII Com.	Com. law	6			
				XII ,,	B. M.	6			
				XII ,,	Banking	6	30		
				XI ,,	,,	6			
				XI ,,	B. M.	3			
				XI ,,	Accounts	6			

1	2	3	4	5	6		7
				XI & XII Arts Gen. Sc.	6		
7.	Shri Shri Krishna Mahajan Lecturer in Gen. Science	M. Sc.	1 yrs.	XI & XII Com. Gen. K.	6		
				X A & B Gen. Sc.	12	34	
				IX A & B ,,	10		
8.	Shri Satish Chandra Dav. Lect. in Pol. Sc. & Hist.	M. A. (Hist. & Pol. Sc.)	5 yrs	XIII Arts Pol. Sc.	6		
				Sociology			
				XI & XII Civics	6		
				XI & XII Com. Gen. Know.	6		
9.	Shri Jai Chand Jain Lecturer in Commerce	M. Com.	3 months	XIII Com. Ad. A/cs.	6		
				,, Banking	6	30	
				XII Com. Accounts	6		
				X A & B Commerce	12		
10.	Shri Ladu Ram Mehta A/T.	M. A. (Hindi	rs	X A Ele. Hindi	5		
				XB Opt. Hindi	6		I/C. Debating
				IX B & C ,, ,,	6	35	club.
				X B History	6		
				IX B & C ,,	6		
				IX C Ele. Hindi	6		

1	2	3	4	5			6	7
11.	Shri lekh Chandra Jain SuA/T.	B. Sc.	7 yrs.	X A & B Ele. Maths.	11			
				X B Opt. ,,	6		I/C. Tennis	
				,, ,, Sc.	6	35	club.	
				IX C ,, ,,	6			
				,, ,, Maths	6			
12.	Shri Chattar Singh Drora A/T	B. A.	7 yrs.	X A & B Soc. Stu.	11			
				IX A & B ,, ,,	11	34	I/C. Games	
				X B Geog.	6			
				IX B & C ,,	6			
13.	Shri Jaswant Singh Sharma A/T.	B. A., B. T.	7 yrs.	IX A & B Hindi	11			
				X A & B English	12	34		
				X B Hindi	5			
				VIII A ,,	6			
14.	Shri Baboo lal J. Choudhary A/T.	B. A,	6 yrs	IX C Soc. Stu.	5		I/C. Staff Reacreation	
				VIII A & B Gen. Sc.	12	35		
				,, ,, Soc. Stu.	12		club.	
				VIII A English	6			
							I/C. library	
15	Shri Shri Niwas Maheshwari Librarian	I Arts. lib. Td.	2 yrs	VII A & B Maths.	10	10		

Page No.82

1	2	3	4					5	7
16.	Shri Bhoora Lal Bhati A/T Cum/Clerk	B. Com.	1 yrs	XI & XII	Com. Steno	12	12	Office work	
17.	Shri Girish Kumar Sharma A/T.	B. A.	3 months	IX A & B & C	English	16		I/C Red Cross.	
				VIII B	,,	6	34		
				VII A & B	,,	12			
18.	Shri Suresh Chandra Gupta A/T.	B. Sc.	3 months.	IX A & B	Ele. Maths	12			
				IX B & C	Gen. Sc.	6	35		
				IX C	Maths.	5			
				VIII A & B	,,	12			
19.	Shri Uttam Chand Jain A/T.	B. Com.	3 months	IX A & B	Commerce	17			
				VIII A & B	,,	6	34		
				VII A & B	,,	6			
				VII B	Soc. Stu.	5			
20.	Shri Bhanwar Lal Navneet A/T/cum Clark	I. Com.	3 months	IX A & B.	Typing	6		X Class Typings	
				VII A	Gen. Sc.	6	12	Office work	

1	2	3	4	5				6	7
21.	Shri Poonam Chand Tailor A/T.	Diploma in Tailoring	12 yrs.	VIII A & B	Tailoring	6			
				VII A & B	„	6			
				VI A & B	„	6	21		
				V	„	3			
22.	Shri Monahar lal Dave A/T.	Middle	13 yrs	VII A	Soc. Stu.	6			
				VI A & B	English	12	36	I/C. Cubs.	
				V	Maths.	6			
					Gen. Sc.	6			
					Soc. Stu.	6			
23.	Shri Daya Nand Bhatt A/T.	Shstri	14 yrs	VIII A & B	Sanskrit	6			
				VIII B	Hindi	6			
				VII A & B	„	12	36		
				VII A & B	Sanskrit	6			
				VI A & B	„	6			
24.	Shri Mohabat Singh Chouhan A/T.	Middle	7 yrs.	VII B	Gen. Sc.	6		I/C.	
				VI A & B	„	12	30	A. C. C.	
				„	Maths.	12			
25.	Shri Govind Chand Mehta A/T.	Middle Kovid.	3 yrs.	VI A & B	Hindi	12		I/C. Sangeet	
				„ „	Soc. Stu.	12	33		
				V	Hindi	9		Mandale	

1	2	3	4	5	6	7
26.	Shri Amrit Lal Jain A/T.	Rel. Edu.	2 yrs.	X A&B Moral Stu. 4		
				IX A & B & C " 9		
				VIII A&B " 6	34	
				VII A&B " 6		
				VI A&B " 6		
				V " 3		

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ४१३ का उत्तर देखिये)

नक्शा रकम बकाया १६५४०८-१४-६ जो कोटा जिला में कोटा राज्य के समय की फुड व सप्लाई विभाग की बकाया है ।

संख्या	नाम व पता	रकम	कार्यवाही जो जारी है
१.	सर्वश्री जानकीलाल गोरीलाल	६६४०८-८-६	रेवेन्यु बोर्ड के फैसले के विरुद्ध आगामी कार्यवाही हेतु लॉ डिपार्टमेन्ट को रेफर किया गया है ।
२.	,, हजारीलाल पुत्र बहादुरलाल	१४१४०-१३-३	हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है ।
३.	,, टिप्परचन्द भीमाशंकर	५०-०-६	पार्टी के हिसाब की जांच की जा रही है ।
४.	,, मिश्रीलाल बजरंगलाल	२५१३-०-०	हिसाब की जांच की जा रही है ।
५.	,, जमनालाल बड़ौरा	१५६६-१-६	एस० डी० ओ० अकलेरा पी० डी० आर० एक्ट में कार्यवाही कर रहे हैं ।
६.	,, उम्मेदलाल मांगरोल	६०२-१५-३	इसमें फाइनल ऑर्डर दे दिये हैं लेकिन पार्टी अपना हिसाब सम्मुख जांच कराना चाहती है सो शीघ्र बुलाया जायेगा ।
७.	,, सुरजमल छामुनिया	१७५८-४-०	वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।
८.	,, बरीतुल्ला खां अटरू	६५७-१४-६	एस० डी० ओ० छबड़ा द्वारा कार्यवाही जारी है ।
६.	,, रामनारायण दही खेड़ा	६२६३-२-३	तहसीलदार खानपुरा द्वारा कार्यवाही जारी है ।
१०	,, बैजनाथ बिरधीलाल	५२७-३-०	एस० डी० ओ० कोटा द्वारा कार्यवाही जारी है ।
११.	,, अलीमोहम्मद छीपा बड़ोद	२६२४५-२-३	एस० डी० ओ० अकलेरा द्वारा वसूली की कार्यवाही जारी है ।

१२.	,, चौधरी माधोसिंह	६६०८–७–०	कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है।
१३.	,, किस्तुरचंद	१४३७–५–६	अजन
		१६५४०८–१४–६	

———

शुद्धि-पत्र

(दिनांक २४ नवम्बर, १६५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३६३२	अन्तिम से ७	दूरसी	दूसरी
३६३४	८	Superintendeets	Superintendents
३६४३	१५	कह रह रहा हूँ	कह रहा हूँ
३६४५	५ व ११	ट्रेनिंग	टेनिंग
३६४७	१३	कैसे कहा सकता है ?	कैसे कहा जा सकता है ?
३६५०	अन्तिम से ८	डाले जावेगा ?	डाला जावेगा ?
३६५६	१७	स्तेमाल	इस्तेमाल
३६६१	२१	परिज्ञा	परीज्ञा
३६६८	१	एक्विीजिशन	एक्वीज़िशन
,,	१६	मुख्य मंत्र	मुख्य मंत्री
३६७३	१०	उत्तर देने कृपा	उत्तर देने की कृपा
३६७४	५	संभय	संभव
३६७५	१४	सरकरी	सरकारी
३६८२	५	the o her	the other
३६८३	५	मंत्री अनुपस्थिति में)	मंत्री की अनुपस्थिति में)
,,	अन्तिम से ७	फाँसना	फालना
३६८६	,, ,, ४	विकृल	विकृत
३६६२	१७	और और आज	और आज
,,	अन्तिम से ६	Senction	sanction
३६६३	,, ,, ३	आत्रश्यका	आवश्यकता
३६६८-३७०१	शीर्ष	-२१ नवम्बर, ५८-	-२४ नवम्बर, ५८-
३७०४	२४	जायेंगे	जायेंगे
३७०५	२२	कानून	कानून

१	२	३	४
३७१२	३	रेटोरपेक्टिव	रेट्रोस्पेक्टिव
३७१४	अन्तिम से ८ व ७	रखता था हुए	रखते हुए
३७१८	३	इन्टरप्रिटेशन्स	इन्टरप्रिटेशन्स
,,	१५	और कुछ	और कुछ
,,	अन्तिम से ३	कुछ	कुछ
३७२४	६	हुरू	शुरू
,,	अन्तिम से ८	कतव्य	कर्त्तव्य
३७२५	११	त्रुटि रह गई	त्रुटि रह गई
३७३२	अन्तिम से ८	पार्लियार्ट	पार्लिया-
३७४१	१७	रेस्पॉसिन्विलिटी	रेस्पोन्सिबिलिटी
३७४२	६	(अमेन्डमेंट)	(अमेन्डमेन्ट)
३७५३	२५	मेरा संशोधन	मेरा संशोधन
३७५८	१६	Bill, 1657	Bill, 1957
३७६१	५	ऑफिसिर	ऑफिसर
३७६४	पंक्ति १५ आइटम ३	Prssing	Pressing
३७६६	१७	३०. ,, कजोडलल	३०. ,, कजोड़मल
३७७१	अन्तिम	the appli	the applicant
३७७७	१	11. Shri Lekh chandra	Shri Sulekh chandra
३७८१	३	फुड व	फूड व